खण्ड-195, अंक-7
बुधवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1880
(30 जुलाई, 1958 ई0)

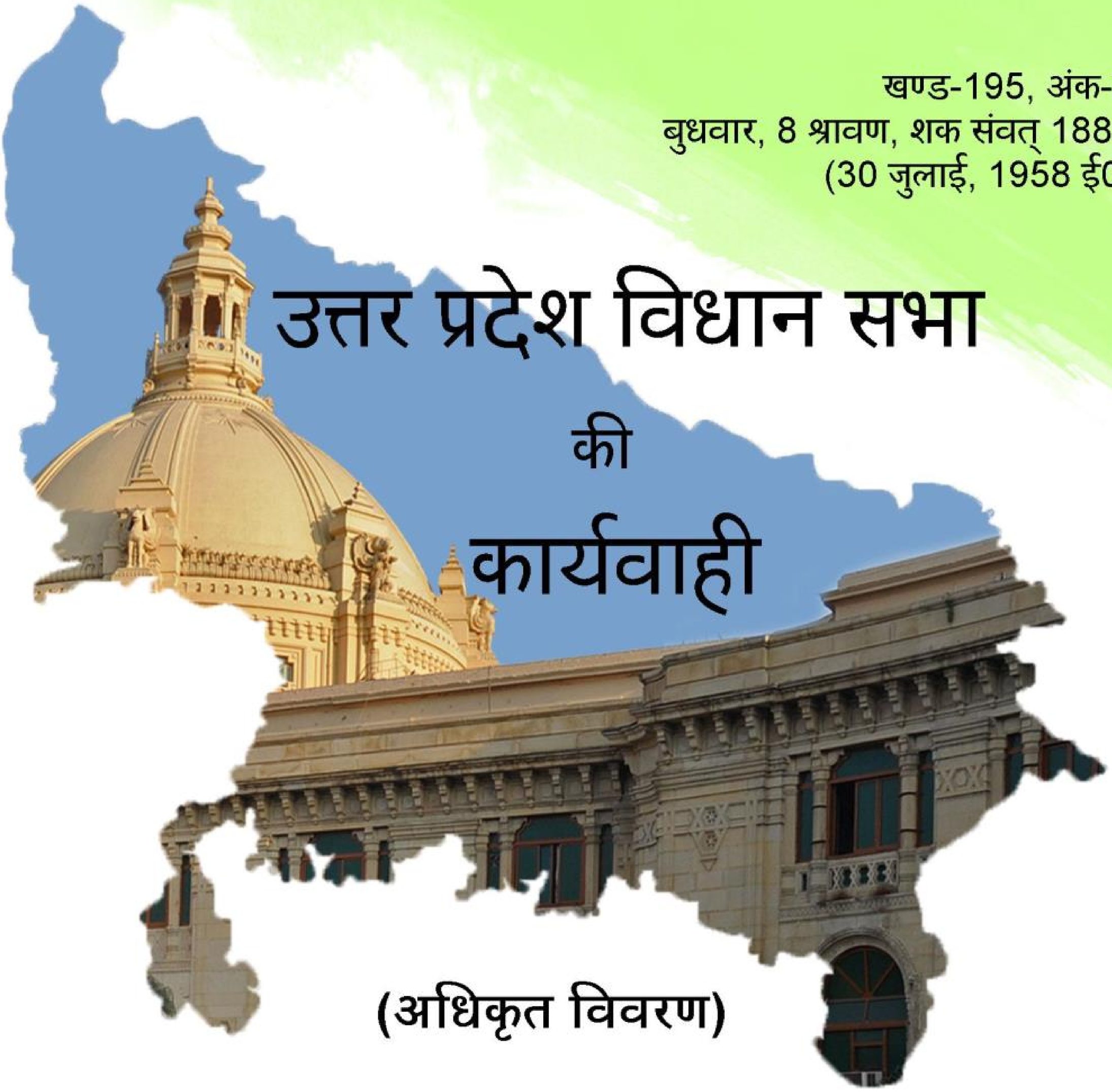

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

.. .. .. ५१

उत्तर प्रदेश ।. तीय संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ५१

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौथा संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन की पटल पर रखी गयी) ५१

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी) ५१

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी) ५१

लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९७ , (सदन के पटल पर रखी गयी) .. ५२

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (शुल्क) (संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी) ५२

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली , १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी) ५२

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, १९७१. . . (सदन के पटल पर रखी गयी) ५२

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया) ५२

वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां (सदन की पटल पर रखी गयी) ५३

धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन सम्बन्धी पत्र (पढ़ कर सुनाय गया) ५३

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ५३

श्री गोविन्द सिंह की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचना .. ५४–५६

पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का नवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ५६

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के संशोधन हेतु याचिका (उपस्थित की गई) ५७

यू० पी० टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ में संशोधन हेतु याचिका (उपस्थित की गई) ५७

विभागाध्यक्षों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिये ओमबड्समैन की संस्था की स्थापना हेतु अधिनियम बनाने हेतु याचिका (उपस्थित की गयी) ५७

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव [स्वीकृत] .. ५८–५९

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ५९

छितौनी बांध के टूटने के सम्बन्ध में चर्चा (जारी) ५९–६०

विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के क
का प्रस्ताव (स्थगित) .. .. ..

छितौनी बांध के टूटने के सम्बन्ध में चर्चा ६१–८९

१९७१-७२ का आय-व्ययक.. (प्रस्तुत किया गया) ९०–११८

१९७१-७२ के लिये द्वितीय लेखानुदान.. (प्रस्तुत किया गया) .. ११८–१२२

बंगला देश के सम्बन्ध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना १२२

सीतापुर के पी० ए० सी० के सूबेदार की लड़की के अपहरण के सम्बन्ध में नियम
५१ के अन्तर्गत सूचना १२२

नत्थियां १२३–१२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३० जुलाई, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३० जुलाई, १९५८

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिलान्तर्गत एस० डी० ओ० महाराजगंज के विचाराधीन मुकदमे

*१--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के एस० डी० ओ० के इजलास में कुल कितने मुकदमें इस समय विचाराधीन हैं, उनमें कितने दफा १०७,१०९,११०, सी० आर० पी० सी० के हैं और कितने न्याय पंचायतों के फैसलों के विरुद्ध के हैं तथा कितने माल के हैं ?

श्री अध्यक्ष--क्या वित्त मंत्री नहीं हैं ? नहीं हैं, तो कोई भी मंत्री उत्तर पढ़ सकते हैं।

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--गोरखपुर जिले के महाराजगंज तहसील के एस०डी० ओ० के इजलास में कुल ३२५ मुकदमें इस समय विचाराधीन हैं उनमें दफा १०७, १०९, ११० सी०आर० पी०सी०, न्याय पंचायत तथा माल मुकदमों की संख्या क्रमशः ३४, ६, ७, ४१ और २३७ हैं।

श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने मुकदमें ६ माह से अधिक से विचाराधीन हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--इन वादों में से अधिवासी के मुकदमें कितने हैं ?

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)--मुकदमों की किस्म के मुताल्लिक जानकारी के लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री अमरनाथ--इन मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरणसिंह--किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है और न कोई ज्यादा तादाद ऐसे मुकदमों की थी जिनको देर हो गयी हो। जिन दो-चार मुकदमों में देर हो गयी, उसके कुछ कारण हैं जिसमें अफसरों का कसूर नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराजगंज में कितने मुकदमे ऐसे हैं जो कि बाद को दायर हुये और पहले फैसल हो गये और कितने ऐसे हैं जो पहले दायर हुये और अभी तक फैसल नहीं हुये ?

श्री चरणसिंह---एक भी मुकदमा सारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जो बाद को दायर हुआ और पहले फैसल हो गया।

*२---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) व **श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)---[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गए।]

गोरखपुर जिले में मालगुजारी वसूली के लिए वारण्ट गिरफ्तारी, सम्मन एवं कुर्की के आदेश

*३---**श्री अमरनाथ**---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में चालू वर्ष में मालगुजारी की वसूली के लिये कितने वारण्ट गिरफ्तारी, सम्मन एवं कुर्की के आदेश जारी किये गये ?

श्री चरणसिंह---गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में १३६५ फसली की मालगुजारी की वसूली के लिये निम्नांकित वारण्ट गिरफ्तारी, सम्मन एवं कुर्की के आदेश जारी किये गये।

नाम तहसील	सम्मन	वारण्ट गिरफ्तारी	कुर्की
महाराजगंज	३८०	१६०	९
फरेंदा	–	५७	२
बांसगांव	२२१	२०९	११७
सदर	६२	१३१	८०
कुल योग ..	६६३	५५७	२०८

*४---**श्री अमरनाथ**---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में चालू वर्ष में मालगुजारी की वसूली के लिये तहसील हवालात में कितने व्यक्ति बन्द किये गये ?

श्री चरणसिंह---गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में १३६५ फसली की मालगुजारी की वसूली के लिये निम्नांकित संख्या में व्यक्ति तहसील हवालात में बन्द किये गये।

नाम तहसील	बन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या		
महाराजगंज	..	६	..
फरेंदा	..	४	..
बांसगांव	..	९४	..
सदर	..	९	..
	कुल योग ..	११३	

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों के लिये वारण्ट गिरफ्तारी जारी किये गये थे उनमें से कितने गिरफ्तार किये गये ?

श्री चरणसिंह---अगर माननीय मित्र ने जवाब अच्छी तरफ समझा हो तो उसमें यह आ गया है कि ५५७ वारण्ट जारी किये गये थे और ११३ गिरफ्तारी हुईं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---जिन लोगों के ऊपर वारन्ट गिरफ्तारी जारी हुये थे उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुये और कितने लोग उनमें से तहसील तक पहुंच सके ?

श्री अध्यक्ष--कितने लोग गिरफ्तार हुये, उसके बारे में तो जिक्र प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में है। यह सवाल आप नहीं कर सकते।

श्री गेंदासिंह--वारण्ट से जो लोग गिरफ्तार हुये उनकी तादाद में और तहसील में पहुंचने वालों की तादाद में फर्क क्यों है ?

श्री चरणसिंह--५५७ वारण्ट जारी हुये, आदमी तहसील में पहुंचे ११३। तो वारण्ट जब पहुंचा तो उन्होंने मालगुजारी दे दी इसलिये फर्क है।

श्री गेंदासिंह--जो सदर तहसील में इतनी बड़ी संख्या में वारण्ट गिरफ्तारी जारी हुये इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--सदर तहसील से ज्यादा तो बांसगांव में जारी हुये। अब इसका क्या कारण है, वहां के लोगों ने ज्यादा तादाद में मालगुजारी नहीं दी होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई शिकायत आयी थी कि बांसगांव में योगेन्द्र शुक्ल, सभापति, हिन्द किसान पंचायत, गोरखपुर को मालगुजारी देने के बाद भी पकड़ कर हवालात में बन्द रखा गया ?

श्री चरणसिंह--मैं इस वक्त इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दे सकूंगा। शिकायत तो मुमकिन है मेरे पास आयी हो, लेकिन क्या नाम था और क्या शिकायत थी, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--एक तहसील का ब्योरा देते हुये माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया है कि वहां पर कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, लेकिन वारण्ट गिरफ्तारी बहुत बड़ी तादाद में जारी हुये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां एक भी सम्मन जारी नहीं हुआ वहां इतने अधिक वारण्ट गिरफ्तारी क्यों जारी किये गये ?

श्री चरणसिंह--माननीय मित्र का मतलब शायद फरेंदा तहसील से है। वहां वारण्ट गिरफ्तारी केवल ५७ जारी हुये, और तहसीलों से कम। लेकिन यह कि सम्मन जारी किये बिना वारण्ट क्यों जारी कर दिया, तो वह हो सकता है। कानूनन यह लाजमी नहीं है कि पहले सम्मन जारी हो। जितनी प्रोसेसेज कानून में दी हुई हैं यह कलेक्शन अथारिटीज को अख्तियार है कि उनमें से किसी प्रोसेस को जब उनकी तबियत चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५५७ वारण्ट जारी किये गये और जिनमें से ११३ व्यक्ति गिरफ्तार हुये तो ४४४ लोगों पर क्या वारण्ट तामील नहीं हुये या वारण्ट तामील होने के वक्त मालगुजारी की अदायगी हो गयी और अगर हो गयी तो कितनों की ?

श्री चरणसिंह--मैं अर्ज कर चुका हूं कि वारण्ट गिरफ्तारी जब पहुंचता है तो मतलब होता है सख्त तकाजा तो बहुत से लोग इंतजाम करके घंटे दो घंटे में दे दिया करते हैं। असल में ऐसा ही हुआ होगा कि वारण्ट पहुंचते ही दे दिया होगा। उन्होंने एक बारीकी निकाली है कि तामील नहीं हुई हो। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि तामील न हुई हो। लेकिन ऐक्चुअल गिरफ्तारी ११३ की हुई और उनको हवालात में रखा गया। लेकिन कायदा यह है कि १५ दिन से ज्यादा हवालात में नहीं रखा जा सकता है।

उन्नाव जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन

*५--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में इस समय तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेंन्शन स्वीकार की गई है ?

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--जिला उन्नाव में इस समय तक ६५ व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेंशन स्वीकृत की गई है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों ने वृद्धावस्था की पेंशन प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिये थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--७५ आदमियों के आवेदन-पत्र इस संबंध में श्रम आयुक्त के पास आये थे।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनको पेंशन स्वीकार हुई है उनको कितनी पेंशन दी जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस योजना के अन्तर्गत १५ रुपये मासिक पेंशन हर व्यक्ति को दी जाती है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धावस्था की पेंशन देने के क्या नियम हैं ?

श्री अध्यक्ष--इस के संबंध में नियम बने हुए हैं।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १० व्यक्तियों को पेंशन नहीं दी गई उनके प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिये गये हैं अथवा विचाराधीन हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--५ व्यक्तियों के खारिज कर दिये गये, शेष पर जांच-पड़ताल जारी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ६५ आदमियों को पेंशन स्वीकृत हुई है उनमें से बहुत से व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हमारे पास इस समय इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन कोशिश यह की जाती है और यह रहती है कि जिस दिन पेंशन स्वीकृत होती है उसके दस दिन के अन्दर पेंशन पाने वाले को पहला इंस्टालमेंट मिल जाता है।

*६--८--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)--[स्थगित किये गये।]

*९--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--[१३ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--[दूसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बुन्देलखण्ड डिवीजन के अभावग्रस्त क्षेत्र में सहायता के कार्य

*११--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि प्रान्त के बुन्देलखंड डिवीजन और विशेषकर बांदा जिले में फसलों के नष्ट हो जाने से अन्न का अभाव हो गया है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, झांसी, बांदा व हमीरपुर जिलों में फसलों की क्षति के कारण अन्न की पैदावार कम हुई है।

*१२--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--सरकार ने इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या किया ?

श्री चरणसिंह--आवश्यकतानुसार सस्ते गल्ले की दुकानें व टेस्ट-वर्क खोले गये व अहेतुक सहायता बतकावी का वितरण किया गया।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने टेस्ट-वर्क्स खोले गये और कितने आदमियों को काम दिया गया ?

श्री चरणसिंह--टेस्ट-वर्क्स कुल कितने खोले गये इसकी संख्या तो मैं नहीं बतला सकता क्योंकि जो खोले गये थे उनका काम पूरा होने के बाद बन्द कर दिये गये । लेकिन इस समय ९ या १३ चल रहे हैं और काम करने वालों की संख्या में भी अन्तर पड़ता रहता है और चार हजार से दस हजार तक आदमी हैं जो काम करते हैं ।

श्री गेंदासिंह--टेस्ट वर्क्स पर जो लोग इस समय काम कर रहे हैं उन्हें कितनी मजदूरी दी जाती है और उन्हें क्या मजदूरी दैनिक दी जाती है या हफ्ते-हफ्ते पर ?

श्री चरणसिंह--इसको मैं हजार बार बतला चुका हूं, आठ आने दी गयी है, आठ आने दी जा रही है और आगे इरादा भी है आठ आने देने का--आठ आने, छः आने और चार आने ।

श्री गेंदा सिंह--कितने दिन पर मजदूरी दी जाती है यह भी बतलाने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री चरणसिंह--वैसे कलेक्टर को अधिकार है कि हफ्ते में दो बार भी दे सकता है, रोज भी दे सकता है और हफ्तेवार भी दे सकता है । लेकिन मेरा खयाल है कि हफ्तेवार दे रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड डिवीजन में फसलों की अनुमानतः क्षति कितनी हुई है ?

श्री चरणसिंह--डिवीजन तो एक इकाई नहीं है जिसका बताया जा सके । इकाई तो जिला है ।

श्री गेंदासिंह--इस क्षति की खबर सरकार को सबसे पहले कब हुई ?

श्री चरणसिंह--मैं तारीख नहीं बता सकता हूं ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या माननीय राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब क्षति का पता चला तो अनुमान करने के लिये आंकड़े जानने की कोई कोशिश की गई कि कितनी क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह--मुझे जब मालूम हुआ तो जिलाधीश ने आंकड़े इकट्ठा कर लिये थे । उसी के आधार पर मुझे यह मालूम हुआ है । मेरे मालूम होने के बाद आंकड़े इकट्ठा करने का कोई सवाल उठता नहीं था ।

चीनी मिल, बाराबंकी के गन्दे पानी की उचित निकास व्यवस्था न होना

*१३--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या यह सत्य है कि बाराबंकी के शहरियों ने सोशलिस्ट पार्टी के आवाहन पर गन्दे पानी के रोकने के लिये २०अप्रैल, १९५८ को मेड़हा नाला पर बांध भी बांधा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--दिनांक २०अप्रैल, १९५८ को लगभग ४० व्यक्तियों ने जहां मिल का गन्दा पानी जमुरिया नाले में आ कर मिलता है वहां मिट्टी डाल कर बन्द कर दिया था ।

*१४--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैक्टरी कानून के अन्तर्गत यह मिल का गन्दा पानी जमा करने के लिये बाराबंकी चीनी मिल को तालाब बनाना चाहिये और दवाओं की मदद से उसे साफ रखना चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार मिल के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कारखाना कानून की अपेक्षानुसार कारखाने के बहाव के रोकने के लिये उचित प्रबन्ध करने चाहिये तालाब बनाना आवश्यक नहीं है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब से यह मिल बाराबंकी में आयी है और गन्दा पानी नाले में गिराया गया है तब से मच्छरों के पैदा होने से मलेरिया की बीमारी अधिक बढ़ गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह कहना तो निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा कि इस नाले में पानी गिराने से क्या-क्या बीमारियां पैदा हो रही हैं लेकिन, यह सही है कि सरकार की कोशिश यह है कि चीनी मिलों का जो गन्दा पानी है उसके बहाव का कोई उचित प्रबन्ध करे ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतालने की कृपा करेंगे कि अब तक बाराबंकी चीनी मिल ने कौन सी उचित कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, मैंने कहा था कि कोशिश इसकी कर रहे हैं कि इसकी उचित व्यवस्था की जाय । मिल के कर लेने का प्रश्न आता ही नहीं । हमने कोई स्पेसिफिक डिरेक्शन्स दिये नहीं हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय श्रम मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह उचित कार्यवाही करेंगे और आज फिर उसी उत्तर को दोहरा रहे हैं, तो वह कौन सा समय होगा, कोई तिथि है जब वह उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैंने जो पिछली बार कहा था वह स्थिति आज भी असंगत नहीं है । फैक्टरी ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत हमने कुछ कार्यवाही की थी और इस कार्यवाही को हमने १६ अप्रैल, १९५७ के गजट में छपाया भी था । जब हमने इसके सम्बन्ध में अपने कानूनी विभाग से सलाह की अन्तिम निर्णय लेने के पहले तो हमको यह सलाह दी गई कि फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत जो व्यवस्था आज है और उसमें जो हमको अधिकार है उसके अन्तर्गत इस कार्य को हम कर नहीं सकते । इसलिये आवश्यक हुआ कि हम केन्द्रीय सरकार के साथ उसमें परामर्श करें । हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि या तो स्वयं ऐसी स्पष्ट व्यवस्था करें जिससे हमें इस कार्य को करने में दिक्कत न हो क्योंकि वह केन्द्रीय कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है अन्यथा हमें बतायें कि हम स्वयं क्या कुछ इस सम्बन्ध में कर सकते हैं या नहीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस प्रकार अन्य केन्द्रीय कानून होते हुए भी वह राज्य के कानून बनाते हैं उसी प्रकार से इस दुर्व्यवस्था को ठीक करने के लिये शीघ्र कोई कानून लाने का कष्ट करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श चल रहा है । लेबर कांकरेंट सब्जेक्ट है अस्तु श्रम सम्बन्धी कोई भी विधेयक लाने के पहले हमें केन्द्रीय सरकार के साथ सलाह करनी होती है क्योंकि उसमें प्रेसीडेंट से उसकी अनुमति लेनी होती है । इसलिये मैंने अभी निवेदन किया कि केन्द्रीय सरकार के साथ इस सम्बन्ध में हम परामर्श कर रहे हैं, उनकी अनुमति मिल जायगी तो फिर कुछ उचित प्रबन्ध किया जायगा ।

*१५---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--[११ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

देहाती क्षेत्रों में आग बुझाने का सरकारी प्रबन्ध न होना

*१६--श्री गनेशीलाल चौधरी--दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने देहाती क्षेत्रों को आग से बचाने की क्या योजना बनाई है ?

श्री चरणसिंह--ऐसी कोई योजना राजस्व अभाव विभाग ने नहीं बनाई है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माननीय मन्त्री जी भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाने का कष्ट करेंगे जिससे गांव आग से नष्ट न हुआ करें ?

श्री चरणसिंह--जी, ऐसी कोई योजना बनाना सम्भव नहीं है । माननीय मित्र अगर मुझे कोई ऐसी तरकीब बता सकें कि जिससे गांव में आग न लगे तो मैं उस पर गौर करूंगा ।

श्री गेंदासिंह--राजस्व विभाग तो कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं करता है लेकिन माननीय वित्त मन्त्री की जानकारी में क्या कोई दूसरा विभाग ऐसा प्रबन्ध करता है कि गांव में आग बुझाने का प्रबन्ध किया जाय ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, यह तो शहर में भी आग न लगने का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष--वह तो आग बुझाने के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री चरणसिंह--कोई मुहकमा ऐसा नहीं है ।

बाबू पुरवा लेबर कालोनी, कानपुर में कुछ ब्लाकों का खाली रहना

*१७--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि कानपुर में बाबू पुरवा लेबर कालोनी के बहुत से ब्लाक अब तक खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--जी हां । बाबूपुरवा लेबर कालोनी में कुल ३,३९० मकान (३६२ ब्लाक) बने हैं जिनमें से इस समय २१९ मकान खाली हैं --कारण यह है कि यह मकान कई स्टेजेज में बने हैं और सी० ओ० डी० की बाउंडरी के अन्तर्गत हैं । अतः अधिकतर सी० ओ० डी० तथा सुरक्षा विभाग के कर्मचारी इनके लिये प्रार्थना पत्र भेजते हैं । ऊपर के मकानों में पानी की कमी भी है । जिसके कारण अधिकांश प्रार्थना-पत्र नहीं आते हैं । पानी की कमी दूर करने का प्रयत्न सरकार कर रही है ।

इटावा जिले में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*१८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में मार्च व अप्रैल, सन् १९५८ में कितनी जगह आग लगी और उसमें कौन-कौन से गांव जले तथा कितने धन व जन तथा जानवरों की हानि हुई ?

श्री चरणसिंह--इटावा जिले में मार्च व अप्रैल, सन् १९५८ में १५ जगह आग लगी । गांव कोई भी नहीं जला पर १५ प्रभावित गांव में २,९९,८३२ रुपये की क्षति हुई तथा १ जन व २१ जानवरों की हानि हुई ।

*१९--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त समय में जिन गांव की आग लगने से क्षति हुई है उन ग्रामवासियों को सरकार की ओर से कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह--क्षति-ग्रस्त ग्रामवासियों को सरकार की ओर से २,२०० रुपये अहेतुक सहायता (Gratuitous Relief) तथा १७,९७५ रुपये तकावी के रूप में सहायता दी गई ।

जमींदारी प्रतिकर बाण्डों का भुगतान

*२०--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार उन जमींदारी बांडों की रकम के बतलाने की कृपा करेगी जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री चरणसिंह--३० जून, १९५८ तक ३,८८,२१,१०० रुपये के जमींदारी प्रतिकर बांडों का भुगतान नहीं हुआ था ।

*२१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांड कब से और क्यों पेंडिंग हैं ?

श्री चरणसिंह--उक्त बांडों की संख्या बहुत अधिक होने तथा उनके पेंडिंग रहने की तारीखें अलग-अलग होने के कारण उनकी तिथिवार पेंडिंग होने की सूची बनाने में काफी व्यय तथा समय की आवश्यकता है और सरकार इस तिथिवार सूचना का एकत्रित करना जनहित में जरूरी नहीं समझती । इनमें से अधिकांश बांडों का भुगतान अदालतों द्वारा रोक लगाने और मृतक मध्यवर्तियों के वारिसान कायम करने की कार्यवाहियां समाप्त न होने के कारण, नहीं हुआ । कुछ बांड ऐसे थे जिनको लेने के लिये मध्यवर्ती नोटिस पाकर भी नहीं आये । शेष बांड ऐसे थे जिनके भुगतान के लिये नियमानुसार कार्यवाही हो रही थी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि बांड भुगतान होने में देर होने का यह भी कारण है कि जो लोग अपना इन्कमटैक्स नहीं देते उनको इन्कमटैक्स अफसर से सर्टिफिकेट प्राप्त होने में बहुत देर लगती है ?

श्री चरणसिंह--एक छोटा कारण यह भी हो सकता है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी यह कठिनाई देखते हुए कि इतनी ज्यादा रकम के बांड बाकी हैं और देने में देर लगती है कोई ऐसी उचित व्यवस्था करेंगे कि जल्दी से इनका डिस्पोजल हो जाय ?

श्री चरणसिंह--४९ करोड़ के बांड जारी हो चुके हैं और ४५ करोड़ के बेबाक हो चुके और लोग ले चुके । तो केवल ३ करोड़ के बचे । यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है । जो वजूहात मैंने बतलाये हैं कि उनके हेयर्स वगैरह के बारे में झगड़ा है या अदालत की तरफ से नोटिस आ गया है कि बांड न दिये जायं तो इस प्रकार के झगड़े हैं जिनमें गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे इन्कम टैक्स आफिस से जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाया करे ?

श्री चरणसिंह--जी । राज्य सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार से बहुत अनुनय विनय की गई कि इस तरह का एक्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, बल्कि उनसे इन्कम टैक्स न लिया जाय क्योंकि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स मिनहा करने के बाद लोगों का प्रतिकर तय हुआ था । लेकिन केन्द्रीय सरकार तैयार नहीं हुई । इसलिये ऐक्जेम्प्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है और अगर वह एक दफा ले लिया जाता है तो ५ साल तक वैलिड रहता है और इन्कम टैक्स सर्टिफिकेट भी वही देते हैं । हमने फिर केन्द्रीय सरकार से कहा कि आप के यहां देर लग सकती है तो हमारे एक तहसीलदार को अधिकार दे दीजिये ताकि हम वहां भी एक्जेम्प्शन सर्टिफिकेट दे सकें । तो अब दोनों जगह बांड होल्डर्स को अधिकार है कि दरख्वास्त देकर एक्जेम्प्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या माननीय मन्त्री जी के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि बांड बांटने के लिये एस० डी० ओज० के मौके पर न पहुंचने की वजह से बांड पड़े रहते हैं और बट नहीं पाते हैं ?

श्री चरणसिंह--ऐसी शिकायत एक आध बार आयी है कि अफसर ने जाने के लिये तारीख मुकर्रर की, लेकिन किसी कार्यवश न जा सके, लेकिन अधिकतर तारीख पर जाते हैं और जिन बांड लेने वालों को नोटिस जारी होते हैं वही सब नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं ।

*२२--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--[दूसरे गुरुवार में प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

*२३-२५--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १२-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२६--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--[चौथे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मौदहा उप-चुनाव के समय फतेहगढ़ सेण्ट्रल जेल से कुछ कैदियों की पैरोल पर रिहाई

*२७--**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)--क्या जेल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल से गत २३ मार्च को कितने आदमी पैरोल पर छोड़े गये ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--८ (आठ) ।

*२८--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या सामाजिक सुरक्षा राज्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ये कैदी कहां-कहां के थे और किन-किन कारणों से इन्हें पैरोल पर छोड़ा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--ये सभी कैदी ग्राम विहरका, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर के रहने वाले थे । इन्हें रबी की फसल काटने के लिये पैरोल पर छोड़ा गया था ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस समय मौदहा तहसील में एक उपचुनाव चल रहा था जिसमें काम करने के लिये कांग्रेस पार्टी के चुनाव संचालक, श्री रामगोपाल गुप्त जी इन कैदियों को छुड़ा कर अपनी मोटर में मौदहा ले गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--ऐसी कोई खबर नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग छोड़े गये वे डकैती और हत्या जैसे संगीन अपराधों के अपराधी थे और अपने गांव के लिये आतंक थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--जिन दफाओं में रुकावट है उनमें वह लोग नहीं आते हैं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या यह सही है कि सरकार की कोई ऐसी योजना है कि कैदियों को ऐसे मौकों पर आमतौर पर छोड़ दिया जाया करे कि जब उनके घरों पर कोई न हो और फसल काटने का मौका हो ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी, यह योजना सन् ५६ से रायज है कि बोवाई और कटाई के वक्त ऐसे कैदियों को जो किसान हैं और जिनके यहां कोई जोतने बोने वाला नहीं है उनको कुछ दिनों के लिये, जिसकी सिफारिश जिला मैजिस्ट्रेट करे, छोड़ दिया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय सुरक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि २३ मार्च को जिस समय यह व्यक्ति छोड़े गये उस समय तक फसल कट चुकी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं ।

श्री गेंदासिंह--ये कैदी कितने दिनों से जेलखाने में बन्द थे और इसके पहले भी कभी फसल काटने या बोने तक छोड़े गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं कोई तारीख तो नहीं बता सकता हूं । दूसरा सवाल भी नोटिस होगा तो बता सकता हूं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्कीम सन् ५६ से लागू थी उसमें फसल काटने और बोने के लिये समय-समय पर कैदी छोड़ने के लिये क्या समय निर्धारित होता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--६ हफ्ते से लेकर ४ हफ्ते तक जैसी कि जमीन की तादाद को देखकर वहां का जिला मैजिस्ट्रेट सिफारिश करे ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--जो कैदी इस स्कीम के मातहत छोड़े गये उनके बारे में जिलाधीश महोदय से क्या अच्छी तरह से पूछताछ कर ली गई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन--जिला मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ही छोड़े जाते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--ये कैदी कितने दिनों तक पैरोल पर बाहर रहे और किस तारीख को जेल में लौटे ?

श्री मुजफ्फर हसन--ये ४ हफ्ते के लिये छोड़े गये थे, तारीख तो मुझे याद नहीं है ।

श्री उग्रसेन--फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल से पार साल कितने कैदी रबी की फसल की कटाई के समय छोड़े गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं इसका जवाब दे चुका हूं ।

श्री उग्रसेन--मैं पारसाल का पूछता हूं ।

श्री अध्यक्ष--वह इसके लिये नोटिस चाहते हैं, यह वे कह चुके हैं ।

श्री गौरीशंकर राय--फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल से या प्रदेश की किसी भी अन्य जेल से क्या मंत्री जी को मालूम है कि कितनी बार रबी की कटाई के लिये या एक बार भी कहीं कैदी छोड़े गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--सन् ५६ से जबसे यह स्कीम रायज हुई है १६१ आदमी छोड़े जा चुके हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इन छोड़े हुये लोगों में से प्रत्येक को कितनी-कितनी सजा हुई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह मैं नहीं बता सकता, तफसील की बात है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इन कैदियों के छोड़े जाने के बाद उन्होंने किसी एक पार्टी विशेष की तरफ से खुलकर चुनाव में हिस्सा लिये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री नवलकिशोर--क्या मंत्री जी कृपा कर बतावेंगे कि उनके पास इस तरह छूटने के लिये कितनी ऐप्लीकेशन्स आई थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस जिले से १६ ऐप्लीकेशन्स आई थीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ये कैदी छोड़े गये उस वक्त कौन सी फसल कटने के लिये बाकी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन--रबी की ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन अपराधों में इन पैरोल पर छोड़े हुये कैदियों को सजा हुई थी ?

श्री अध्यक्ष--उनको मियाद तक नहीं मालूम तो अपराध क्या बता सकते हैं ? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खेत काटने के लिये पैरोल की दरख्वास्त किस तारीख को दी गई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तफसील मेरे पास नहीं है ।

कलेक्टरी के कुछ कर्मचारियों की एज एक्जेम्पशन के लिए जिलाधीश आजमगढ़ की बोर्ड आफ रेवेन्यु, लखनऊ को सिफारिश

*२९--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, आजमगढ़ ने बोर्ड आफ रेवेन्यू, लखनऊ (Board of Revenue, Lucknow) के पास आजमगढ़ जिले की कलेक्टरी कचेहरी में काम करने वाले कितने ऐसे कर्मचारियों की सिफारिश इस वर्ष एज एक्जेम्पशन (age exemption) के लिये की है, जो विभिन्न पदों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--केवल तीन कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र परिषद् के पास आए ।

*३०--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या यह सच है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू, लखनऊ के पास कुछ ऐसी दरख्वास्तें गोरखपुर डिवीजन की कलेक्टरी कचेहरियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की हैं जो विभिन्न पदों पर अस्थायी तौर से लगभग दस, पन्द्रह, बीस वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं, और उन लोगों ने एज इक्जेम्पशन (age exemption) के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं । ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र परिषद् के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिषद् ने इस पर कब और क्या निर्णय दिया है ?

श्री चरणसिंह--तीनों प्रार्थना-पत्र खारिज हो चुके हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीशों की सिफारिश आम तौर से मान ली जाती हैं या बोर्ड आफ रेवेन्यू उन्हें अस्वीकृत भी कर सकता है ? यदि अस्वीकृत कर सकता है तो किन परिस्थितियों में ?

श्री चरणसिंह---आमतौर पर जिलाधीशों की सिफारिश मान ली जाती हैं। लेकिन यदि वे नियम के विरुद्ध सिफारिश करेंगे तो नहीं मानी जायगी। इसमें नियम के विरुद्ध उनकी सिफारिश इस मायने में थी कि उन लोगों को ही आयु से एक्जेम्पशन दिया जाता है जो पार्टीशन क्लर्क रह चुके हों या बन्दोबस्त वगैरह में काम कर चुके हों। जिनकी सिफारिश जिलाधीश ने की थी वे इस कैटेगरी में नहीं आते थे।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि गोरखपुर डिवीजन के जो क्लर्क कचेहरियों में तीन साल से ज्यादा से काम कर चुके हैं उन्हें स्थायी कर दिया जाय ?

श्री चरणसिंह---इसका इस सवाल से बिलकुल ही वास्ता नहीं है और मैं इस सुझाव पर इस समय विचार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

*३१---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[१३ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३२---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[१३ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३३---**कुंवर श्रीपालसिंह**---[१३ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में महिला मंगल योजनान्तर्गत हस्त-कला के

*३४---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को विविध हस्तकला सिखाने के केन्द्र खोलने का विचार कर रही है यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ?

सामाजिक कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विविध हस्ता-कला सिखाने के लिये निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्र चलाये जा रहे हैं--

(१) बड़ा गांव,

(२) खेता सराय।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन केन्द्रों में इस समय कितनी-कितनी महिलायें प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---सूचना की आवश्यकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह---इन महिलाओं को किन-किन हस्त-कलाओं में शिक्षा दी जा रही है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---कताई, बिनाई और इसके अलावा मशीन से कपड़ा सीना, टोकरी बनाना, इत्यादि, इत्यादि।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि इनके प्रशिक्षण की अवधि क्या है और उन्हें कितना स्टाइपेन्ड मिलता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---स्टाइपेन्ड तो कोई नहीं मिलता है बल्कि वहां ग्राम-सेविकाएं गुजारे के लायक इन्हें काम सिखाती हैं। अवधि कोई निश्चित नहीं है।

भिक्षा वृत्ति-निरोधक विधेयक लाने की प्रार्थना

*३५--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार भिक्षा वृत्ति निरोधक विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं ।

*३६--श्री गंगाप्रसादसिंह--यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--सरकार अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या यह सही है कि कुछ काल पूर्व सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह भिक्षावृत्ति निरोधक विधेयक प्रस्तुत करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा विधेयक लाने पर पुनः विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह तो याद नहीं है कि कोई आश्वासन यहां पर दिया गया था । विचार अवश्य किया गया और हमने अभी तक इसका निर्णय तो नहीं किया कि इसके सिलसिले में कोई विधेयक यहां लाया जाय । इतना विचाराधीन है कि म्युनिसिपल ऐक्ट में कुछ संशोधन किये जावें जिसमें म्युनिसिपैलिटीज को इसका अधिकार प्राप्त हो सके । किस प्रकार का हो, इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--पिछली बार जब इस सदन में एक नान-आफिशियल बिल इस विषय में आया था तो माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वे शीघ्र एक विधेयक लाकर या कुछ और रूप में इस विषय में कार्य करने जा रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस समय से अब तक क्या प्रोग्रेस इस विषय में किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--जैसा कि मैंने अभी बतलाया है कि म्युनिसिपल ऐक्ट को संशोधित करने का विचार किया जा रहा है । यह बात हम देख रहे हैं कि किन शर्तों पर यह अधिकार उनको दिया जाय । अभी तक यही प्रगति हुई है ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार के सामने इस भिक्षा-वृत्ति निरोधक बिल को लाने में यह कठिनाई है कि उत्तर प्रदेश में भिक्षा मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--सबसे बड़ी दिक्कत तो आर्थिक है, इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर गवर्नमेंट लेने के लिये इसलिये तैयार नहीं है कि भिक्षावृत्ति निरोधक कानून के बन जाने पर इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आ जायगी कि वह उनके लिये स्थान तथा आश्रय दे । इसके लिये गवर्नमेंट के पास अभी धन नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो हमारे प्रदेश में डिसएबिल्ड बेगर्स हैं, उनकी सहायता के लिये सरकार कुछ कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--ऐसे डिसऐबिल्ड व्यक्तियों के लिये गवर्नमेंट ने हरद्वार में एक आश्रय गृह खोल दिया है, बनारस में भी एक आश्रय गृह खोलने का प्रस्ताव है ।

न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम का लागू होना

*३७--श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के कितने जिलों में न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम (Minimum Wages Act) लागू है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ प्रदेश के सभी जिलों में लागू है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य को देखने के लिये प्रत्येक जिले में कौन अधिकारी नियुक्त किया गया है, उसका डिजिग्नेशन क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सभी जिलों में तो नहीं, लेकिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लेबर इंस्पेक्टर हैं, जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत कार्य व्यवस्था की देखभाल रखते हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट जो है, प्रदेश के खेतिहर मजदूरों पर भी लागू है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां, खेतिहर मजदूरों पर भी लागू है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो बड़े-बड़े फार्म्स में मजदूर काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर लागू है और जो बिलकुल स्कैटर्ड वे में काम करते हैं, उन पर यह लागू नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्रदेश के १२ जिलों के सभी खेतिहर मजदूरों पर लागू है, बाकी जिलों में ५० एकड़ से ऊपर के जो फार्म्स हैं उन पर लागू है, सिर्फ चार पर्वतीय जिलों को छोड़ कर । उसमें भी तराई भावर क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू करने के लिये सरकारी आज्ञा कुछ ही दिनों में निकल जायगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय श्रम-मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट प्रदेश की जूट मिलों में लागू है या नहीं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--जूट उद्योग में यह ऐक्ट लागू नहीं है, क्योंकि यह उद्योग इस ऐक्ट की अनुसूची में भारत सरकार द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है । जूट मिलों में न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई अलग सरकारी आदेश नहीं, निकला है ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लेबर इंस्पेक्टरों की नियुक्ति कुछ जिलों में की गई है, उनकी नियुक्ति अन्य जिलों में भी की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्रदेश में ८२ इंस्पेक्टर इसके लिये हैं । वाकया तो यह है कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत जो लोगों की उन शिकायतों की मात्रा है उन्हें रफा-दफा करने की बात है, वह इतनी कम है कि उसमें ज्यादा देखभाल हमें करने की जरूरत भी नहीं है ।

डाक्टर जय गोपाल (जिला सहारनपुर)--जिन जगहों पर और जिन मजदूरों पर यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है वहां वे ओवरटाइम ले सकते हैं या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां, उसके लिये ऐक्ट में धारायें हैं जिनके अन्तर्गत ओवरटाइम पेमेंट करने की बात है ।

डाक्टर जयगोपाल--क्या सरकार ने ओवरटाइम पेमेंट करने के लिये रूल्स बना दिये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जहां तक लोकल बाडीज के एम्पलाईज का सम्बन्ध है, प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जो तनख्वाह निश्चित है और जिस शासकीय आज्ञा का जिक्र अभी माननीय मंत्री ने जूट मिल्स के सम्बन्ध में किया है उसका असर मिनिमम वेजेज ऐक्ट पर ज्यादा तनख्वाह होने पर पड़ता है या कम होने पर ?

---

† ६ अगस्त, १९५८ को श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जूट मिलों के श्रमिकों के सम्बन्ध में अलग से कोई सरकारी आज्ञा नहीं निकली है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो शासकीय आज्ञा जूट मिलों के ऊपर लागू है मजदूरों के वेतन के सम्बन्ध में उसके अनुसार मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत उनको ज्यादा पैसा मिलता है या कम ?

†श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जैसा मैं अभी कह चुका हूं जूट मिलों के ऊपर न तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट ही लागू है और न उनमें काम करने वाले श्रमिकों के वेतन के सम्बन्ध में कोई अलग से शासकीय आज्ञा ही निकली है । न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत केवल न्यूनतम वेतन ही निश्चित होता है । जूट मिलों में जो तनख्वाह वर्तमान समय में दी जा रही है वह प्रायः न्यूनतम वेतन के अधिनियमों में निर्धारित वेतन से अधिक ही है ।

*३८--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[१३ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

उन्नाव जिले में मालगुजारी में छूट

*३९--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फसली १३६२, १३६३, १३६४ और १३६५ में जिला उन्नाव की तहसील पुरवा और तहसील उन्नाव में बाढ़ या अन्य कारणों से मालगुजारी में किस-किस फसल में कितनी-कितनी छूट दी गई है ?

श्री चरणसिंह--आवश्यक सूचना संलग्न अनुसूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७५ पर ।)

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि जिस मालगुजारी की छूट का उन्होंने अनुसूची में जिक्र किया है वह वहां के किसानों को प्राप्त नहीं हो रही है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--उक्त क्षेत्रों से क्या कोई शिकायत उनके पास आई है कि उनको इस प्रकार की कोई छूट प्राप्त नहीं हो रही है ?

श्री चरणसिंह--सवाल १३६२ फसली से लेकर अब तक छूट का है । तो सन् १३६२ फसली से जो रेमिशंस दिये गये हैं वे उनको नहीं दिये गये हैं, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है । माननीय मित्र मुझ से मिले थे और शायद उन्होंने कोई दरख्वास्त मेरे पास भिजवाई थी । उसे मैंने जिलाधीश उन्नाव के पास एन्क्वायरी के लिये भेज भी दी है ।

खीरी जिले में एक नई तहसील कायम करने का विचार

*४०--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार धौरहरा कलां, जिला खीरी में एक तहसील बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जिला खीरी में एक और तहसील बनाने की जरूरत मालूम पड़ती है, वह तहसील बनाई जाये या न बनाई जाये और कहां बनाई जाये इस पर गौर हो रहा है ।

*४१--श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)--यदि हां, तो तहसील कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री चरणसिंह--कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती, क्योंकि प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

---

† ६ अगस्त, १९५८ को श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित ।

*४२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[२२ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का गोपनीय पत्र

*४३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास द्वितीय वर्ष १९५६-५७ में केंद्रीय सरकार का कोई पत्र ६० रुपये मासिक तक तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की महंगाई बढ़ाने हेतु दो-तिहाई सहायता दिये जाने के संबंध में आया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र की मुख्य बातें बतायेगी ?

श्री चरणसिंह--राज्य सरकार के पास भारत सरकार के यहां से जनवरी, १९५७ में एक गोपनीय पत्र आया था। इस पत्र में केंद्रीय सरकार ने अपने इस इरादे का उल्लेख किया था कि द्वितीय आयोजना अवधि में ६० रुपये प्रति मास तक वेतन आदि के रूप में पाने वाले राज्य के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में अस्थायी रूप से वृद्धि करने में राज्य सरकार जो व्यय करेगी उसका दो तिहाई केंद्रीय सरकार सहायता के रूप में दे। द्वितीय आयोजना अवधि में जिनका कुल वेतन आदि ६० रुपये और १०० रुपये प्रतिमास के बीच में हो उनको भी अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिये जाने के संबंध में एक तिहाई तक की सहायता देने का सुझाव भी दिया था। उक्त पत्र गोपनीय होने के कारण उसकी और बातें बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

*४४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त दो-तिहाई सहायता को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--पिछले वर्ष जो व्यय अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर हुआ उस पर केंद्रीय सरकार से सहायता मांगी गई और वह सहायता प्राप्त हो चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि उक्त पत्र में यह सिफारिश की गई थी कि १२ रुपये माहवार तक अगर मंहगाई भत्ता ६० रुपये तक दिया जायगा तो उसका भी दो तिहाई केन्द्रीय सरकार देगी ?

श्री चरणसिंह--मैं जवाब दे चुका हूं कि पत्र सीक्रेट था इसलिये उनकी और बातें बताना जनहित में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिस पत्र को वह गोपनीय कह रहे हैं वह सेकेंड फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अपेंडिक्स में छप कर अब तक पब्लिक डाक्यूमेंट हो चुका है और बाजार में बिक रहा है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, मैं लाइलमी प्लीड करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सेकेंड फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अपेंडिक्स में यह पत्र छपा है उसमें यह लिखा हुआ है कि १२ रुपये माहवार अगर मासिक महंगाई भत्ता देंगे... ...

श्री अध्यक्ष--जब वह कह रहे हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं तो कैसे बता सकते हैं। आप उनसे अपना सुझाव देते हुये पूछिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो पत्र छपा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि १२ रुपये मासिक महंगाई भत्ता दिये जाने पर दो तिहाई केंद्रीय सरकार मदद देगी तो उस मदद को प्राप्त करने हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री चरणसिंह--फिर उन्होंने १२ रुपये और जो १० रुपये का जिक्र किया है मेरी गुजारिश है कि हमारे पास जो पत्र आया है वह गोपनीय है। अब वह किसी पेपर में छपा हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि अब तक उस महंगाई भत्ता हेतु कितना रुपया केंद्रीय सरकार से प्राप्त कर चुकी है ?

श्री चरणसिंह---पिछले वर्ष १ अगस्त, १९५७ से हमने ५ रुपये भत्ता बढ़ाया था। वह कुल साल के लिये ३ करोड़ ६७ लाख रुपया होता था। लेकिन चूंकि ७ महीने का ही दिया इसलिये २ करोड़ १० लाख रुपया होता था। उसका उन्होंने दो तिहाई यानी १ करोड़ ४० लाख रुपया दे दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मंत्री जी बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार को इस पत्र का उत्तर प्रांतीय सरकार की ओर से क्या दिया गया ?

श्री चरणसिंह---जो हमने फैसला किया है वही जवाब दिया कि हम ५ रुपया भत्ता बढ़ाने को तैयार हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बतायेगी कि ६० रुपये तक तनख्वाह हो जाय उसमें जो भत्ते की बढ़ोत्तरी होगी, मौजूदा तनख्वाह भत्ता से, उसका दो बटे तीन केंद्रीय सरकार ने देने को कहा था और सरकार ने ५ रुपये बढ़ोत्तरी की है १०० रुपये तक पाने वालों के लिये। उसका एक बटे तीन केंद्रीय सरकार ने देने को कहा था। तो जो सरकार को केंद्रीय सरकार से रुपया प्राप्त हुआ है वह दो बटे तीन के हिसाब से हुआ है या एक बटे तीन के हिसाब से।

श्री चरणसिंह---शुरू में जो खत आया था जनवरी, १९५७ में तो उसका आशय यही था जो मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया। लेकिन बाद में केंद्रीय सरकार का जो खत आया है उसमें इस बात के लिये वह राजी हो गये कि हम चाहे वह ६० रुपये से १०० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले ही कर्मचारी क्यों न हों, उसका भी जो भत्ता स्टेट गवर्नमेंट बढ़ायेगी उसका दो तिहाई देंगे।

श्री गेंदासिंह---माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि जो केंद्रीय सरकार की सलाह थी पहले उसे अब मानने का विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---कौन सी सलाह ?

श्री गेंदासिंह---जो केंद्रीय सरकार ने सलाह दी थी कि सबको दे दिया जाय और वह सहायता उसमें राज्य सरकार को करेगी, तो उस सलाह के अनुसार अब वित्त मंत्री जी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---वह तो सलाह के मुताबिक कार्यवाही कर रहे हैं।

*४५-४६---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---[१३ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

घरेलू कर्मचारी यूनियन, देहरादून का कथित प्रस्ताव

*४७---**श्री मदन पांडेय**---क्या उत्तर प्रदेश घरेलू कर्मचारी (यूनियन) देहरादून की ओर से मई, १९५८ में कोई प्रस्ताव कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उन मांगों को तथा उनके प्रति सरकारी दृष्टिकोण को सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की जानकारी में देहरादून में कोई घरेलू कर्मचारी यूनियन है भी या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां तक सचिवालय का संबंध है सरकार का और सचिवालय का, उसके पास कोई जानकारी इसकी नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९५८ के बजाय उसके पहले या बाद में १९५८ में इस प्रकार की कोई मांग आई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां तक मेरी जानकारी है कोई इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र सरकार के पास नहीं आया है।

जिला पिछड़ा वर्ग संघ, इटावा की ओर से लेखपाली ट्रेनिंग के लिए प्रार्थना-पत्र

*४८--- श्री गरीबदास (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पिछड़ा वर्ग संघ, इटावा की ओर से कितने लेखपाली ट्रेनिंग के प्रार्थना-पत्र माह अप्रैल, १९५८ में जिलाधीश इटावा के यहां ट्रेनिंग के लिये भेजे गये, उनमें से कितने आदमी लेखपाली की ट्रेनिंग के लिये चुने गये ?

श्री चरणसिंह---२१ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र भेजे गये किन्तु नियत अवधि (३१ मार्च) के बाद का होने से उन पर विचार नहीं किया गया, जिससे प्रार्थियों में से कोई नहीं चुना जा सका।

श्री गरीबदास---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस चुनाव तिथि का प्रचार किस प्रकार किया गया था ?

श्री चरणसिंह---यह तो मुझको नहीं मालूम है। गालिबन कलेक्ट्रेट की इमारत में जो नोटिस बोर्ड बरामदे में होता है उस पर वह नोटिस लगाया गया था या मुकामी अखबार में। लेकिन आपकी इजाजत से मैं बता दूं कि बैकवर्ड क्लासेज एसोसिएशन की तरफ से जो नाम भेजे गये क्योंकि डेट से बाहर थे इसलिये उस पर विचार नहीं हुआ लेकिन वैसे १० लेखपाल चुने गये और उनमें से ५ बैकवर्ड क्लास के थे।

श्री गरीबदास---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आये हुये प्रार्थना-पत्र वालों को अगले चुनाव में प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, उनको फिर बाकायदा अलग-अलग दरख्वास्त कलेक्टर के यहां देनी होगी।

राज्य के सीमा सम्बन्धी विवाद

*४९---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान समय में राज्य के किन-किन पड़ोसी राज्यों से उसके सीमा संबंधी विवाद चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---उत्तर प्रदेश राज्य के सीमा संबंधी विवाद बिहार, मध्य प्रदेश, देहली, पूर्वी पंजाब तथा हिमांचल प्रदेश से चल रहे हैं।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी इन विवादों के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री चरणसिंह---अगर आप इजाजत दें तो मैं बतला सकता हूं.....।

श्री अध्यक्ष---बहुत बड़ा जवाब होगा, तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

नोट---ताराँकित प्रश्न ४९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गोरखपुर जिले में आग लगने से क्षति

*५०--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में गोरखपुर जिले में कितनी आग लगने की घटनायें हुईं तथा उनमें कितनी जन-धन की क्षति हुई ?

श्री चरणसिंह--चालू वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में गोरखपुर जिले में आग लगने की १०९ घटनायें हुईं तथा उनमें चार मनुष्यों व ६४ पशुओं की मृत्यु हुई तथा करीबन ३,३१,३५८ रुपय की क्षति हुई।

*५१--श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--[५ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५२--श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)--[१८ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इटावा जिले के महिला मंगल केन्द्र

*५३--श्री अभयराम यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इटावा जिले में कोई महिला मंगल केंद्र खोला गया है ? यदि हां, तो कितनी महिलाएं उसमें प्रशिक्षण पा रही हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इटावा जिले में दस महिला मंगल केंद्र खोले गये हैं। उन केंद्रों में इस समय २६२ महिलाएं प्रशिक्षण पा रही हैं।

*५४--श्री अभयराम यादव--[१८ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्वालियर रोड, झांसी में मजदूरों के लिए क्वार्टरों की आवश्यकता

*५५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी शहर में मजदूर लोगों के रहने के लिये ग्वालियर रोड पर कुछ क्वार्टर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं। इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*५६--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--[१३ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जनरल फैबर डीलर्स लिमिटेड, ताल कटोरा, लखनऊ के मजदूरों का प्रार्थना-पत्र

*५७--श्री सुरथबहादुरशाह--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अप्रैल, १९५८ में उन्हें जनरल फैबर डीलर्स लिमिटेड, ताल कटोरा, लखनऊ के मजदूरों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसका संबंध मिल के बन्द किये जाने से था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। उस पर उचित कार्यवाही की गई।

*५८--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--[१३ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले में अपने निवास-स्थान की सर्किल में काम करने वाले लेखपाल

*५९--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव में ऐसे लेखापाल कितने हैं जिनका निवास स्थान उन्हीं की लेखपाल सर्किल में है ?

श्री चरणसिंह--बौदह।

*६१--कुंवर श्रीपाल सिंह--[माननीय सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण ६ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में मुल्तवी तक़ावी और मालगुजारी की वसूली

*६२--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में इस समय कई वर्ष की मुल्तवी तकावी और लगान की वसूली एक साथ हो रही है ?

श्री चरणसिंह--जिला आजमगढ़ में मुल्तवी शुदह तकावी और मालगुजारी की वसूली की जा रही है।

मैनपुरी जिले में परगना हाकिमों के विचाराधीन मुक़दमे

*६३--श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में प्रत्येक हाकिम परगना के यहां १९५६ के और १९५७ के कितने-कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह--३० जून, १९५८ को हाकिम परगना मैनपुरी व करहल के इजलास में सन् १९५६ के दो साल के मुकदमें और सन् १९५७ के १३ साल के तथा पांच फौजदारी के मुकदमें विचाराधीन हैं। हाकिम परगना शिकोहाबाद के इजलास में सन् १९५७ के आठ साल के मुकदमें विचाराधीन हैं। अन्य हाकिम परगना साहबान के इजलासों में ऐसे कोई मुकदमें नहीं हैं।

*६३--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--[हटा दिया गया।]

जौनपुर जिले में लेखपाल की ट्रेनिंग के लिये चुनाव

*६४--श्री माताप्रसाद--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले से लेखपाल की ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु जुलाई, सन् १९५८, ई० के लिये कितने अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया है और उनमें परिगणित जाति के कितने अभ्यर्थी हैं ?

श्री चरणसिंह--१६ अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया जिनमें से चार परिगणित जाति के हैं।

खटेमा तहसील को पीलीभीत जिले में मिलाने के संबंध में जानकारी

*६५--श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह खटेमा तहसील को पीलीभीत जिले में मिलाने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह--सरकार के सामने ऐसी कोई तजवीज इस वक्त नहीं है ।

*६६--श्री मुनीन्द्रपालसिंह--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या वह जिला पीलीभीत व जिला लखीमपुर के बीच के हिस्से को भी जो कि शाहजहांपुर जिले में है, पीलीभीत जिले में मिलाने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह--सरकार के सामने ऐसी कोई तजवीज विचाराधीन नहीं है ।

नैनीताल जिले में स्थित तराई-कालोनाइजेशन स्कीम पर व्यय

*६७--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह जिला नैनीताल में स्थित तराई-कालोनाईजेशन स्कीम में कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? क्या सरकार का विचार उसे स्थगित करने का है ?

श्री चरण सिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

तहसील बिसवां, जिला सीतापुर में वृहत् जोत-कर अधिनियम के अन्तर्गत किसानों पर कर

१--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर ज़िले में कितने किसानों पर Large Holding Agricultural Act के मातहत income-tax लगाया गया ?

श्री चरणसिंह--जिला सीतापुर में अब तक वृहत् जोत कर अधिनियम (Large Land Holdings Tax Act) के अन्तर्गत ३५४ किसानों पर कर लगाया गया ।

२--श्री गनेशीलाल चौधरी--इसी जिले की बिसवां तहसील में कितने किसानों पर यह टैक्स लगाया गया ?

श्री चरणसिंह--बिसवां तहसील में ७१ किसानों पर अब तक यह कर लगाया गया ।

कानपुर रीजनल एम्पलायमेंट एक्सचेंज में टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए चुनाव

३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो कानपुर रीजनल इम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में माह अप्रैल, १९५८ में टेक्निकल ट्रेनिंगों के वास्ते चुनाव हुआ है उनमें कितने अभ्यर्थियों को वजीफा देकर ट्रेनिंग में भेजा जायगा और कितने को बिना वजीफे के ?

आचार्य जुगलकिशोर--कानपुर रीजनल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में चुने गये अभ्यर्थियों को विभिन्न ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग देने के लिए भेज दिया गया है--चुनाव के समय वजीफा देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता--अतः इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि कितने अभ्यर्थियों को वजीफा देकर ट्रेनिंग में भेजा जायगा और कितनों को बिना वजीफा देकर ।

४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जिनको वजीफा देकर वजीफों के साथ ट्रेनिंग में भेजा जायगा उनमें कितने बैकवर्ड तथा परिगणित हैं ? जो बिना वजीफे के ट्रेनिंग में जायेंगे उनमें कितने बैकवर्ड तथा परिगणित हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जब तक वजीफा स्वीकृत नहीं होता तब तक यह सूचना देना सम्भव नहीं है ?

अतिवर्षा से जगनेर के पास भारा बांध में अत्यधिक पानी भर जाने तथा दरार पड़ जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--यह कामरोको प्रस्ताव है । श्री पालीवाल जी का कामरोको पहला प्रस्ताव है कि :--

"अति वर्षा और जगनेर के पास भारा बांध में २३ फीट की जगह २७ फीट पानी भर जाने तथा उस बांध के लोहे के फाटक के जाम हो जाने एवं बांध में कई जगह दरार हो जाने से आस-पास के गांवों के निवासियों के लिए धन-जन की भारी हानि की आशंका से जो विषम परिस्थिति पैदा हो गई है उस पर विचार करने के लिए सदन का आज का कार्य स्थगित किया जाय ।"

[श्री अध्यक्ष]

अब यह आपके पास जो सूचना आई है उसके हिसाब से आपने यह दिया है कि उससे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यह एक दम से कोई निश्चित विषय नहीं मालूम होता, लेकिन अगर ऐसी बात हो गयी हो तो सरकार को जरूर मालूम होगा। मैं इस काम रोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता हूं, अनिश्चितता के कारण, लेकिन अगर इस सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार दे दे जानकारी के लिए तो अच्छा है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, कोई चार दिन हुए, मेरे पास रात के कोई १२ बजे एक टेलीफोन आया, आगरे से कि जगनेर के पास बाढ़ आ गयी है और वहां लोगों को काफी तकलीफ होने की आशंका है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फोन किया। मालूम यह हुआ, जैसाकि इसमें लिखा है कि पास में एक बांध के टूट जाने की वजह से पानी बढ़ आया और वहां पर जबकि वार्षिक रेन फाल २४ इंच होता है, एक साथ २० इंच पानी गिर गया। तो स्वाभाविक बात है कि पानी बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और बाढ़ आ जायगी। तो सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां गये। मेरी उनसे फोन पर बात हुई और उन्होंने काफी प्रबन्ध कर दिया है। वहां एक नाव का इन्तजाम कर दिया गया और हवाई जहाज से उड़कर उन्होंने देखा कि किस जगह क्या-क्या तकलीफ है। इस वक्त मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं है। तात्कालिक सहायता दे दी गयी और दूसरे किस्म की सहायता भी दी जायगी, किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने पायेगी। यह भी मालूम हुआ कि जान किसी की नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने लिखा है कि कई जगह दरार हो जाने से, तो क्या बांध फट गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---टेलीफोन से मालूम हुआ कि बांध जरूर कट गया, लेकिन कोई ब्योरे की इत्तला नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे केवल दो निवेदन करने हैं। एक तो यह कि यह प्रश्न निश्चित है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बयान से स्पष्ट है कि वहां बांध में दरार हो गयी है और बांध का जो फाटक है वह इतना जाम हो गया है कि मिलिटरी एड भेजी गयी है, जिसका कहना यह है कि शायद हमको डाइनामाइट से फाटक उड़ाना पड़े। साथ ही एक दूसरा बांध जो बिर्धोली का है उसके टूट जाने की भी खबरें मिली हैं। माननीय जगन्नाथ लहरी जो आगरे से आये हैं उनसे मालूम हुआ और आगरे के जो स्थानीय पत्र हैं उनमें से दो की कापियां मेरे पास हैं। तो विषय तो निश्चित है। मैं यह नहीं चाहता कि यहां पर कोई वादविवाद हो या कार्य-स्थगन हो, लेकिन यह अवश्य चाहता हूं कि आज नहीं तो कल माननीय मुख्य मंत्री या कोई और मंत्री इस सम्बन्ध में पूरी सूचना मंगा करके दें। चूंकि यह दो-तीन दिन पहले की सूचनाएं हैं। इस बीच में अगर बांध टूट गया हो तो अवश्य धन-जन की हानि हुई होगी और तात्कालिक सहायता पर्याप्त है या नहीं, यह हम जानना चाहेंगे। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि इन बातों की सूचना आज रात तक मंगा करके कल वह सदन को देने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह उचित ही है कि जब यह निश्चय हो गया कि ऐसी बात है---लेकिन बहस करने से तो कुछ मालूमात मिलेंगी नहीं, इसलिए आप चाहते हैं, कि जो कुछ इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता है माननीय मंत्री जी प्राप्त कर लेंगे और कल इस विषय में, आगे क्या परिस्थिति पैदा हुई, उस सम्बन्ध में सूचना दे देने की कृपा करेंगे।

बी० एम० बी० एस० के एक विद्यार्थी की भूख हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है "बी० एम० बी० एस० छात्रों की मांगों की पूर्ति के लिए भूख हड़ताल कर रहे विद्यार्थी श्री गर्ग का आज आठवां दिन है और छात्र की हालत चिन्ताजनक है। इसकी सहानुभूति में आज लखनऊ की सभी शिक्षा संस्थाओं में छात्रों ने पूर्ण हड़ताल की है। छात्रों की इस व्यापक हड़ताल से विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है इसलिए इस तात्कालिक महत्व के प्रश्न पर विचार के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अगर आज्ञा हो तो मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, यह हड़ताल का मामला है।

श्री उग्रसेन--परिस्थिति बड़ी गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष--इसीलिए मैं सरकार से पूछूंगा इस विषय में। मैं उन से ही कह रहा हूं। कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता, बी० एम० बी० एस० छात्रों की हड़ताल का प्रश्न कोई नया नहीं है। यह हड़ताल पहले भी जारी थी बीच में छुट्टियां हुईं और फिर भी अभी तक हड़ताल जारी है। तो यह पुराना विषय हो गया। लेकिन उनके साथ और विद्यार्थी अब हड़ताल में सम्मिलित हो गये हैं और माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव में कहते हैं कि आज १० हजार विद्यार्थियों की हड़ताल हुयी। यह परिस्थिति जरा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं सरकार से कहूंगा कि जो सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं वे जानकारी सदन को दे दें कि क्या परिस्थिति है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, कितने विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं यह तो कोई ठीक कह नहीं सकता। मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि इस वक्त लखनऊ में अधिकांश शिक्षा संस्थाएं सवेरे खुलती हैं और वे सबकी सब आज खुली थीं, एक भी उनमें से बन्द नहीं थी। तो यह तो मालूम है और यह हमने सुना है कि कुछ विद्यार्थी किसी वक्त आज दिन में यूनिवर्सिटी से चलने वाले हैं। कितने होंगे संख्या में, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री उग्रसेन---भूख हड़ताल के सिलसिले में जो श्री गर्ग मर रहे हैं उनकी जान को मंत्री महोदय बचायें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। आपने कह दिया, मंत्री जी उस पर विचार करेंगे।

बाराबंकी जिले में अराजकता के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक कामरोको प्रस्ताव है श्री जंगबहादुर वर्मा का कि 'बाराबंकी जिलान्तर्गत थाना फतेहपुर, थाना कुर्सी, रामनगर, कोठी, सफदरगंज, रामसनेहीघाट, सुबेहा, मेलसर, मवई, लोनी कटरा थानों के अन्दर गत चार माह से कत्ल, डकैतियों एवं चोरियों तथा मारपीट की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण समूचे जन-पद में आतंक छा गया है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः इस विषम परिस्थिति पर विचार हेतु सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

वे खुद ही कह रहे हैं कि चार मास से यह परिस्थिति है। तो माननीय सदस्य को अगर इस विषय में कुछ कहना था तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर वाद-विवाद के सम्बन्ध में वे उसका जिक्र कर देते। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय इसलिए नहीं हो सकता चंकि पुराना विषय है।

सरयू नदी में पानी बढ़ने के कारण गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में कटाव होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक श्री राजनारायण जी का कामरोको प्रस्ताव है कि "गत ४८ घंटे में सरयू नदी में आकस्मिक पानी बढ़ने के कारण गोरखपुर जिलान्तर्गत गोला लगायत देवरिया के चुरिया नदौली तक सरयू नदी के बायें किनारे पर भीषण कटाव प्रारम्भ हो गया है जिसके कारण गोला, डेरवा, सीघेपौर, बगहा, जगराम कोल (गोरखपुर) तथा कूरत परसिया, राजपुर, भागलपुर, बरहज, चुरिया, खेमादेई, नदौली देवरिया के गांवों का अस्तित्व खतरे में है । सरकारी सहायता के अभाव में उस क्षेत्र के बीस हजार से अधिक लोगों का जीवन संकटापन्न स्थिति में है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अतः सदन इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज की कार्यवाही स्थगित करता है ।"

श्री अध्यक्ष---मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि यह कहां तक निश्चित है और इसमें जानकारी उनकी क्या है, उसको जानने के बाद में फैसला दूंगा ।

श्री चरणसिंह---लेकिन मुझे इस एडजर्नमेंट मोशन की इत्तला नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इसको कल लूंगा । मंत्री जी के पास यह प्रस्ताव पहुंचा नहीं । मैं देखूंगा कि कोई हमारे यहां से गलती हुई या कहां से हुई ।

कार्य परामर्श समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति के नियम ५ के अन्तर्गत कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी ३० जुलाई, १९५८ की बैठक में यह निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८, उत्तर प्रदेश कोर्टफीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश तथा उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश के लिये तीन दिन अर्थात् जुलाई ३०,३१ तथा १ अगस्त, १९५८ को सदन के उठने तक, तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ के लिये एक दिन अर्थात् ४ और ५ अगस्त, १९५८ को चार घंटे का समय तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ के लिये ५ अगस्त का शेष दिन, ६ अगस्त का पूरा दिन और ७ अगस्त, १९५८ को सवा बजे दिन तक का समय निर्धारित किया जाय ।

कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८, उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश, उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण

(संशोधन) विधेयक, १९५८, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस कार्यक्रम में एक संशोधन करना चाहता हूं और वह यह कि इस पर विचार करने के लिये इसे कार्य परामर्शदात्री समिति के पास भेज दिया जाय । कल बातचीत हुई थी माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन में कि फूड स्केयरसिटी के ऊपर विवाद के लिये एक दिन निर्धारित होगा । लेकिन इस संकल्प से ७ तारीख तक की तिथि तो निर्धारित हो चुकी है, इसलिए अगर यह स्वीकृत हो जाता है तो इसके लिये कठिनाई होगी और मैं समझता हूं कि फूड के मामले को प्राथमिकता देनी चाहिये । इसलिये मैं समझता हूं कि नेता सदन की राय लेकर तथा कार्य परामर्शदात्री समिति की राय लेकर इस पर दूसरे वक्त विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---इस विषय में परामर्शदात्री समिति के सामने यह प्रश्न आया था । लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वह समिति तो केवल समय निर्धारित करती है हर एक विषय के लिये । अगर कोई महत्वपूर्ण विषय बीच में विचारार्थ आ जाता है तो जितने घंटे उसकी बहस में दिये जाते हैं, उतने ही घंटे निश्चित काम के लिये बाद में पूरे कर दिये जाते हैं । आप तो यह निश्चय कर रहेहैं कि कितना समय विधेयक में लगेगा । इसलिये अगर फूड के ऊपर बहस करने के लिये एक दो रोज के लिये सवाल बीच में आ जाता है तो पहले उसको प्राथमिकता मिलेगी । और जिस दिन बहस के लिये निश्चित करेंगे उस दिन बहस होगी और फिर निश्चय समय बाद में दे दिया जायगा, इन विधेयकों को । इसलिये सदन के निश्चयों के लिये ऐसी अंतरिम बहसें बाधक नहीं हो सकतीं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---आप देखते हैं कि अन्न की परिस्थिति पर रोज काम रोको प्रस्ताव आ जाते हैं जिससे आपको भी दिक्कत होती है और आप सुझाव देते हैं कि या तो राज्यपाल के सम्बोधन पर बहस हो गई या फिर आगे विवाद में बहस होगी ।

श्री अध्यक्ष---मेरे कष्टों का आप जिक्र न करें । वह तो बने ही रहेंगे ।

श्री राजनारायण---अगर सदस्य आपके कष्टों को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा ?

श्री अध्यक्ष---मेरा कष्ट तो बना ही रहेगा, क्योंकि आप न देंगे तो भी दूसरे प्रस्ताव आ जायेंगे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि श्री त्रिलोकी सिंह जी ने तो अपनी राय दे दी है कि विवाद होना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी उन्होंने कहा है और हम लोग भी उनसे मिले हैं और तमाम संकटों को उनके सामने प्रस्तुत किया है और इस सवाल को लेकर अगर आज माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें कि परसों या कल विवाद होगा तो हम लोगों को भी आसानी होगी । जितने आंकड़ें हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं सब को जुटा कर सदन में आयें ताकि अच्छा विवाद हो ।

श्री अध्यक्ष---आप तो यह मान कर चलिये कि अगर कल के लिये कह दें तो क्या उसके लिये आप तैयार हैं ?

श्री राजनारायण---हम यह चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने मुखारबिन्द से कुछ कहें ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दोनों मिलकर तय कर लेंगे। मैं आशा करता हूं और आप को भी विश्वास रखना चाहिये कि जब नेता सदन और नेता विरोधी दल यह बातचीत कर रहे हैं तो निश्चय ही कोई न कोई जल्दी ही तारीख तय करेंगे, देर लगाने की उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिये ।

श्री राजनारायण—एक निवेदन आपके द्वारा और करूं । मैं यह कह रहा हूं कि दिक्कत हमारी क्या है, आप उसको नहीं जानते हैं । पहली तारीख से सात तारीख तक अकाल निवारण सप्ताह सारी सोशलिस्ट पार्टी मना रही है और नौ तारीख से हमारा घेरा डालो आन्दोलन चलेगा तो हम को आसानी होगी अगर विवाद इससे पहले हो जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, सदन के नेता से कि यह इच्छा इधर सब लोगों की तो है ही, मेरा ख्याल है उधर के लोग भी चाहते होंगे । इसलिये जितनी शीघ्र हो सके उतनी ही शीघ्र अपनी ओर से कोई दिन निकाल कर सूचना देने की कृपा करें ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों की जो इच्छा है उसका मैं आदर करता हूं और निश्चय ही इसके लिये बहुत जल्द कोई दिन निश्चय करूंगा । जैसा कल माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था एक दो दिन के अन्दर हम कोई दिन निश्चय कर देंगे । आज तो मैं नहीं कह सकता । मैं आशा करता हूं कल तक बता सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८, उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस संशोधन विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश तथा उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ में विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश के लिये तीन दिन अर्थात् जुलाई ३०, ३१ तथा अगस्त १, १९५८ को सदन के उठने तक तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, १९५८ के लिये एक दिन अर्थात् ४ और ५ अगस्त, १९५८ को ४ घंटे का समय तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, के लिये ५ अगस्त का शेष दिन, ६ अगस्त का पूरा दिन तथा ७ अगस्त, १९५८ को सवा बजे दिन तक का समय निर्धारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

समाचारपत्रों में कार्यवाही ठीक न छपने की शिकायत

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करूंगा कि मैंने एक पत्र आपको दिया था । मैं आपसे इतना निवेदन कर दूं कि बहुत परेशान होकर वह मैंने लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसे देखा नहीं है । मैं कल देख कर कुछ कह सकूंगा ।

श्री राजनारायण—हमने भेज दिया था पहले ही । बात यह है कि इस सदन में जो प्रेस प्रतिनिधि बैठते हैं—तमाम पारलियामेंटरी प्रैक्टिस देखी जाय, जो विभिन्न दल भिन्न-भिन्न विचारों को रखते हैं उनका सही प्रतिनिधित्व करना उनका कर्तव्य होता है । मैं ऐसा देखता हूं कि कभी-कभी तो समाचार-पत्र में मैं जो बात कहता हूं उसके बिलकुल उल्टी निकल जाती है । पी० टी० आई० के बारे में तो खास शिकायत है ।

श्री अध्यक्ष—जो आपने लिखा है उसको मैं पहले देख लूं । फिर मैं जिक्र करूंगा ।

कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी जो प्रस्ताव पास हुआ है सदन में उसके सम्बन्ध में एक सूचना चाहता हूं। प्रस्ताव यह है कि पहली तारीख तक यह जिला अंतरिम परिषद् विधेयक और अमुक-अमुक विधेयकों पर बहस हो। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि कितना समय किस विधेयक के लिये है। इसलिये यदि यह स्पष्ट कर दिया जाय तो हम लोगों को उसके अनुसार विचार-विनिमय करने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव में कुछ बातें गोल रूप में इस कारण रक्खी गयीं, क्योंकि अंतरिम जिला परिषद् विधेयक संभवतः जितना उसके लिये समय निर्धारित किया गया है उससे पहले ही पारित हो जावे। ३ दिन अन्तरिम जिला परिषद् वाले विधेयक के लिये रहेंगे यानी उसके लिये ३ रोज पूरे पहली तारीख के ५ बजे तक रहेंगे और वह विधेयक पहली तारीख के ५ बजे तक चलेगा। कुछ समय उस दिन बैठक का और बढ़ा देने का विचार था जिसमें बाकी जो छोटे विधेयक हैं वे तीनों १ घंटे में शायद समाप्त हो जांय तो कुछ समय बढ़ाकर उनको ले लिया जायगा और समाप्त कर दिया जायगा, लेकिन अगर ५ बजे के पहले ही जिला परिषद् वाला विधेयक समाप्त हो गया और कोई बहस करने वाला नहीं रहा तो छोटे विधेयक पहले ले लिये जांयगे। इसलिये प्रस्ताव गोल-सा कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहली तारीख के ५ बजे तक पहले विधेयक पर बहस कर सकेंगे। उसके बाद थोड़ा सा समय बढ़ाकर वह छोटे विधेयक ले लिये जांयगे या जो सुझाव विधान परिषद् से आये हैं वे विचारार्थ ले लिये जांयगे और उन पर विचार खत्म कर दिया जावेगा।

पायनियर में गलत कार्यवाही छपने की शिकायत

श्री अध्यक्ष—चूंकि राजनारायण जी ने इस प्रकार का आज प्रश्न उठाया था तो मैं भी एक छोटी-सी सूचना इस सम्बन्ध में दे देना चाहता हूं। आज पायनियर में मैंने देखा कि मैंने जो कल अपना फैसला दिया था कि १४ दिन कब बीतेंगे यानी विधान परिषद् से कोई बिल आने के बाद १४ रोज कब बीतेंगे। उसके बारे में मैंने क्या फैसला दिया उसके सम्बन्ध में गलतफहमी पायनियर वाले प्रतिनिधि को हो गई। मैंने स्पष्ट यह निर्णय दिया था कि इसमें कोई खतरा नहीं है कि १४ वर्किंग डेज समझे जायं। उसका अर्थ यह है कि फिर से वह विधेयक परिषद् के विचारार्थ तब तक रहेगा जब तक १४ वर्किंग दिन न व्यतीत होंगे और वह गवर्नर के पास एकदम से भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कार्य ही से कोई खतरा नहीं है। किसी विधेयक पर विचार करके परिषद् कोई सुझाव देगी तो अन्तिम निर्णय इसी सदन के सामने आयेगा और जो बात यह सदन स्वीकार करेगा उसी प्रकार अधिनियम बन जायगा। फिर उसको अवैध करार देने का कोई खतरा नहीं रहता है। इसलिये मने इस वक्त के लिये अन्तिम फैसला दे दिया था कि वह फैसला संबंधित विधेयकों के लिये भी लागू होगा जो कि विधेयक सामने थे यानी उन दोनों विधेयकों के लिये लागू होगा।

एडवोकेट जनरल की राय के लिये जो सवाल भेजा गया है वह आम सवाल भेजा है कि उनका संविधान के अनुच्छेद का उनकी दृष्टि में क्या इन्टरप्रिटेशन होता है, वे बतायें। जो इन्टरप्रिटेशन उनका होगा उसके ऊपर विचार करके यदि मैं उसे उचित समझूंगा कि उनका इन्टरप्रिटेशन सही है तो वह इन्टरप्रिटेशन अगले समय के लिये लागू होगा। इस वक्त के लिये इन विधेयकों के बारे में मैंने फैसला कर दिया है, लेकिन पायनियर ने यह लिखा है कि फिलहाल उन विधेयकों पर विचार स्थगित हुआ, क्योंकि फैसला मैंने अन्तिम नहीं दिया बल्कि उसको पेंडिंग रखा। इस तरह की ध्वनि उसकी खबर छापने में हेंडिंग से आती है। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में पायनियर से जो गलती हेंडिंग देने में हो गई है उसको वह दुरुस्त करेंगे। ऐसी गलतफहमी हो जाना मैं समझता हूं स्वाभाविक है, क्योंकि जो कानूनी दो रायें थीं जिनका मैंने जिक्र किया था। पत्र प्रतिनिधि ने कोई जानबूझकर गलती नहीं

[श्री अध्यक्ष]

की। एडवोकेट जनरल को रेफर करने के कारण उन्होंने विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रश्न को मैंने पेंडिंग रक्खा ऐसा गलती से समझ लिया। एडवोकेट जनरल की राय आने पर यदि मैं उनसे सहमत हुआ तो वह आगे के लिये लागू होगी, लेकिन इस वक्त के लिये मैंने फैसला दे दिया था।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन†

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर० ए-एम-१५-४८३-एम-टी-३०--४८४२-५७, दिनांक १५ मई, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा) (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

कल हम लोगों ने इससे संबंधित जो आर्डिनेन्स था उसके सिलसिले में काफी बातें कर ली हैं। मेरी प्रार्थना तो सदन से यही थी कि इन दोनों विषयों को एक साथ मिला लिया जाय ताकि पुनरुक्ति में जो समय नष्ट हो वह बच जाय। आज मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों का जो कल यहां सदन में स्पष्ट हो गई हैं, कम से कम जिक्र करूं, लेकिन मुझे डर है कि कुछ बातें बार-बार आयेंगी जरूर। मेरी प्रार्थना यह जरूर है कि किस तरह से यह आर्डिनेन्स आया और किस तरह से हम लोगों ने अन्तरिम परिषद् बनाने का विचार किया, उसकी तवारीख पर हम ज्यादा न जायं। सिर्फ जहां तक विषय को समझने के लिये जरूरी है उसका फिर से उल्लेख करना जरूरी मालूम होता है। विचार यह था कि जिस तरह से हमारे जिला बोर्ड चल रहे हैं वह संतोषजनक तरीका नहीं है और जिला बोर्डों को ज्यादा अधिकार दिये जायं। यह भी जरूरी था कि जिस तरह से सेन्टर में हमारी एक सरकार है और जनमत से चुने हुये वहां पर हमारे प्रतिनिधि सारे देश का काम करते हैं, जिस तरह से राज्यों में विधान परिषद् और विधान सभाएं हैं और गांव में गांव सभाएं हैं उसी तरह से उनके बीच में एक बीच की लड़ी होनी चाहिये कि जिससे जनमत द्वारा जिलों का काम चल सके। यह भी एक प्रस्ताव था कि ब्लाक लेविल पर यह काम किया जाय, वहां पर कोई ऐसी स्टैचुयेरी कमेटीज हों।

हमारे राज्य ने यह निर्णय किया कि ब्लाक लेविल पर यह काम करना हमारी जनशक्ति आदि को देखते हुए मुश्किल होगा और सरकार का सीधा संबंध ७, ८ सौ ब्लाकों से हो यह भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिये निर्णय इस चीज के पक्ष में हुआ कि जिला स्तर पर ही जनमत द्वारा कार्य संचालित हो और इस दृष्टि से डी० एम० के बहुत से काम और दूसरे विभागों में जो जिला स्तर पर काम होते हैं वह तमाम सब जिला बोर्ड को दे दिये जायं और जिलों में जो आदमी चुन कर आयें वह उस काम को चलायें और संक्रमण काल में जब तक जिला परिषद् इस योग्य न हो जायं कि पूर्णतः उनके ऊपर सब काम छोड़ दिया जाय, तब तक कुछ अधिकार सरकार अपने हाथ में रखे। किसी जगह सलाह देने का, दुरुस्ती करने का या जहां बहुत ज्यादा गड़बड़ परिस्थिति हो वहां हस्तक्षेप करने का। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा काम जनता के प्रतिनिधियों के मार्फत, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के मार्फत हो यह जरूरी था। चंकि जिला बोर्ड एकदम से बन्द किये गये और परिस्थिति ऐसी आ गई कि एक स्थायी बिल उस समय नहीं आ सकता था उस विषय में, सरकार ऐसा बिल नहीं ला सकी, तो इस वास्ते आर्डिनेन्स के मार्फत यह काम किया गया और जिसको कल सदन का अनुमोदन भी प्राप्त

---

†छापे नहीं गये।

*२४ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

हुआ। उस आर्डिनेन्स को स्थायी बनाने के लिये, क्योंकि विधान की धारा के मुताबिक वह ६ सप्ताह से अधिक चल नहीं सकता था जब तक कि यहां से पास न हो जाय, तो इसलिये इस विधेयक को हम ला रहे हैं। इस विधेयक का आबजेक्ट वही है जो हमारी स्थायी परिषद् बनाने के वास्ते हैं। लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह है कि जिला बोर्ड के अलावा भी हम तुरंत जो हमारा नियोजन का काम है, वह सौंप देना चाहते हैं। लेकिन उसमें हमारी दिक्कत यह थी कि उसे कतई हम एकदम से नियोजन समिति के अधिकार दे दें, इसमें कठिनाई अनुभव की गयी। कुछ तो उसमें प्रशासकीय कठिनाई भी थी। सबसे पहली कठिनाई यह थी कि यह जो नियोजन समिति है, यह पूरे माने में चुनी हुई कमेटी नहीं है, क्योंकि काफी लोग नामजद हैं, काफी लोग नानआफिशियल ग्रुप के हैं, जिला बोर्ड के आदमी भी जो उसमें चुन कर आये हैं, वे उन्हीं आदमियों की ओर से चुन कर आये जिनका चुनाव आज से ९,१० वर्ष पहले ही हुआ था। तो यह सब दोष उसमें था और काफी जनमत इसके बरखिलाफ था। आज उसी चीज को बिलकुल एक नये रूप में दे दिया जाय तो इसलिये एक कामचलाऊ तरीका करना पड़ा।

दूसरी दिक्कत यह थी कि नियोजन समितियों का सारा काम अभी तक सरकारी आफिसरों और सरकारी विभागों की मार्फत चल रहा था। नियोजन समितियां जो जिले में थीं वे बहुत कुछ परामर्शदात्री थीं, उनकी एक्जीक्यूटिव या स्टेट्यूटरी या निश्चित राय मानी ही जायगी, ऐसा अभी तक नहीं था और हमने यह महसूस किया कि अगर फौरन हम इसका ट्रांसफर करते हैं तो इससे बहुत ही परेशानियां आ सकती हैं, जिसके लिये नियोजन विभाग भी तैयार नहीं था। उसका कारण यह था कि हमारे कुछ कमिट्मेंटस सेंट्रल के प्रति थे, हमारे कुछ कमिट्मेंटस इस सदन के प्रति थे, बजट यहां पास होता है, रुपया वहां से आता है। तो, कम से कम अवधि के अन्दर कुछ काम पूरा करना पड़ता है। सारी बातें हमारे सामने थीं कि अगर कुछ संस्थायें हम स्थापित करते हैं और उसको स्टेट्यूटरी पावर देने की बात सोच रहे हैं या मुकम्मल तरीके से उसको अधिकारी बना दें तो हमारी जिम्मेदारी जो पार्लियामेंट तथा इस सदन के प्रति है उसको हम निभा सकेंगे या नहीं, इसमें मुझे संदेह था और इसलिये यह जरूरी समझा गया कि इस बीच के काल में कार्यरूप में इस कमेटी को स्टेट्यूटरी तो बना दिया जाय, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा हेरफेर न किया जाय और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाय। पहले भी अध्यक्ष इस परामर्शदात्री समिति का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही होता था, हमारे एम० एल० एज० और एम० पीज० सब लोग उसके सदस्य रहते थे और हमने यह समझा कि इसमें बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं उठायी जायगी बल्कि एक तरह से यहां पहले उनकी पोजीशन सिर्फ परामर्श देने का थी, एडवाइस देने का थी वहां अब उनको अधिकार हो जाता है कि वे बहुमत से बहुत सी बातें तय कर सकते हैं। सिर्फ ऐसी जगह जहां बहुमत के आगे डी० एम० यह समझे कि इस बात को मान लेना गलत होगा और जो फर्ज डी० एम० का है वह उसे अदा नहीं कर सकता है तो वह अपनी जगह सिर्फ रेफरेंस कर सकता है। पहले इस तरह का अधिकार था लेकिन पिछले वर्षों में सुधार हुआ है लेकिन हमारे लिये यह कठिनाई हुई कि हम तुरन्त उसको स्वीकार कर लें, एकदम से यह मान लें कि अध्यक्ष बिलकुल जनता की ओर से चुना हुआ आदमी या इस कमेटी की तरफ से चुना हुआ आदमी हो। हमारे सामने और भी दूसरी परेशानियां थीं।

जहां तक सर्विसेज का संबंध है, हमारी अधिकांश सर्विसेज सरकार के मातहत हैं, उनमें कुछ परमानेंट हैं और कुछ टेम्पोरेरी भी हैं। जहां तक परमानेंट सर्विसेज का ताल्लुक है उनको हम बिना उनकी आज्ञा के फौरन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि जिला बोर्ड या बिलकुल दूसरी स्वतंत्र संस्थायें जो हैं, उनको हम उन्हें दे दें। टेम्पोरेरी सर्विसेज का भी क्या कहना है, यह भी विचार करने की बात है और जब तक इन बुनियादी बातों पर कुछ तय न हो जाय तब तक किसी का ट्रांसफर कर दें या अपना आदमी रखें तो फिर झगड़ा होता है, काम पूरा नहीं हो सकता है। तो यह सब प्रश्न हल करने के लिये इस बीच के समय में हमें सोचने, विचारने और लाभ उठाने के लिये समय मिलता है, लेकिन बाद में जो विधेयक हम लावें,

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

उसमें यह चाहते हैं कि इसका अध्यक्ष जनमत के द्वारा चुना हुआ जो आदमी हो, वही होना चाहिये, कोई सरकारी आफिसर उसका अध्यक्ष न हो। लेकिन हमारे पास इस बीच के दौरान में दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिये हमारे सामने कठिनाई थी। सर्विसेज द्वारा जो काम चल रहा था उसको हम एकदम से बदल दें और दूसरे के प्रबन्ध में दे दें, यह मुमकिन नहीं था यह इसका दोष है। इससे बहुत संतोष सदस्यों को नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने चारा दूसरा यही था कि फिर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ही एक तरह से खत्म कर देते और प्लानिंग कमेटीज की मार्फत वह काम करते और प्लानिंग कमेटीज का जो काम है, जैसा वह चल रहा था, वैसा ही उसको रखते, तब यह मुमकिन था कि हम अध्यक्ष को जो इस कमेटी के सदस्य थे उनके द्वारा चुने हुये लोग मांग सकते थे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा संतोष होता या बहुत ज्यादा सुधार होता यह चीज कम से कम हमें जंची नहीं। इसीलिये कल यहां इस सदन में कहा गया कि अन्तरिम जिला परिषद् सरकारी अधिकारी के हाथ में दे दी गयी हैं। मेरा खयाल है कि इसमें बहुत दर्जे तक यानी ५५-६० फीसदी तक गलती है। अन्तरिम जिला परिषदों के अधीन जिला बोर्डों का काम हो गया है और साथ ही जो हमारी नियोजन समितियां हैं उनका भी काम उनके जिम्मे है और यही सदन में कहा गया।

जिला बोर्ड के पास २०,२५ या ३० लाख रुपया है तो उनके पास ५०-६० लाख रुपया है। उनको ज्यादा अधिकार और ज्यादा काम सुपुर्द किया जा रहा है, लेकिन उसको करने से पहले जो ज्यादा तफसील की चीजें हैं वह आर्डिनेंस को वेलिडेट करने से पहले विधेयक के जरिये नहीं ला सकते थे, यह हमारी असमर्थता थी और इसलिये हमारी प्रार्थना है कि इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पास किया जाय। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में निवेदन किया था मैंने भी कल कहा था कि हमारा प्रयत्न यह होगा कि शीघ्रातिशीघ्र हम दूसरा जो स्थायी बिल है उसे ले आयें। उस पर विचार विनिमय हो जाय, उसके प्रिंसिपल्स तय हो जायं, उसको फिर प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय ताकि शुरू अगले साल में चुनाव हो सकें। अगर इस सदन का और दूसरे सदन का सहयोग मिला और हम लोग थोड़ी ज्यादा देर बैठ सकें और जो मसले हमारे सामने हैं उनको जल्दी से जल्दी समाप्त करने में एक दूसरे को सहयोग दे सकें तो मुझे कोई शक नहीं है कि यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो सकेगा और अप्रैल से पहले पहल चुनाव हो सकेंगे और जो हम चाहते हैं सचमुच में वह एक चीज बनेगी जिसके अन्दर अधिक से अधिक संतुष्टी इस सदन को हो सकेगी। इसमें जो त्रुटियां हैं वे इस वजह से नहीं हैं कि कोई हमारी असफलता की वजह से हों बल्कि इस गरज से हैं कि फौरन प्रबन्ध बदलना पड़ा। इस दृष्टि से अगर इस विधेयक को यह सदन देखेगा तो मुझे आशा है कि इसमें ज्यादा मतभेद की गुंजायश नहीं होगी।

कल यह भी एक बात कही गयी कि रूल्स बनाने का प्राविजन इसमें नहीं है। माननीय सदस्य देखेंगे तो पायेंगे कि उस सबके लिये प्राविजन है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का पुराना ऐक्ट है उसके भी बरखिलाफ यह नहीं जाता है। उस से इसमें मदद ली जा रही है कमेटीज बनाने में।

कार्य की जो प्रणाली है उसको चलाने के लिये मैं एक चीज का उल्लेख कर देना चाहता हूं। हमारे पास दो सेक्रेटरीज हो रहे थे। एक तो डी० पी० ओ० जिसको अब हमने एक्जिक्यूटिव आफिसर बना दिया है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सेक्रेटरीज। इस तरह से हमारे पास एक ही काम के लिये दो आदमी हो गये। हमने हिदायत भेजी है कि इन दोनों में डी० पी० ओ० ज्यादा जिम्मेदार आदमी है। डी० पी० ओ० अब तक नियोजन का कार्य करता आया है। उसके मातहत दूसरे आदमी हैं। इसके लिये यही सोचा कि उसको बिना ज्यादा अपसेट किये हुये उसी को एक्जिक्यूटिव आफिसर मान लिया। हमारे जितने भी जिला बोर्ड्स हैं उनमें कुछ ईमानदार और काफी योग्य सेक्रेटरीज हैं। लेकिन उन पर सारे नियोजन की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती थी क्योंकि नियोजन के बारे में उनको न कोई

जानकारी ही है और न अनुभव ही है। इसलिये यह करना पड़ा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सेक्रेटरीज को एक्जिक्यूटिव आफिसर के मातहत करना पड़ा और उनके सहयोग से एक्जिक्यूटिव आफिसर सारे कार्य को सम्पादित करेगा। डी० एम० जो है वह इस बात को देखेगा कि सबमें इस प्रकार काम का विभाजन कर दिया गया है ताकि ज्यादा आसानी के साथ और बिना किसी संघर्ष के काम चल सके।

अन्त में मैं यह निवेदन कर दूं कि विवादोपरान्त जो प्रश्न उठाये जायेंगे उत्तर देते समय मैं उन सब शंकाओं को दूर कर दूंगा। कई प्रस्ताव भी आने वाले हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय, मेरा निवेदन है कि और अधिक समय इस विधेयक के संबंध में न लिया जाय। इस पर विचार किया जाय कुछ संशोधन भी हमारे सामने आ चुके हैं उन पर हम विचार करें और इसको जल्दी से जल्दी पास करने की चेष्टा करें.....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। जो प्रस्ताव अभी आये नहीं है उनके संबंध में माननीय मंत्री जिक्र करके क्या पहले ही उत्तर दे सकते हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मुझे आशा है कि वे उपस्थित नहीं किये जायेंगे यही मैं निवेदन कर रहा था। अगर यह निवेदन करना भी किसी तरह से अवैधानिक है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाते हुए आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद २१३-ए की ओर दिलाना चाहता हूं---

"Shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature".

इसके मुताबिक असेम्बली के रिअसेम्बिल होने पर ६ हफ्ते के बाद एक आर्डिनेंस एक्सपायर हो जाता है और अमेंडमेंट्स यह आये हैं १,२ और ३ कि यह विधेयक जनमत के लिये घुमाया जाय और १ महीने के अन्दर रिपोर्ट दी जाय तो क्या इस आर्टिकिल के अनुसार संशोधन १,२ और ३ इन आर्डर है?

श्री अध्यक्ष---हां, इन आर्डर है। इस सदन के लिये यह कोई लाजमी नहीं है कि जो विधेयक उपस्थित किया जाय उस विधेयक को यह सदन पास ही कर दे। अगर अध्यादेश के जारी होने के बाद सदन किसी ऐसे विधेयक को जो अध्यादेश पर आधारित हो पास न होने दे तो ६ हफ्ते के बाद अध्यादेश खत्म हो जायगा और उसके बाद जो नतीजा होगा वह होगा। अगर सदन पास कर देता है तो इसका मतलब यह है कि वह अधिनियम बनने के पश्चात् अध्यादेश का स्थान ले लेगा और फिर भी परिणाम यही होगा कि आर्डिनेंस खत्म हो जायगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ जनमत जानने के लिये प्रदेश के समाचार पत्रों और गजटों में प्रकाशित किया जाय और एक मास पश्चात् इसको पुनः सदन में प्रस्तुत किया जाय।

विवाद से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिला परिषद् के संबंध में सरकार की अपनी तीन नीतियां हैं। प्रथम नीति टालू नीति है। मैं यह नहीं कहता कि शासन जानबूझ कर इस नीयत से जिला परिषद् के कार्य-क्रम को टालता जा रहा है। परन्तु उसके कार्यों से यह स्पष्ट है कि बराबर बातें टलती आ रही हैं। ५ वर्ष पहले चुनाव होने चाहिये। नहीं हुये।

[श्री राजेन्द्रसिंह]

१० साल तक चुनाव टाले गये। चुनाव टालने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में संशोधन किया गया और प्रांत की उच्चतम सत्ता, विधान मंडल में पास होने के बाद उसको निरसित कर दिया गया। आर्डिनेंस पास किया। अब आर्डिनेंस के पश्चात् अंतरिम जिला परिषद् विधेयक पास किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का अनुमान है कि अगस्त के महीने तक वह अंतरिम जिला परिषद् विधेयक को पास करके जिला परिषद् विधेयक लायेंगे। मैं नहीं समझता कि जब एक या दो महीने बाद सम्पूर्ण जिला परिषद् विधेयक आ रहा है तो अन्तरिम विधेयक क्यों पास किया जाय। यह जनता के धन का अपव्यय है, समय का दुरुपयोग है। वह यह कह चुके हैं कि एक या दो महीने पश्चात् अवश्य ही जिला परिषद् विधेयक आ जायगा। तो फिर अन्तरिम जिला परिषद् के बारे में कोई बात कहना तर्कहीन है। जब २ महीने बाद सम्पूर्ण जिला परिषद् विधेयक आ रहा है तो .....

श्री अध्यक्ष---आप अपने संशोधन के विरोध में बोल रहे हैं। आप अपने संशोधन में यह स्वीकार करते हैं कि विधेयक आना चाहिये और उसे जनमत संग्रह के साथ एक महीने भर बाद आना चाहिये, और इधर आप कह रहे हैं कि उसे क्यों पेश किया जाय। कृपया आप अपने संशोधन की परिधि में ही रहें।

श्री राजेन्द्रसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं सही बात मंत्री जी नहीं मानेंगे और विधेयक पास होगा ही बहुमत होने के कारण। इसलिये मैं टालू मिक्सचर नीति बताना चाहता हूं। यह सत्य है कि एक या दो महीने के बाद मंत्री महोदय जिला परिषद् विधेयक ला रहे हैं। श्री रामस्वरूप यादव जी ने भी आश्वासन दिया है कि जरूर बिल लायेंगे। तो जब उनको विश्वास है कि जिला परिषद् विधेयक आने ही वाला है तो फिर अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक क्यों लाये हैं। उसी को क्यों नहीं लाते? एक महीने पहले अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक लाने का तात्पर्य यह है कि वह यह चाहते हैं कि जिला परिषद् विधेयक पास न होने दें। क्योंकि अगर पास कराने का इरादा सचमुच है तो उन्हें यह विधेयक नहीं लाना चाहिये। परन्तु वह मानेंगे नहीं, विधेयक लायेंगे और पास होगा। इसलिये मैं भी संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

दूसरी नीति, कांग्रेस बहुमत निर्माण नीति है। इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कैसे यह नीति ठीक है। १० वर्ष पहले जब केवल लगभग १० प्रतिशत व्यक्तियों को मत देने का अधिकार था उस समय चुनाव हुआ था और आज के युग में जब एडल्ट फ्रैन्चाइज है, तो वह चुनाव बिल्कुल गलत है। परन्तु उसी चुनाव को मानकर जिला परिषदों के सदस्यों में से ५ सदस्यों का चुना जाना और उस समय के चुने हुये प्रेसीडेंट को उपाध्यक्ष मानकर अंतरिम जिला परिषद् में अधिकार देना यह सब सिद्ध करता है कि पुराने चुनाव को सरकार ठीक समझती है। जब पुराने चुनाव में बालिग मताधिकार नहीं था और उसको हम लोग ठीक नहीं समझते तो क्यों हम लोग पुराने चुने हुये व्यक्तियों को इन अन्तरिम जिला परिषद् में लें। अगर हम पुराने चुनाव को ठीक नहीं समझते, ऐक्ट को ठीक नहीं समझते, उसको समाप्त कर रहे हैं तो चाहिये था कि नया चुनाव करायें और बिना नया चुनाव कराये पुराने व्यक्तियों में से अंतरिम जिला परिषद् में न लें। ऐसा करना साफ-साफ प्रकट करता है कि सरकार की कांग्रेसी बहुमत निर्माण की नीति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कुछ अधिकार अपने पास ऐसे रखे हैं कि वह अन्तरिम जिला परिषद् में कुछ सदस्यों को मनोनीत करे यह अधिकार नहीं होना चाहिये। यह अधिकार भी आगे चल कर कांग्रेस के बहुमत का निर्माण करेगा।

अब मैं तीसरी नीति स्पष्ट कर दूं। यह अर्ध नौकरशाही नीति है। कल इस पर वाद-विवाद हो चुका है। अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट

हो, अन्तरिम जिला परिषद् में जिले के प्रमुख आफिसर सदस्य बन कर बैठें और उन्हें मत देने का अधिकार न होना, यह दोनों बातें स्पष्ट प्रकट करती हैं कि नौकरशाही को जनतंत्र में, जिले की स्वतंत्र सत्ताओं में घुसेड़कर कांग्रेस नौकरशाही को प्रोत्साहन दे रही है। जब अन्तरिम जिला परिषद् बनेंगी और स्वायत्त शासन के नाम पर बनेंगी तो उसमें सरकारी नौकरशाही को घुसेड़ने से यह अर्द्ध-नौकरशाही शासन हो जाता है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अन्तरिम शासन परिषद् में आये हुये अधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन उनको वहां अध्यक्ष बनाकर बैठाना जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का उपहास करना है। अर्द्ध-नौकरशाही की यह प्रवृत्ति जनहित के विरोध में है और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक में ऐसा संशोधन करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में आज अपनी सरकार बन गई है। कोई ऐसा युग था जब इस देश पर विदेशियों की हुकूमत थी। उस समय उन लोगों ने भारतवासियों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की आज्ञा दी थी। लेकिन आज जब देश स्वतंत्र है, कंट्री में सेल्फ गवर्नमेंट बन गई है तब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या आवश्यकता है? लेकिन जब इस द्वैध शासन को चलाना है तो उसमें नौकरशाही को घुसेड़ने की क्या आवश्यकता है? आपने उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन उनको अध्यक्ष बनाकर बैठा दिया है। यह और भी उपहास है कि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार न हो उसको यह अधिकार दे दिया जाय कि वह जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों को अस्वीकार करे या उसको सरकार के पास भेजे। इस प्रकार का अधिकार उसको देना यह जनतंत्र के विरोध में है और मेरा जो संशोधन है उसको मानकर यदि इस विधेयक को समाचार-पत्रों में, गजट में और देहात में सभापतियों और प्रधानों को भेजा जायगा तो स्पष्ट ही जनता की ओर से यह आवाज आयेगी कि यह अन्तरिम जिला परिषद् जो बनाये जा रहे हैं इनमें नौकरशाही को.....

श्री अध्यक्ष—आपका प्रस्ताव संशोधन का सिर्फ यह होगा कि जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय और वह एक मास के पश्चात् सदन में प्रस्तुत हो, लेकिन यह जनमत संग्रह के लिये कहां भेजा जाय, गजट में दिया जाय या अखबार में दिया जाय, यह नियमानुसार उचित नहीं है। आप केवल अमेंडमेंट यही ला सकते हैं कि जनमत के लिये भेजा जाय। तो मैं उसी स्वरूप में उसको लूंगा और फलां जगह भेजा जाय वगैरह जो संशोधन दिया है यह उसका अंश नहीं रहेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही बता रहा था कि वह क्यों भेजा जाय और कहां भेजा जाय। मेरा यह निश्चित मत है कि यदि यह जनमत जानने के लिए भेजा जायगा तो जनमत इसी पक्ष में होगा कि अन्तरिम जिला परिषद् न बनाकर जिला परिषद् ही बनायी जाय जो स्थायी रूप से काम करे। जैसा मैंने कहा अगर माननीय मन्त्री जी को विश्वास है कि एक महीने में वह जिला परिषद् विधेयक ला सकते हैं तो इस अवसर पर या तो वह इस विधेयक को जनमत जानने के लिए गजट या समाचार-पत्रों में भेज दें या स्वयं इस समय इस विधेयक को न लाकर सम्पूर्ण जिला परिषद् विधेयक लायें जिससे सदन का समय भी बच सके। इन शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—अब जो दूसरा संशोधन है नागर जी का वह पहले संशोधन में आ जाता है। इसलिए मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। तीसरा जो है गोविन्दसिंह जी विष्ट का वह उसे पेश कर सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मेरी दरख्वास्त यह है कि मेरा संशोधन उनके संशोधन से कुछ भिन्न है और मुझे उस पर प्रकाश डालने का अवसर प्रदान किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आपको भाषण देने का तो अवसर दिया जावेगा, लेकिन मैंने यह स्पष्ट बताया है कि विधेयक जनमत संग्रह के लिये कहां भेजा जाय, अखबारों को भी भेजा जाय और बहुत से व्यक्तियों को भी भेजते हैं, इसलिये संशोधन में इन बातों का उल्लेख नहीं आयेगा । इन बातों के पृथक होने पर आपका संशोधन पृथक नहीं रह जाता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, क्यों भेजा जाय इस पर मुझे कहना है ।

श्री अध्यक्ष---उसके लिए मैं आपको मौका दूंगा । लेकिन पहले तीनों प्रकार के संशोधन सामने आ जायं, उसके बाद ऐसे संशोधन भी हैं जो उनमें शामिल हो जाते हैं, उनके प्रस्तावकों के लिए मौका दूंगा । तो आप अपने भाषण में अपने प्रस्ताव की भिन्नता के विषय में कह सकते हैं । परन्तु वह संशोधन में शामिल नहीं होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ में अपना निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत करता हूं:---

"उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी हक हो और जो २० दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे । (संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे ।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा उनके विचारों से अपने को सहमत करते हुए मैं भी इस राय का हूं, भले ही मंत्री जी की निजी राय न रही हो, जैसी कि अभी उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की, अगर हम उनके शब्दों को ध्यान में रखें, लेकिन कुछ सरकार की नीति ऐसी रही है सम्मिलित रूप से, कि जहां तक हो जिला बोर्ड के चुनाव न हों । एक तरफ वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि वर्तमान जिला बोर्ड के जो सदस्य हैं वह १० साल पहले बालिग मताधिकार द्वारा चुने नहीं गये, बल्कि १० प्रतिशत जनता के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट जो पहले आया था, उसके अनुसार चुने गये । इसके अलावा सरकारी पक्ष के कई सदस्यों ने जिनमें से विभव जी ने तो शायद कहा था कि---"उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश के लिये कुछ खिलौने बनाये थे और उसमें यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विधान भी था" और उन्होंने यह बताया था कि "उसमें आमूल चूल सैद्धान्तिक और मौलिक परिवर्तन होना चाहिये" । जब सरकारी पक्ष ऐसी बेसिक बात मानता है तो न मालूम उन्हीं लोगों को क्यों रखा जाता है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि परिषद् की एग्जिक्यूटिव का फार्मेशन आज किस तरीके पर किया गया है । आपको ध्यान होगा कि वर्तमान जो हमारी प्लानिंग कमेटीज़ हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा भेजे गये दो मेम्बर पहले से मौजूद थे, याने उनके प्रतिनिधि पहले से मौजूद थे । लेकिन २ प्रतिनिधि रखना भी यथेष्ट नहीं समझा गया । भूतपूर्व जिला बोर्डों का प्रेसीडेंट होता था वह वाइस प्रेसीडेंट होता था, इस प्रकार ३ हो गये । लेकिन इतना यथेष्ट नहीं समझा गया, ५ नये स्थान उन्हें और दे दिये गये, यानी उनका जो कोटा था उसको बढ़ाया गया और वे २ से ८ कर दिये गये । जैसा कि मंत्री जी ने अपने पुराने भाषणों में कहा था और कल भी सदन के सम्मुख यह बात आ चुकी है कि गत १९४८ में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस पार्टी का न सिर्फ बहुमत आया था, बल्कि brute majority जिसे कहते हैं, वह आयी थी ।

श्री अध्यक्ष—संपूर्ण मैजारिटी होने से वह "ब्रूट" नहीं हो सकती, यानी अगर, सभी एक पार्टी के सदस्य सदन में आ जायं तो वह ब्रूट सदन नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यह मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे हाल में कुछ कड़ुवा अनुभव हुआ है। उदाहरण के लिए हमारी अल्मोड़ा अंतरिम जिला परिषद की मीटिंग उसी दिन हुई जिस दिन चुनाव हुए थे। दूसरी पार्टियों की ओर से जहां कहीं पर नल लगाने का प्रस्ताव, कहीं पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा गया, तो चूंकि वे कांग्रेसी सदस्य द्वारा नहीं रखे गये थे, इसलिये सब ने रचनात्मक कार्य के लिये भी विरोध किया। अंतरिम जिला परिषद् की पहली बैठक अल्मोड़ा जिले में जिस समय हुई और एक्जिक्यूटिव कौंसिल का चुनाव होने को हुआ तो हमने एक स्पोर्टिंग आफर उनको दिया कि इसमें चुनाव न करिये, हर पार्टी का यह कहना है कि यह देश की भलाई के लिये है, प्लानिंग के काम में पार्टीबाजी नहीं आनी चाहिये। तो हमने उनसे कहा और माननीय मंत्री जी स्वतः जानते हैं कि हमारे यहां के जो रचनात्मक कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं जैसे श्री देवकीनन्दन और सरला बहन (जो एक यूरोपियन लेडी थीं, लेकिन महात्मा गांधी की शिष्या हो गयीं) इस तरह के लोगों को, जिनके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता, ४ नाम कांग्रेस पार्टी के लोगों के और ३ नाम अधिकारियों के सजेस्ट किये और विरोधी पार्टी का एक नाम भी नहीं दिया। उन्हें यह भी मान्य नहीं था। तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि इस मेजारिटी का कड़ुवा अनुभव हमको हो चुका है इसलिये मैं 'ब्रूट मेजारिटी' कह रहा था। इन परिषदों में राजनीति का अखाड़ा शुरू हो गया है।

कल संबंधित आर्डिनेन्स के बारे में इस सदन में बहस हुई। हम लोग नहीं उठे हालांकि आप चाहते थे कि जनसंघ की ओर से भी कोई सदस्य बोलें। कल माननीय मंत्री जी ने कुछ दोषारोपण किये और आज कहा कि कुछ बातें इस विषय में कल हो चुकी हैं। कल उन्होंने फरमाया था कि मैं विस्तारपूर्वक और कहूंगा और कहा था कि आर्डिनेन्स और विधेयक दोनों साथ-साथ लिये जायं तो मुकम्मल बातें हो सकेंगी। माननीय मंत्री जी ने जो कल बातें कही थीं आपकी इजाजत से मैं कुछ उनका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था कि हम तो एलेक्शन कभी का कराना चाहते थे, लेकिन यह कसूर विरोधी दलों का है कि वह टलता गया। मैं सारी पुरानी प्रोसीडिंग्स यहां पर लाया हूं। उससे कुछ अन्दाज आपको हो जायेगा कि क्या हुआ था। ३ फरवरी को यह बिल लैंडाउन हुआ था। उस समय मंत्री जी ने कहा था कि मई में चुनाव होंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रूपरेखा बदली जाय। वे जानते थे कि सन ५२ में चुनाव होना चाहिये था, लेकिन सन ५८ तक नहीं हुआ। इसका कारण उन्होंने बतलाया कि शीघ्र ही सदन के सामने एक बिल पेश होने वाला है, 'शीघ्र के माने उनके क्या होते हैं, पता नहीं। सन् ५२ से सन् ५८ तक उनका शीघ्र नहीं हो पाया। फरवरी में पुराना बिल आया था। अभी तक उनका शीघ्र नहीं हो पाया है। भगवान जाने शीघ्र की क्या डेफनीशन है। उस दिन आपने फरमाया था कि हम एलेक्शन भी इसीलिये नहीं करा सके कि कभी किसी कारण से और कभी किसी कारणसे हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट में तरमीम नहीं ला सके और आपने फरमाया था कि—"मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के नेता से परामर्श करके तय किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जल्द भंग कर दिया जाय, विरोधी दल की ओर से यह मांग की गई थी और उसको स्वीकार किया गया"। इस विधेयक को भी विरोधी दल के असन्तोष को दूर करने के लिये ला रहे हैं। यह उन्होंने ४ फरवरी को कहा था। विरोधी दल जरूर चाहते थे कि जो पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे उनको जल्द खत्म किया जाय। यह मंत्री जी ने महत्वपूर्ण बात स्वीकार की थी.....

श्री अध्यक्ष—आप बहुत ब्योरे में जा रहे हैं। कल का उत्तर आज नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आप बहुत मुख्तसिर में अपनी बात कह दें और आप अपने संशोधन पर आ जायं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन, मेरा संशोधन परिधि बढ़ाने का है जो बहुत व्यापक हो जाता है। अगर परिधि का शब्द न होता तब तो बात दूसरी थी। लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है.....

श्री अध्यक्ष--आप तो पुराना वाकया कह रहे हैं। इससे परिधि नहीं बढ़ती है। कल जो भाषण हुआ उसका कल ही जवाब हो सकता था, आज नहीं हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--कल तो मौका ही नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--मौका तो मिला, लेकिन आप खड़े नहीं हुये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--दो मिनट में खत्म किये देता हूं।

श्री अध्यक्ष--हां, संक्षेप में कह दें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन, हमने कहा था कि हम ८ बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं, लेकिन दस तारीख को दूसरा बिल ला दिया गया। इस पर त्रिलोकीसिंह जी और राजनारायण जी ने विरोध किया कि दूसरा बिल क्यों ला दिया गया और उन्होंने आफर दिया था कि हम लोग आठ बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं, लेकिन मंत्री जी ने विरोध किया और नेकराम जी शर्मा ने इसका समर्थन किया कि हम बैठने के लिये तैयार नहीं हैं। फिर भी बिल पास हो गया १४ फरवरी को। श्रीमन्, हमने यह कहा था कि यह फौरन हो जाय। लेकिन जो कसूर सरकार का है उसे विरोधी दल के ऊपर थोपा जा रहा है। अगर पुरानी प्रोसीडिंग्स को देखा जाय तो मालूम हो जायगा कि हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और हैं। कल ऊदल जी ने भी कहा था कि "पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स खत्म क्यों नहीं किये गए? इसलिये उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स खत्म नहीं किये जा रहे थे कि कौंसिल के चुनाव में कांग्रेस के सदस्य ज्यादा से ज्यादा जा सकें। लेकिन जब उनका काम हो गया तो अध्यादेश द्वारा उनको खत्म कर दिया गया"। आप शराब की शीशी पर बाहर से कितना ही अच्छा लेबल लगा लें और बाहर लिख दें कि अमृत है, लेकिन शराब या जहर कभी भी अमृत नहीं हो सकते हैं। शराब शराब ही रहेगी और जहर जहर ही रहेगा। लेबल से कुछ नहीं हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं और मैं राजनीतिक दलदल में फंसना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कितना ही खादी का काम आगे बढ़ाया हो, लेकिन हम क्या करें। आप कहते हैं कि पार्टीबाजी मैं नहीं जानता था। वह जानते थे या नहीं मैं इस संबंध में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। श्रीमन्, इस बिल की खामियों के बारे में बहुत से मेरे मित्र काफी कह चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि "वह चाहते हैं कि केन्द्र में और राज्य में बीच की तीसरी लड़ी भी जनता द्वारा चुनी हुई हो"। केन्द्र में इलेक्टेड मेम्बर होते हैं ऐसे ही वह यहां भी चाहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। आपने यह कहा कि ब्लाक लेविल पर भी हम यही चाहते थे। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर आपने डिस्ट्रिक्ट हेड्स बना दिये, ब्लाक में कहीं ब्लाक हेड्स बनें तो मुझे एक डर यह लग रहा था, ऐसा नहीं किया तो अच्छा ही किया।

माननीय मंत्री जी जानते हैं कि चुनाव व पूरे बिल की डिले कैसे एक्सप्लेन करें। उसके लिए कुछ न कुछ कहना पड़ता ही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बोर्ड वही है, जिससे जिला अन्तरिम परिषद् बनी है। मैंने जब अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक को देखा तो इसमें देखा कि जिलाधीश को ताकत दी गयी है कि वह परिषद् के निर्णय को ओवररूल करे। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय राजेन्द्रसिंह जी ने फरमाया जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी राय, उनके किये गये निर्णयों को वह ठुकरा सकता है, वह उनके निर्णयों को विटो कर सकता है। पुराना तजुरबा है कि जब कभी भी किसी गैर सरकारी संस्था को कोई ताकत दी गयी है और उसके खिलाफ किसी अधिकारी को सिफारिश करने की ताकत दी गयी है तो सौ में ९० केसेज में जनता की राय नहीं मानी जाती। मुझे तो कोई ऐसा केस मालूम नहीं है जिसमें सरकार ने अपने

अधिकारी की बात न मानी हो, और जनता के प्रतिनिधियों की बात मानी हो। ऐसा बहुत कम देखा गया है। थोड़ा सा विषयान्तर हो रहा है। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे आज कल की भुखमरी का प्रश्न है। अभी माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे, मैं व श्री पीताम्बर दास एम० एल० सी० नौगढ़ गये।

श्री अध्यक्ष--जो विषय आप कामरोको प्रस्ताव में लाना चाहते हैं वह इसमें ले आने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जहां पर आफिशल्स की रिपोर्ट होती है और नान-आफिशल अपनी सिपारिश भेजता है तो सरकार उसको कभी नहीं मानती, चाहे लाखों आदमियों से चुन कर वह आया हो और उसके पीछे दस पांच आदमी हो जायं तो वह मंत्री भी हो जाता है। योग्यता का सवाल केवल इतना है कि एम० एल० ए० होने के बाद किसके पीछे उसकी पार्टी के कितने आदमी हैं। जिसके पीछे कुछ आदमी हो गये वह मंत्री हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--अब समय हो गया। आप बाद में भाषण जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय मन्त्री जी ने जो आज अपना भाषण दिया उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि हम को जिला बोर्ड्स को एकदम भंग कर देना पड़ा इसलिये हम आवश्यकीय लेजिस्लेशन पूरा मुकम्मल बिल नहीं ला सके। श्रीमन्, आपको खयाल होगा कि जब जिला बोर्ड का बिल फरवरी, १९५८ में पहले आया था उस वक्त भी ऐसी बात कही गयी थी और हमारे विरोधी दल के नेता ने यह स्पोर्टिंग आफर दिया था कि ७ दिन के अन्दर हम बिल का मसविदा बना कर दे सकते हैं। १४ फरवरी की दैनिक कार्यवाही में इसको देखा जा सकता है। आप एक मौका तो दीजिये, लेकिन इसके बरअक्स दूसरे दल वालों की तरफ से कोई ठोस बात नहीं कही गयी और न कुछ करके दिखाया गया या मौका दिया गया। हमारी तरफ से उनको एक आफर था कि ७ दिन के अन्दर बनाकर यह दिया जा सकता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया और उसका जिक्र भी नहीं किया गया। यह जो अभी तक दूसरा बिल नहीं आया और इतनी देर कर दी गई इसका कोई और कारण भी नहीं देते हैं, जो कि ठीक नहीं है।

मैं माननीय मन्त्री जी का पिछला भाषण पढ़ रहा था। उसमें अब उनसे यह पूछा, गया कि मन्त्री जी जिला बोर्ड की कमेटी को भंग करके क्यों नहीं उसे नियोजन समिति के सुपुर्द कर देते हैं? तो उसका कारण उन्होंने यह बताया था कि समिति पूरे तौर पर प्रतिनिधि नहीं है। उसके उन्होंने पांच कारण बताये थे। एक समिति में पूरे तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं है। दो, उसमें सरकारी अफसर हैं। तीन, पहले १० परसेन्ट लोगों के द्वारा चुने हुए जो लोग हैं वे पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। चार, वह केवल परामर्शदात्री समिति थी। पांच, नियोजन विभाग भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि ज्यादा प्रतिनिधित्व हो इसलिये उन्होंने यह सब बातें कीं। गालिबन मन्त्री जी यह मानते हैं कि इसमें जनता के प्रतिनिधि होने चाहिये। लेकिन अब क्या हिसाब है आप इसको जरा देखिये। हिसाब यह है कि चुने हुए प्रतिनिधियों में से उन्होंने सदस्य कम बनाये। जितने भी सरकारी पदेन सदस्य थे जिला नियोजन समिति के, वे सब के सब आज उसमें मेम्बर बनाये गये हैं। यह बड़े एतराज की बात होती है। श्रीमन्, अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट के मातहत इसको देखते हुए और इस वर्तमान विधेयक को देखते हुए दोनों को अगर मिलाते

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

हैं तो यह कुछ illegal मालूम पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सालहत मेरा ख्याल है कि दफा १२ में Disqualification of Members के बारे में कुछ दिया हुआ है :

"No person shall be qualified for election as a member of the Board who has been dismissed from Government service and is debarred from re-employment therein or holds any place of profit in the gift, disposal, pay or service of the Board or is a person in the service of Government".

यानी सरकारी कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकेगा। आज इस बिल के मुताबिक जिला बोर्ड के फन्क्शन्स जिला अन्तरिम परिषद् के फन्क्शंस हो जाते हैं और यहां के काफी सदस्य जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य होंगे। तो गरज यह है कि प्लानिंग कमेटी में भी सरकारी लोग मौजूद हैं और जो सरकारी नौकर प्लानिंग कमेटी में पदेन सदस्य हैं वह आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हो गये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट साफ यह मुमानियत करता है कि वह मेम्बर नहीं हो सकते। तो यह क्या है? इन दोनों में विरोधाभास है।

आगे देखें तो एक्जीक्यूटिव भी इस में शामिल है। यह अध्यादेश पहले आया था और इस में और बिल में कोई फर्क नहीं है। बिलकुल वही है। अध्यादेश में कहीं यह नहीं लिखा है कि यह सरकारी सदस्य जो इसके हैं वह वोट नहीं दे सकेंगे। उसके बाद गजट में जो नियमावली आया हुई उसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं है। उस चुनाव के वक्त दो ही चीजें उनके पास थीं----एक तो आर्डिनेन्स और दूसरे उसके अंतर्गत बने हुए नियम। उनमें कहीं भी यह जिक्र नहीं है (शायद अगर हो और आप को मालूम हो तो आप मुझे करेक्ट कर दें) कि कोई भी सरकारी सदस्य जो जिला परिषद् का सदस्य by Virtue of being a member of the D. P. C. है, उस आदमी को वोट देने का अधिकार न होगा। यह कहीं नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि वह बात सही हो जैसा कि कल एक माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे कि हमीरपुर में या कहीं और उन्होंने वोट दे दी। सरकार की तरफ से मुझे किसी माननीय सदस्य ने, कहना चाहिये कि विश्वस्त सूत्र ने बताया कि यहां से बाद में प्राइवेट लेटर्स सरकारी अफसरों के बाबत गये कि तुम वोट मत देना। कानून तो आप कुछ और बनाते हैं। और करते कुछ और हैं। मैं अपने यहां का एक उदाहरण दे दूं। जब मेरे अपने जिले में अन्तरिम जिला परिषद् का छंटाव हुआ तो जब कांग्रेस वाले इस बात के लिये भी राजी नहीं हुए कि उन्हीं के दल में से ऐसे व्यक्ति आ जायं जिन में सब राजी हों मैंने कहा था कि तीन आप में से हो जायं और झगड़ा न हो, कारण कि रचनात्मक कार्य से इसका संबंध है। तो कुछ लोगों ने offer किया था कि ऐसे कुछ सरकारी कर्मचारी आ जायं कि जिन पर सबको विश्वास हो। लेकिन वे न माने दूसरे जो यहां से प्राइवेट लेटर गया था उसकी बिना पर जिला मैजिस्ट्रेट ने सरकारी सदस्यों को मतदान अथवा चुनाव में खड़े होने से मना कर दिया। तो कहीं कहीं जिलाधीशों द्वारा मना किया गया है कि जो सरकारी नौकर डी० पी० सी० के सदस्य हैं वह जिला अन्तरिम परिषद् की कार्यकारिणी का जब चुनाव हो रहा हो तो न तो उसकी सदस्यता के लिये खड़े हो सकते हैं और न वोट दे सकते हैं। और अगर उन्होंने उसमें हिस्सा लिया हो तो वह सारा चुनाव अवैध है। तो श्रीमन्, मैं कहता हूं कि जब आप इतना हेस्टी लेजिस्लेशन बनाते हैं तो उस पर ठंडे दिमाग से बैठ कर हमारी नाकिस राय को सुनने का भी कष्ट करें। तकलीफ जरूर गवारा करनी पड़ेगी। ऐसा करने से शायद यह गलतियां न repeat हों। लेकिन वह तो सोचते हैं कि अकल का ठेका हमारा ही है और खुदा ने किसी और को अकल नहीं दी है। यह सारी तिकड़म यह है कि ८ सदस्य पुराने जिला बोर्ड के, जिनको कि वह खुद मानते हैं कि यह जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं.....

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—हम ने तो माना नहीं है कि प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—आपकी तरफ से मैं मन्त्री जी का भाषण उठा कर आप को दूं, मैं छपा हुआ भाषण इसीलिये लाया हूं। मुझे टाइम दें तो मैं एक एक बात उनके मुखारविन्द से निकली हुई सदन में बताऊं।

श्री उपाध्यक्ष—जब तक किसी बात को आप दोहरावेंगे नहीं तब तक लम्बा भाषण करने से मैं आपको नहीं रोकूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—८ सदस्य इस तरह से हुए। २ पुराने कोटा के थे। वाइस प्रेसीडेंट जिसे बना दिया गया वह भी एक मेम्बर हैं। पुराने चेयरमैन है। और फिर एक भारत सेवक समाज का, अर्थात् "अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे" जैसे यूथ कांग्रेस के नाम से सूचना विभाग से रुपया ले लिया जाता है, इसी तरह के कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के कितने ही तरीके इन्होंने अपनाये हैं। कहीं जनता की सेवा का नाम लिया है, कहीं उसके बच्चों की तरक्की का तो एक मनोनीत सदस्य भारत सेवक समाज का होगा, यह वह संस्था है जिसमें गैर कांग्रेसी भी जा कर कांग्रेसी हो गये। फेहरिस्त को उटाकर देखें तो ८० फी सदी उसमें कांग्रेस के सदस्य हैं। २ डी० एम० मनोनीत करेंगे। तो १६ का यह solid Block हो गया और वह सब शनीचर की तरह मौके पर वोट देने पहुंच ही जाते हैं। इस तरह वहां इनकी brute majority आ जाती हैं। मैं आज की जिला परिषद् को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कहता हूं। सारे यू० पी० में देख लें। अगर यह जिला कांग्रेस का दूसरा रूप नहीं है तो और क्या है?

माननीय मंत्री जी ने १४ तारीख के भाषण में फरमाया था कि उन्हें बड़ा दुख हुआ। व्यक्तिगत रूप से वह मानते हैं कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिये, लेकिन हम उसे पंचायतों में नहीं ला सके। उन्होंने कहा है कि इससे हमें खुशी नहीं हुई। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें दुख हुआ है और बहुत कुछ सुनना पड़ा है। यह उन्होंने फरमाया है। परन्तु आज क्या होता है? हमने मांग की कि वहां गुप्त राय देने का हक हो। मगर हमारे यहां डी० एम० ने कहा कि खुले आम हाथ उठाकर वोटिंग होगा। इससे सरकारी अफसर जरूर कांग्रेस के पक्ष में राय देंगे क्योंकि कौन अपनी नौकरी खोना चाहेगा। तो यह 'चित भी उनकी और पट्ट भी उनकी और अन्टा उनके बाप का' वाली कहावत पूरी हुई। यह कानून बनाया जा रहा है या कांग्रेस पार्टी मजबूत की जा रही है।

दूसरी अध्यक्ष की बात है जिसे सरकार ने बना दिया है प्रेसिडेन्ट के नाम पर और गरीब की भलाई के नाम पर और यहां से जो सदस्य छंट कर जाते हैं उन पर वह सदारत करेगा। इतना ही नहीं, वह सिफारिश करेगा कि कोई प्रस्ताव जिला अन्तरिम परिषद् का सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर जिला अन्तरिम परिषद् की राय एक है और उसकी दूसरी हो तो सरकार हमेशा ९० प्रतिशत अपने अधिकारियों की बात मानती है। वह कहती है कि वे जिम्मेदार हैं और हम सब गैर जिम्मेदार हैं। हमें जनता ने छांट कर भेजा है। हर साल लगातार ऐसी ही बातें होती हैं। लोक सेवा आयोग में भी कांग्रेसी, अर्थात् भूतपूर्व कांग्रेसी एम० एल० ए० को भेज दिया है। इसका आये दिन हमको रोज बड़ा खराब अनुभव होता है। उदाहरणार्थ गेंदासिंह जी वगैरह ने एक स्टेटमेन्ट दिया कि भुखमरी है। उन्होंने पूर्वी जिलों में जांच की थी, लेकिन वहां के अधिकारी ने कह दिया कि ऐसा नहीं है। तो अधिकारी की बात सही मानी गई और जनता के प्रतिनिधियों की गलत हो गई। नौगढ़ (बस्ती) की तहसील में जनता ने शान्तिपूर्वक घेरा डाला कि हमको रोटी दो और श्री यादवेन्द्रदत्त जी दुबे बाद में वहां जांच को गये। वहां पुलिस ने ईंटों पर रखकर एक व्यक्ति का हाथ तोड़ डाला था और औरतों के बाल खींचे थे। ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन अधिकारी लिख देता है कि वहां भुखमरी नहीं है और वही सरकार मानती आयी है। तो जो जिलाधीश सिफारिश करेगा, जिला परिषद् के निर्णय के खिलाफ, उसे सरकार मानेगी। इससे यह संस्था शक्तिहीन रह जायेगी।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

इसमें वाइस प्रेसिडेंट का सवाल है। यह बोर्ड का भूतपूर्व चेयरमैन होगा। जिला बोर्ड ऐक्ट जब बना तो उसमें चैयरमैन और मेम्बर एक साथ निर्वाचित हुए। उस ऐक्ट में एक धारा ऐसी है कि कोई भी आदमी एक साथ चेयरमैन और मेम्बर का चुनाव नहीं लड़ सकता। वे दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। इसलिये कोई आदमी जो सन् ४८ में सदस्य था वह चेयरमैन नहीं हो सकता था। आज चैयरमैन अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य हो गया है, आर्डिनेन्स और बिल के मुताबिक। अब उनको power दी जा रही है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट भी बनो इसलिये यहां भी कुछ विरोधाभास है। साथ ही जिलाधीश को बहुत से काम रहते हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन के काम बहुत रहते हैं और कई किस्म का ऐडमिनिस्ट्रेशन उसको करना होता है, यहां तक कि प्लानिंग के काम के लिये भी उसको मौका नहीं मिलता। एक आदमी क्या-क्या करे? अब उसको अध्यक्ष बना दिया गया है और कहा गया है कि कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहे, उसकी पावर्स उपाध्यक्ष को डेलीगेट कर दी गयी हैं। फिर कहा जाता है कि प्रजातंत्र की पद्धति पर एक चुने हुए व्यक्ति को, जो जनमत का द्योतक है, पावर्स डेलीगेट करने में कौन-सी चीज जनमत के खिलाफ हो जाती है। बात यही है कि वह व्यक्ति कांग्रेसी है। यू० पी० के मामले में ९५ फीसदी ऐसे व्यक्ति कांग्रेसी हैं। जब वह कार्यकारिणी का हेड होगा तो फिर उसको जिधर चाहेगा घुमायेगा। आज हमारे अल्मोड़े में यही तो हो रहा है, इसीलिये तो कहता हूं। हमने जो कुछ रचनात्मक सुझाव पिछली जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक में दिये गये, चाहे वे स्कूल बनाने के बारे में हों या अस्पताल खोलने के बारे में, उन सब को ठुकरा दिया गया। अगर सरकार वाकई चाहती है कि यह जनतंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार चलें तो विरोधियों की बात सुनी जानी चाहिये।

श्रीमन्, एक कहावत है "निज कवित्त केहि लाग न नीका"। तो अपनी बात किसे खराब लगती है? अपने दोष किसे दिखाई देते हैं? विरोधी पार्टी ही सरकार का दर्पण हैं। जब तक वे न बतायें आप को नहीं मालूम हो सकता कि नुक्स कहां है। तो विरोधियों का काम शीशा दिखाना है। जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी सूरत कैसी है। लेकिन कार्यकारिणी के ७ में से हमारे यहां एक भी विरोधी को नहीं आने दिया गया। जिन कांग्रेसियों का नाम भी विरोधी पक्ष वालों ने दिया उनको भी नहीं लिया गया। नरेन्द्रसिंह जी एम० एल० ए० को भी हरवा दिया गया। गांधी जी की यूरोपियन शिष्या, सरला बहन जैसी रचनात्मक कार्यकर्त्री को भी हरा दिया। जो मेम्बर बनने योग्य हैं उनको आप मेम्बर न बनायें और जो भी काम करें दलगत राजनीति के अनुसार ही करें तब तो ठीक नहीं हो सकता।

मौजूदा खंड १५ में एक बात यह कही गई है, रूल्स फ्रेम करने के बारे में:—

"15. (1) The State Government may frame rules including rules for the conduct of business by the *Antarim Zila Parishad* for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In so far as the rules framed under this Act do not make provision or make inadequate provision in respect of any matter, the provisions of the U. P. District Boards Act, 1922 and rules, regulations and bye-laws framed thereunder shall, *mutatis mutandis* and to the extent they are not inconsistent with the provisions of this Act or rules framed thereunder continue to govern such matter.

(3) All rules framed under the Uttar Pradesh Zila Parishad Ordinance, 1958, shall be deemed to be rules framed under this Act."

अब मैं श्रीमन, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इस चीज को देखते हुए आप देखेंगे कि यह जो तीसरा खण्ड है उसमें कहा है रूल्स को बनायेंगे। दूसरी तरफ से यह कहा गया कि सरकार की तरफ से रूल्स बनाये गये। आपने उन रूल्स का जिक्र तो कर दिया, लेकिन क्या उनको सदन की

मेज़ पर रखा ? गजट में चाहे प्रकाशित कर दिया हो, लेकिन उनका कागनीजेंस (cognizance) हम तब तक नहीं ले सकते जब तक कि वे आदरणीय सदन की मेज़ पर न रख दिये जायं क्योंकि अगर आप उनको छपा सकते थे तो क्यों नहीं उनको आदरणीय सदन की मेज़ पर रख सकते थे ? यह बात पिछली मर्तबा भी, फरवरी के महीने में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल पर डिबेट हुआ था तब भी मैंने यह कहा था कि यह कानून जो बनता है उसको आफिशियल्स लोग बनाते हैं जो कि जनतंत्र के सिद्धान्तों के अपनी जाती तौर पर बहुत हिमायती नहीं हैं । माननीय मन्त्री जी उनके यहां से बिल आने पर उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं और वह बिल मंत्री जी का हो जाता है । माननीय मन्त्री जी चाहे उसमें कोई बात गलत हो या सही हो, उसको जम्हूरियत का जामा पहनाना चाहते हैं और फिर उसमें prestige का सवाल भी उठ खड़ा होता है कि यह बिल सरकार की तरफ से आया है इसलिये इसको पास होना ही चाहिये नहीं तो सरकार की इज्जत चली जायगी । मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये जहां पर गलती हो उसको मान लेना चाहिये और उसे ठीक कर देना चाहिये । पिछली मर्तबा भी कई बार ऐसा मौका आया जबकि आपने इस तरह की गलतियों को दुरुस्त किया और विरोधी दल की बात मानने के लिये तैयार हो गये, जिसके लिये हम आपके शुक्रगुजार हैं । आज इस में भी बहुत सी खामियां हैं तो इसलिये हम चाहते हैं कि इसके लिये २० दिन का समय दे दिया जाय ताकि जो खामियां हैं वे दूर की जा सकें ।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, इसमें सरकार ने राजाज्ञा द्वारा बोर्ड के ऐक्ट को धाराओं के निलम्बन का अधिकार भी लिया है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट में अगर कोई ऐसा प्राविजन हो, जिससे कानून के मार्ग में अड़चन आवे तो वह इस आदरणीय सदन के सामने नहीं आवेगा बल्कि एक सरकारी आदेश के द्वारा ही वह निलम्बित कर दिया जायगा । मैं समझता हूं कि यह लेजिस्लेचर के काम में इंटरफियर करना है और इसके लिये हम सभी को चाहे वे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, इसके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये ।

माननीय नेकराम शर्मा ने एक बार कुछ शब्द कहे थे, उनके शब्द ये थे "कैबिनेट डिक्टेटर होती चली जा रही है" । मैं भी समझता हूं कि कैबिनेट लेजिस्लेचर को ओवर राइड (over ride) करने की कोशिश करती है और डिक्टेटर-शिप की ओर बढ़ती चली जा रही है । एक तरफ तो प्रजातंत्र की बात की जाती है, प्रजातंत्र के सिद्धान्तों की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ कानून को लेजिस्लेचर के सामने भी नहीं लाया जायगा और सरकारी आज्ञा से ही सब कुछ हो जायगा । इस तरह से सरकार अपने हाथ में पूरी ताकत रखना चाहती है । मैं समझता हूं कि यह बिलकुल उस हक का अतिक्रमण है ।

इसके अलावा एक्जीक्यूटिव आफिसर और सेक्रेटरी के कार्यकलापों के बारे में भी माननीय मन्त्री जी ने कुछ कहा । मैं जानता हूं कि उनकी यह बात ठीक है कि प्लानिंग कमेटी का दायरा बहुत बड़ा है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी आज जिस तरह से काम को हैंडिल करते हैं उसको देख कर यही मालूम होता है कि वे रबर की मुहर वाले क्लर्क रह गये हैं । पहले जो लोग वहां काम करते थे उनको स्कूलों के बारे में कुछ ज्ञान था, वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से थोड़ा-बहुत सम्बन्ध रखते थे, लेकिन पिछले बोर्ड में क्या हुआ, इस पर हम अपनी राय नहीं दे सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि सड़क का कोई काम हो, पुल का कोई काम हो, आज टैलेंट का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है । सेक्रेटरी जो अच्छी तनख्वाह पाने वाला है उससे काम लिया जाता है एक मामूली क्लर्क का जो ५० और ६० रुपया तनख्वाह पाता है, इस तरह से यह धन का दुरुपयोग हो रहा है, यह भी सोचने की बात है ।

इसके अलावा एक बात इसमें यह है कि जो जिला अंतरिम परिषद् है इनमें मैं इस बात के खिलाफ हूं और मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी की बात की ताईद करता हूं और कुछ कांग्रेसी भाई भी इस बात की ताईद करते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की वजह से कह नहीं सकते कि शहरी मेम्बर आखिर क्यों इन में रखे जायं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किस का था ? वह देहात के लिये बना और जिला अंतरिम परिषद् भी देहात के लिये

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

बनी। अब अगर देहात का प्रतिनिधित्व कराना चाहते हैं तो शहरी मेम्बर क्यों रखे जायं, देहात के मेम्बर ही रखिये। एक देहाती संस्था के नाम पर आप शहरी मेम्बर रख दें और उन्हीं के बहुमत से पास करें कि देहात में क्या अच्छा है, या क्या बुरा है। तो यह बात भी ठीक नहीं है। अब ज्यादा समय न लेते हुए मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बिल पर शान्ति के साथ बैठकर, जाग्रतावस्था में सोचें, समझें और गलतियों को दूर करने का उपाय करें। इन शब्दों के साथ मैं इस अपने संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान खंड १५ के उपखंड (३) की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि :

"उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ के अधीन बने समस्त नियम इस अधिनियम के अधीन बने नियम समझे जायेंगे।"

तो यह नियम पहले बन चुके हैं और यह आवश्यक होगा कि माननीय सदस्यों को इसकी प्रतियां मिल जांय ताकि वे विधेयक के साथ उन पर भी विचार कर सकें। अगर आज नहीं तो कल आप माननीय सदस्यों को बंटवा दें।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)**---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा एक मिनट रुक जायं। एक बात मैं माननीय सदस्यों को बता दूं। इसमें काफी संशोधन आये हैं। एक संशोधन जो पहले लिया गया वह जनमत के लिये था। दूसरा संयुक्त प्रवर समिति के लिये था और तीसरा माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी का है जो प्रवर समिति के लिये है। अब बाकी अन्य संशोधनों को इजाजत नहीं दी जायेगी, लेकिन माननीय सदस्य बोल सकते हैं। इसलिये माननीय भगवतीसिंह विशारद और माननीय शिवप्रसाद नागर जी के संशोधनों की इजाजत नहीं दी गई।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मान्यवर, इस विधेयक की बहस के दौरान में बहुत-सी चीजें ऐसी भी कही गईं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था और सम्भवतः उसी कारण से हम कुछ अन्य चीजों से दूर हटते जा रहे हैं। मैं आपको पूर्णतः इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि न मैं पुनरावृत्ति करूंगा, न इस विधेयक के परे जाने का दोष मेरे ऊपर लग पायेगा।

मान्यवर, इस विधेयक के सिद्धान्तों का जहां तक प्रश्न है, उसमें मैंने यह जो संशोधन दिया है उसका तात्पर्य ही यह होता है कि मैं उससे सहमत हूं। परन्तु इस संशोधन के लाने के लिये यह भी देखा जायगा। श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय तथा उनके सभा सचिव का ध्यान आकर्षित करता हूं कि समय बचाने के लिये न तो मैंने जनमत संग्रह के लिये संशोधन दिया और जिसमें कम समय लगे इसका भी खयाल रखते हुए दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने का भी संशोधन नहीं रखा, लेकिन साथ ही साथ कुछ कारण-वश मैं यह समझता था कि इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक है। इस कारण मैंने इस तरह का संशोधन उपस्थित किया है।

मान्यवर, २९ अप्रैल, १९५८ को एक आर्डिनेंस (अध्यादेश), इस प्रदेश में आता है जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम समाप्त करके अन्तरिम जिला परिषद् बनाया जाता है। मगर साथ ही साथ यह भी याद रहे कि उस समय पहली मई को जब कि डिस्ट्रिक्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोर्ड समाप्त हुआ तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपनी जगह पर काम कर रही थी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का अन्त असल में २९ मई से हुआ, एक दूसरे गजट नोटीफिकेशन के द्वारा जो कि ३० मई से लागू होता है।

अब श्रीमन्, यह देखा जायगा, भूमिका इस वजह से मैं दे रहा हूं कि इस विधेयक में जो पुराना प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होता था वह इस अन्तरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष होगा। प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैसियत से वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का भी वाइस प्रेसीडेंट होता था। इस चीज की तरफ मैं इसलिये ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहली मई को खत्म होता था और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ३० मई को। लेकिन जिस वक्त पहली मई को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म हो जाता है उस वक्त उस पुराने प्रेसीडेंट को कोई कानूनन हक नहीं था कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का सदस्य रह सके। वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो सदस्य था या उपाध्यक्ष था वह केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के नाते था।

श्रीमन्, इसके साथ यह भी कहा गया है, माननीय सभा-सचिव महोदय कल इस सदन में फरमा रहे थे कि उस में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश के लिये महान त्याग किया है, मुझे स्वीकार है। लेकिन क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं कि इस माननीय सदन में भी बहुत से सम्मानित सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ आहुति दी है, न्यौछावर किया है और त्याग किया है और वह भी अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य होंगे। कहीं अच्छा यह हुआ होता कि अन्तरिम जिला परषिद् के सदस्यों को यह अवसर प्रदान किया गया होता कि अपना उपाध्यक्ष वह स्वयं चुनते। इस विधेयक में वह मनोनीत किया जाता है और मनोनीत जिस आधार पर किया जाता है, श्रीमन्, मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, वह किसी आधार पर नहीं किसी विधि के अनुकूल नहीं है। वह प्रजातंत्र की सारी प्रणालियों के विपरीत है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर आते हैं। इसी विधेयक में श्रीमन्, पावर डेलीगेट करने के लिये भी कहा गया है। खंड १६ श्रीमन्, इस विधेयक का ऐसा है कि जिससे अध्यक्ष महोदय को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह अपने किसी अधिकार को उपाध्यक्ष को डेलीगेट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी आज्ञा से श्रीमन्, मैं वह खंड पढ़े दे रहा हूं :—

"यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी बात के होते हुए भी, अन्तरिम जिला परिषद् अपने किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को अध्यक्ष या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो नियमों द्वारा नियत किया जाय, सौंप सकती है तथा अध्यक्ष अपने किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को उपाध्यक्ष . . . ." तो यह डेलीगेशन जो हो सकता है वाइस प्रेसीडेंट को हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर को हो सकता है या किसी भी अधिकारी को हो सकता है, यानी वह चाहें तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी को भी दे सकते हैं या और भी जो नियत किये जायं। अब इसके सम्बन्ध में दफा ४३ जोकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की थी वह पढ़ देना चाहता हूं—

"The President of a Board may empower by general or special order any Vice-President to exercise under his control any one or more office powers, duties or functions, except those specified in clauses (*a*), (*b*) and (*d*) of section 41".

अब मैं दफा ४१ के 'ए', 'बी' और 'डी' पढ़ देना चाहता हूं—

"41. (*a*) Unless provided otherwise by this Act or prevented by reasonable cause to convene and preside at all meetings of the Baord, otherwise to control in accordance with any regulations made in this behalf the transaction of business at all meetings of the Board.

(*b*) Unless prevented by reasonable cause to convene and preside at meetings of the Finance Committee of the Board and to control in accordance

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

with any rules and regulations made in this behalf the transaction of business thereat.

(*d*) To watch over the financial and superintend the executive administration of the Board and bring to the notice of the Board any defect therein".

तो श्रीमन्, ४१ दफा में भी प्रतिबन्ध ऐसा है कि आर्थिक मामलात जहां थे या शासकीय कार्य था, जहांतक फाइनेंस कमेटी का प्रश्न था, तथा 'ए' में उन्होंने दिया था कि जहां तक मीटिंग्स के कंडक्शन का सवाल था, ये पावर्स ऐसे थे जो डेलीगेट नहीं किये जा सकते थे। लिहाजा अगर डेलीगेशन रखा भी गया तो मुझे उस पर आपत्ति नहीं हो सकती। यह प्रतिबन्ध उस पर हो जाय जहां तक आर्थिक और इन्तजामी मामलात हैं। उन जरूरी कामों को जिनको किसी पावर के जरिये डेलीगेट नहीं किया जा सकता उनको अध्यक्ष अपनी पावर में रखे होता। यह सूरत वाइस प्रेसीडेंट की रही।

अब श्रीमन्, मुझे दो आपत्तियां थीं। यह प्रेसीडेंट उपाध्यक्ष क्यों बन रहे हैं और उपाध्यक्ष बन रहे हैं तो पावर्स जो डेलीगेट की जा रही हैं वह अत्यधिक हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी ये चीजें नहीं थीं। अब श्रीमन्, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि एग्जिक्यूटिव कमेटी के दो फारमेशन हैं। इंटेरिम जिला परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति भी बनेगी। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में दफा ५६ अपनी जगह पर यह साफ बताता है कि एग्जिक्युटिव कमेटी का फारमेशन किया जाय। उसके दो तरीके उसने दिये हैं। मगर इस विधेयक के जरिये दफा १२ के अधीन माननीय नवल किशोर जी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। मैं दफा ५६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और उतना ही पढ़ूंगा जितना जरूरी है :

"There shall be an Executive Committee of the Board consisting of the President of the Board, Vice-President of the Board, three members of the Board, elected by the Board and President of such established by the Board under provisions of section 56(2) as may be notified by the Government".

यह मुझे स्वीकार है कि इस जगह पर जो एलेक्शन ३ मेम्बर्स का था जोकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा चुने जाते थे वह केवल बेयर मैजारिटी से चुने जाते थे। यह मैं नहीं कहता हूं कि यह सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से चुने जाते थे, लेकिन ५६(२) में जिस तरह से आप प्रेसीडेंट को लेते थे और उनका चुनाव होता था वह उसी जगह सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से होता था। मैं उसका हवाला दे रहा हूं—

"By single transferable vote elect such office members as it thinks fit for a period not exceeding one year to any committee so established".

यह बड़ा लम्बा क्लाज है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इसी दफा ५६ में जबकि एग्जिक्यूटिव कमेटी फार्म की जाती है तो प्रेसीडेंट होता था, वाइस प्रेसीडेंट होता था और ३ मेम्बर बेयर मैजारिटी से चुने जाते थे, लेकिन जैसे तहसील कमेटी हुई तो इस प्रकार के जो चुनाव हुआ करते थे वह सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से होते थे और मैं समझता हूं कि इससे माननीय मंत्री जी को कोई इनकार नहीं हो सकता अगर हो तो उसके लिये मैं दफा ५६(२) का हवाला दे रहा हूं, आप देख लें।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—लेकिन सब-कमेटी के चेयरमैन का एलेक्शन डायरेक्ट होता था।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं वह कब कह रहा हूं। मैं तो यह कहा रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ये दोनों प्रथायें थीं। यह मैं इनकार नहीं करता हूं कि मेजारिटी का कहीं नाम ही नहीं था। आपका वाइस प्रेसीडेंट भी इसी तरीके से चुना जाता था। बहुत से माननीय सदस्यों को यह शिकायत थी कि वे मेम्बर कैसे रहे। मैं इसको नहीं कहता, वे मेम्बर रह सकते हैं क्योंकि आपने उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं माना बल्कि एलेक्टोरल कालेज माना है। उसमें कोई ऐसी कानूनी आपत्ति नहीं है। लेकिन एक जगह जब आपने सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से ५ सदस्य अन्तरिम जिला परिषद् में भेज दिये तो क्या यह मुनासिब नहीं होता कि इसमें भी आपने वही प्रथा रखी होती? मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में यह तरीका था। श्रीमन्, मैं इन दफाओं से यह बता रहा था कि जो सिद्धान्त हैं उससे वे अनभिज्ञ नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में किन्हीं स्थानों पर उसका भी सहारा लिया जाता था और एक जगह स्वयं इस आर्डिनेन्स में भी यह रखा गया था। तो क्या बुराई हो जाती अगर एग्जीक्युटिव कमेटी में मेजारिटी एलेक्शन के बजाय सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये चुनाव हो जाता? उसमें कौन पार्टी के लोग आते, इससे मेरा मतलब नहीं है, मैं तो सिद्धान्त की बात कहता हूं।

श्रीमन्, इस विधेयक में यह भी रखा गया है कि प्लानिंग कमेटी में जो सरकारी कर्मचारी सदस्य हुआ करते थे वे इस अन्तरिम जिला परिषद् के भी सदस्य होंगे। मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी से सहमत नहीं हूं कि अगर आपने उनको सदस्य बना दिया है तो यह अच्छा होगा कि उनको वोट देने का भी अधिकार दें। यह महान भूल होगी कि अन्तरिम जिला परिषद् के जो सरकारी कर्मचारी सदस्य हैं वे हमारी तरह हमारे मामलात में वोट दें। माननीय त्रिलोकी सिंह जी को यह आपत्ति हो या न हो, लेकिन मुझे यह शिकायत अवश्य है कि पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में जो तरीका था जो कि दफा ५४ में दिया गया है कि सिविल सर्जन, एग्जिक्युटिव इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टरेस आफ स्कूल्स मीटिंग्स को एटेंड कर सकते थे और उसमें भाषण दे सकते थे—आपके द्वारा मैं इस सेक्शन को पढ़ देता हूं क्योंकि माननीय सभा सचिव को यह बड़ी शिकायत है कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं होता या निराधार होती है। इसलिये मैं हर बात की पुष्टि भी करता जाता हूं।

"The Civil Surgeon of the district, the Executive Engineer of the division, the Inspector or Inspectress of Schools of the Circle and any other servant of the Government especially authorized by the State Government in this behalf shall with the permission of the President be entitled to attend any meeting of the Board and to address the Board on any matter affecting their respective departments".

तो उनको मेम्बर न बनाकर इस तरह की चीज रखी जानी चाहिये थी। उनको यह हक दे दिया गया होता कि वह मीटिंग अटेंड करते और उसमें भाग लेते और फुलफलेज्ड मेम्बर्स न रखे गये होते तो ज्यादा अच्छा था। यह मेरा सुझाव है। यदि यह नहीं रखा गया तो इससे मैं सहमत हूं कि उनको अधिकार नहीं दिया गया।

श्रीमन्, अब इसमें एक दफा है। मैं विधेयक के खंडों को नहीं पढ़ रहा हूं जिससे समय बच सके। हर एक लोकल बाडीज का जो कानून है उस की कसौटी है, उसका मियार है और उसका पैमाना इस बात से देखा जा सकता है कि यह कानून अपनी जगह पर उचित है और हितकर है। वह कसौटी यह है कि कम से ऐक्सटर्नल कंट्रोल हो तो वह कानून अच्छा होता है। जितना कम से कम ऐक्सटर्नल कंट्रोल किसी कानून द्वारा हो उतना ही वह अच्छा होता है। अगर लोकल बाडीज पर ऐक्सटर्नल कंट्रोल इतना सख्त हो कि हर जगह उसके काम में रुकावट हो तो एक मजाक सा मालूम होता है।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

इस जगह यह कहा गया है। श्रीमन्, मैं इस विधेयक के खंड १२ का उपखंड (५) पढ़े देता हूं।

"जब उपधारा (१) के अधीन कोई अभिदेश किया गया हो तो राज्य सरकार अथवा कलेक्टर तथा उपधारा (३) के अधीन कार्य करते हुये राज्य सरकार, ऐसी अंतरिम आज्ञायें जिनके अधीन किसी संकल्प के निष्पादन को रोकने की भी आज्ञा है, जिन्हें वह आवश्यक समझे दे सकती है।"

इसके माने यह हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टर जब उनकी समझ में आये कि कोई ऐसा संकल्प जो जनहित में न हो तो उसको कार्यान्वित करने से रोक सकती है।

कल माननीय त्रिलोकी सिंह जी फरमा रहे थे कि पब्लिक आर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में जो डिस्टिंक्शन होता है उसको वह ड्रा करना चाहते थे। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का पुराना कानून था वह इन दो शब्दों से कहीं साफ था। पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक आर्डर की परिभाषा करना एक बड़ा जटिल और कठिन काम है। जो माननीय सदस्य वकालत करते हैं और जिन्हें कानून का ज्ञान है, उनको मालूम होगा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट्स के रूलिंग्स हैं और वह हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी इस संबंध में कठिनाई हुआ करती है। इस पर भी आप देखेंगे कि अमरीकन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स एक दूसरे से विरोधाभास प्रकट करती हैं। लेकिन हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट बहुत साफ था। इसमें जो लिखा था वह मैं आपके द्वारा दफा १६६ को पढ़े देता हूं....

"166(1) The (Prescribed Authority) of the District Magistrate may, within the limits of (its or his jurisdiction) or district, as the case may be, by order in writing, prohibit the execution or further execution of a resolution or order passed or made under this or any other enactment by a board or committee of a board, or a joint committee, or any officer or servant of a board or joint committee, if in his opinion such resolution or order is of a nature to cause or tend to cause obstruction, annoyance or injury to the public or to any class or body of persons lawfully employed, or danger to human life, health or safety, or a riot or affray; and may prohibit the doing or continuance by any person of any act in pursuance of or under cover of such resolution or order".

हम इस विधेयक को ला कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट से एक अधिक उन्नतिशील कानून बनाना चाहते हैं। इसमें अगर संकल्प पारित भी हो गया तो उसको कार्यान्वित करने के लिये आगे की कार्यवाही को रोकने के लिये भी प्राविजन था। किन चीजों में वह ऐसी कार्यवाही चाहते हैं उसकी भी परिभाषा उन्होंने दे दी है। आब्सट्रक्शन हो, हेल्थ हो या ऐसी चीजें हों जहां पर कलेक्टर जरूरी समझता हो, वह सरकार को सूचना दे, धारा १६१ (२) और (३) में, इसके आगे, यह सब चीजें हैं। मैं उसमें वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारा उससे सीधा ताल्लुक नहीं है। यह अधिकार कलेक्टर को दिया गया है, यह अधिकार सरकार को भी है। लेकिन कभी इस बात का भी खयाल किया गया है कि कलेक्टर महोदय की क्या परिस्थिति होगी? एक जगह तो प्रेसीडेंट, अन्तरिम जिला परिषद् हैं, दूसरी जगह एग्जीक्युटिव हेड, ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हुये उनको यह अधिकार है कि वह रोक सकते हैं। मुझे यह शिकायत नहीं है, यह अधिकार उनको पहले भी था। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यह अधिकार यदि सरकार अपने ही तक रखती तो ज्यादा अच्छा था क्योंकि इतना भरोसा किया जा सका है कि अंतरिम जिला परिषद् में जिम्मेदार लोग हैं, कोई ऐसा संकल्प नहीं पारित करेंगे जिससे जनहित को कोई तात्कालिक क्षति पहुंच सके। दीर्घकालीन क्षति पहुंचना तो दूसरी बात है। एक ही चीज को हम

जनहित में समझ सकते हैं और दूसरा व्यक्ति जनहित में नहीं समझ सकता है। जिस तरह से इस बिल की ड्राफ्टिंग हुई है मैं समझता हूं कि हर एक संकल्प अन्तरिम जिला परिषद् में इस धारा के अन्तर्गत आ सकता है और कलेक्टर जब चाहे उसको रोक सकता है। अतः इसको देखते हुये यह देखना होगा कि यह अधिकार सरकार अपने तक ही सीमित रखती तो कहीं अच्छा होता बनिस्बत इसके कि कलेक्टर को दिया जाय।

श्रीमन्, जहां तक किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकारों में वृद्धि करने का प्रश्न है मैं यह समझता हूं कि उसके अधिकारों में वृद्धि क्या हो सकती है, वृद्धि केवल यह हो सकती है कि वह चीफ मिनिस्टर की जगह बैठा दिया जाय।

राज्यपाल कांस्टीट्यूशनल हैड है उसी तरह से जिले का जो काम होता है उसका हैड जिलाधीश है। उसको चाहे आप गाड कहें या भगवान् कहें वह सर्वाधिकार सम्पन्न जिले में जिलाधीश विराजमान है। फिर उनके अधिकारों में वृद्धि करने का क्या सवाल पैदा होता है ? यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास काम काफी है। यह काम जो जिलाधीश को सौंपा गया है वह इस काम को नहीं कर सकेगा। यह अधिकार तो अन्तरिम जिला परिषद् को होना चाहिये ताकि वह अपना प्रेसीडेंट बनाये। उसको यह अधिकार डेलिगेट किये जा सकते हैं।

इस संबंध में मैं एक चीज और आपके द्वारा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वह यह है कि कानून में इस बात के लिये प्राविजन है कि कलेक्टर उपाध्यक्ष को पावर्स डेलिगेट कर सकता है। हर जिलाधीश पढ़ा-लिखा है, हिन्दी जानता है और कानून भी जानता है। वह जुडिशियल वर्क भी करता है और एक्जिक्यूटिव वर्क को देखता है और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करता है। सरकार से उसको इस विराट महल से कुछ आदेश भेजे जाते हैं परिपत्र के द्वारा। इसी सम्मानित सदन में एक सदस्य यह जानना चाहते थे कि उस परिपत्र में क्या लिखा गया है और उसके भेजने का आशय क्या था तो उसके उत्तर में यह कहा गया कि वह गोपनीय है। इससे अधिक उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। मैं नहीं समझा कि वह कौन सी चीज थी जो जिलाधीश को बताने के लिये इस सरकार के द्वारा भेजी गई। वह अपने अधिकार को समझते थे परन्तु मैं यह समझता हूं कि उसमें यह हो सकता है कि वह उन उपाध्यक्षों को इन अधिकारों को समर्पित करे। नहीं तो कोई अधिकार के बारे में उनको समझाने की आवश्यकता नहीं हो सकती। अगर इस तरह से परिपत्र भेजा जायगा तो जो यह अधिनियम है इसकी १७ धारायें हैं इसको हर धारा को समझाने के लिये १७ परिपत्र उनको भेजे जायेंगे। तो यह कानून कब तक चल जायेगा यह मेरी समझ में नहीं आया। उस अन्तरिम जिला परिषद् के इस सम्मानित सदन के सदस्य भी सदस्य हैं। लिहाजा न हमको इस सदन में बतायेंगे कि क्या है और जिलाधीश उसको खुफिया रखना चाहते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि वह इस तरह का परिपत्र क्या था। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्मानित सदन का अपमान है कि ऐसे मामले में सदन को विश्वास में न लेकर इस तरह से किया जाय। इसके लिये हमको अधिकार है कि हम जान सकें कि वह क्या चीज है।

अब मैं जनाब से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से जिलों में यह शिकायतें हैं कि अधिकारीवर्ग ने परिषद् में मतदान किया है। इसके लिये आर्डिनेंस में कोई रुकावट नहीं है। उस आर्डिनेंस के मुताबिक वे मत दे सकते थे। इस विधेयक के द्वारा उनके अधिकार को सीमित किया जा रहा है। तो जिलों में जहां पर कानूनी गलती रही कि अधिकारी वर्ग ने एक्जीक्युटिव कमेटी के फार्मेशन में वोट दिया है उसको देखा जाय। मैं यह जरूर चाहूंगा कि जो इसका कानूनी पहलू है उसको देखा जाय और यह कानून जो बनाया जा रहा है।

जो इसकी ड्राफ्टिंग है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि यदि यह विधेयक इसी सदन में पास करेंगे आप, तो इसमें बहुत सी खामियां रह जायेंगी। मेरा संशोधन निर्दोष है और मैं समय टालना नहीं चाहता हूं और यदि अवधि कम करने का कोई संशोधन सरकार की तरफ

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

से आये, मैंने एक सप्ताह रखा है, यदि उसे वह दो दिन या तीन दिन करना चाहें तो मुझे कोई एतराज न होगा। सदन में जिस वातावरण में भाषण होते हैं, जिस वातावरण में उत्तर दिया जाता है उसमें खंडवाइज डिस्कशन नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी को शिकायत है कि बहुत से दोस्तों ने जो उनको इत्मिनान दिया था, जिनको कि वह वचनबद्ध समझते थे, उन्होंने आखिरी मौके पर चोट दी। मुझे यह कहना है कि वे आपके पुराने दोस्त हैं और मैं आपके न दोस्तों में हूं न दुश्मनों में। वह आपके पुराने चट्टे-बट्टे हैं, आप के ही साथी हैं, आपको वह शिकायत उनसे हो सकती है। हो सकता है कि जो शिक्षा-दीक्षा आपने उनको दी हो उसी का वह अनुसरण कर रहे हों। उनके हाथ में जब आप आ गये तो उसका वह उचित या अनुचित लाभ उठा रहे हों, लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं है। न तो मैंने पुनरावृत्ति की है और न मैं इस विधेयक के डिटेल में जाना चाहता हूं। समय भी मैं अधिक नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि वह इसको समझ लें। ड्राफ्टिंग में इसमें बहुत-सी गड़बड़ियां हैं। जैसे एक ओथ लेने का मसला है। मेरे जिले में जिस समय यह परेशानी हुई दुर्भाग्य से उस समय मैं वहां नहीं था। श्रीमन्, उस समय अन्तरिम जिला परिषद् में विराजमान थे। संभवतः आप के ही सुझाव पर, यदि जो मैंने सुना है सच हो तो, यह हुआ कि जब ऐक्ट में यह प्राविजन नहीं है कि हम कसम खायें तो किसी रूल या जी० ओ० से हम पाबन्द नहीं हो सकते हैं। तो आज भी वही परिस्थिति उत्पन्न होती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट उस हद तक माना जाय जहां तक कि उसकी किसी चीज का इसमें विरोध न होता हो। इसमें यह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की हर चीज इसमें लागू होगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट रिपील नहीं किया जा रहा है। एक विधेयक लाया गया है और यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जहां इस विधेयक से असंगत हो, न माना जाय, लेकिन जहां नियम और उपनियम स्पष्ट नहीं हैं उसके लिये सहारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट से लिया जाय। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी म्युनिसिपैलिटीज में इस ओथ का प्राविजन नहीं है, न ऐक्ट में और न रूल में। सिर्फ १५ अगस्त को एक जी० ओ० भेज दिया गया और इस कानूनी पहलू पर हाईकोर्ट में रिट भी दायर हुये हैं और उस पर फैसला भी हुआ है। आज भी जिला परिषदों में यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है कि जो मेम्बरान ओथ नहीं लेना चाहते उनके लिये क्या किया जायगा। वह निकाल दिये जायेंगे या उनको नहीं बैठने दिया जायगा या और उनको मजबूर किया जाता है तो वह किस दफा के मातहत।

मैं चाहूंगा कि सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सिस्टर बाडी का प्रमाण दे रहे हैं। आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को मैं बता दूं कि मेरे पास इसके भी प्रमाण हैं कि बहुत से हाई कोर्ट ने ऐसे रिटों पर भी अपने फैसले दिये हैं। आपने इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में भी कोई प्राविजन नहीं किया है। नियमों में कहा है कि यह भी एक सवाल पैदा हो जाता है कि उन नियमों की कहां तक पाबन्दी जरूरी है। आज इस विधेयक में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है कि ओथ आफ आफिस ली जानी चाहिये। श्रीमन्, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खंड १५(२) में इस प्रकार से लिखा हुआ है मैं इसको पूरा ही पढ़ दूं ——

"१५——(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम, जिनके अन्तर्गत अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा कार्य संचालन के लिये नियम भी हैं, बना सकती है।

(२) जहां तक कि इस अधिनियम के अधीन बने नियम किसी विषय के संबंध में व्यवस्था नहीं करते या अपर्याप्त व्यवस्था करते हैं वहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्ध तथा उसके अधीन बने नियम, विनियम और उपविधियां आवश्यक परिवर्तनों के साथ तथा उस आयति तक जहां तक कि वे इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे विषय को विनियमित करती रहेंगी।"

तो इसके अन्तर्गत वह नहीं हो सकता। यह कहना कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नियमों के अधीन यह हो सकता है लेकिन मैं कहता हूं कि कोई चीज उसके अन्तर्गत कहीं भी नहीं है जिसके द्वारा किसी मेंबर को शपथ खाने के लिये मजबूर किया जा सके। परिस्थिति ऐसी भी आयी है बहुत से जिलों में कि लोगों ने कसम लिया ही नहीं, लेकिन अगर कसम खाना जरूरी है तो जितनी मीटिंग्स हुईं वे अवैध हैं और जो भी चुनाव हुये हैं वे मान्य नहीं हैं। कानूनी पोजीशन तो यह है कि ओथ आफ सीक्रेसी, ओथ आफ आफिस की आवश्यकता नहीं है और जिन्होंने लिया है, वह रिडंडेंट है और जिन्होंने नहीं लिया, कोई जरूरत नहीं थी। मान्यवर, इस पहलू की ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह क्लाज १५(२) अपनी जगह पर हिन्दी में कुछ साफ नहीं है, मगर अंग्रेजी में बहुत साफ है। वह इस प्रकार है--

"In so far as the rules framed under this Act do not make provision or make inadequate provision in respect of any matter, the provisions of the U. P. District Boards Act, 1922 and rules, regulations and bye-laws framed thereunder shall, *mutatis mutandis* and to the extent they are not inconsistent with the provisions of this Act or rules framed thereunder continue to govern such matter."

यहां लफ्ज रूल्स है, लेकिन ऐक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है फिर रूल्स कैसे फ्रेम होंगे, यह एक लीगल कठिनाई हो सकती है।

"The provisions of the U. P. District Boards Act, 1922 and rules, regulations and bye-laws framed thereunder shall, *mutatis mutaudis* and to the extent they are not inconsistent with the provisions of this Act or rules framed thereunder continue to govern such matter".

तो यह चीज ऐक्ट में है ही नहीं। अगर रूल्स में रहे भी तो उसकी लीगल पोजीशन ठीक नहीं होगी। अगर मंत्री जी इस भ्रम में रहेंगे कि १५ (२) में उन्होंने इस बात का प्रबन्ध कर दिया है, तो वे महान भूल करेंगे। इस बात का मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि समुचित उत्तर वे दें। यह कह कर कि हमने जो कहा उससे रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता है, काम नहीं चलेगा। उनके विधेयक में जो दोष थे, उन्हीं के बनाये हुए पुराने कानून का सहारा लेकर हमने उनकी गलतियां बतलायीं और उनको ठीक करने के लिये जैसा कि मेरा निर्दोष संशोधन है, उसको वे स्वीकार करें।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, जो संशोधन प्रस्तुत हैं, उसमें मेरा भी संशोधन है और वह संशोधन प्रस्तुत संशोधन से बिलकुल पृथक है। तो मैं इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--किस आधार पर आप कहते हैं कि वह बिलकुल पृथक है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--मान्यवर, माननीय गोविन्दसिंह जी का संशोधन है कि यह विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को दिया जाय जिसको अपनी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। मेरा संशोधन यह है कि यह विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को दिया जाय, लेकिन उसमें कोई परिधि बढ़ाने की बात मैंने नहीं दी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरा जो संशोधन है उसको स्वीकार करने की यदि आप कोई व्यवस्था दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष--इस पर पहले माननीया श्रद्धा देवी बोल लें, तब तक मैं पूरा देखलूं, उसके बाद व्यवस्था दूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मुझे भी अपने संशोधन के बारे में एक बात कहनी है, इजाजत हो तो कुछ कह दूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा संशोधन नं० २ पर है और माननीय राजेन्द्रसिंह का संशोधन नं० १ पर है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों संशोधनों में एक प्रकार से बड़ा भारी अन्तर है। नं० १ के संशोधन में यह है कि जनमत जानने के लिये प्रदेश के समाचार-पत्रों और गजटों में विधेयक को प्रकाशित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन यह है कि समस्त निकायों और ग्राम-सभाओं को इसकी प्रतियां भेजी जायं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव उस स्तर पर होता था कि समस्त देहात के, तमाम ग्रामीण जीवन के लोग उसमें अपना प्रतिनिधित्व भेजते थे। समाचार-पत्रों और गजट द्वारा देहात में किसी प्रकार का न तो कोई प्रचार हो सकता है और न वहां किसी प्रकार की राय मांगी जा सकती है। इसलिये मेरे संशोधन और इस संशोधन में बिलकुल फर्क है। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से चाहता हूं कि मुझे अपने संशोधन पर प्रकाश डालने का पूर्ण अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी इस आपत्ति के सम्बन्ध में मैं स्वयं निवेदन करना चाहता था। माननीय अध्यक्ष के सामने यह सवाल आया था और उन्होंने ही कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इस पर एक व्यवस्था दे दी, इसलिये उनकी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव मेरे सामने नहीं आ सकता है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ी हुई हूं। मान्यवर, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। इस विधेयक द्वारा वास्तविक शासन का शिलान्यास हो रहा है। मान्यवर, प्रजातंत्र के प्रवर्त्तक तथा सूत्रधार तत्ववेत्ता रूसो का कथन है कि मानव में दैवी शक्ति है, अतः सार्वभौमिक सत्ता तथा शक्ति प्रत्येक मानव में निहित होनी चाहिये। इसी क्रान्तिकारी विचार के आधार पर एकतंत्रात्मक शासन की जड़ें हिला दी गयीं। इसी स्वर्णिम सिद्धान्त के आधार पर प्रजातंत्र के भवन का निर्माण हुआ है। परन्तु क्या आज सार्वभौमिक सत्ता प्रत्येक मानव में निहित है, क्या स्वशासन का तेज व ताप प्रत्येक मानव अनुभव करता है? क्या प्रत्येक मानव का हाथ प्रशासन में है? ये ऐसे मौलिक प्रश्न हैं जो सभी जनतंत्र शास्त्रियों के सामने उपस्थित होते हैं। तो अब प्रश्न और वास्तविक समस्या यह है कि कैसे अधिकाधिक प्रशासन में जनता का हाथ हो। मान्यवर, नौकरशाही के लिये तो विशेषज्ञ के नाते एक सलाह देने का ही अधिकार है।

दूसरे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार का काम तो केवल संगठन और समन्वय करना है। श्रीमन्, हमारी ग्राम-सभाएं और स्वशासन की सभी छोटी से छोटी इकाइयों को जो प्रजातंत्र की नर्सरी और मातृशाला है। इस विधेयक के द्वारा प्रत्येक जिले की जनता को शक्ति मिलेगी और इस विधेयक के द्वारा जिले के सामाजिक, आर्थिक नियोजन का सम्बन्ध, और समन्वय स्वायत्त शासन से होगा। अत: मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करती हूं।

मान्यवर, हमारे पुराने जिला बोर्ड्स विदेशी शासनकाल में स्थापित किये गये थे। वे तो हमारे स्वायत्त शासन की छाया मात्र थे। अंग्रेजों ने हमें संतुष्ट करने के लिये एक खिलौना दिया था। हमारे पुराने जिला बोर्ड्स के पास शक्ति, साधन और अधिकार बहुत ही सीमित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् १९२२ के अधिनियम में भी कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन नहीं हो सके जिन्होंने हमारे जिला बोर्ड्स को अधिक शक्ति, साधन व अधिकार दिए हों। परन्तु फिर भी हमारे विरोधी दल के सभी नेताओं का यह मत था कि हमारे पुराने जिला बोर्ड्स खत्म हों। अतः सरकार ने अध्यादेश द्वारा पुराने जिला बोर्ड्स को समाप्त किया। मान्यवर, क्या ही अच्छा होता अगर विरोधी दलों को खुश करने के लिये और पुराने जिला बोर्ड्स को खत्म करने के लिये अध्यादेश का सहारा न लिया जाता। मुझे सखेद कहना पड़ता है और आश्चर्य है कि इसी सदन में अध्यादेश के लाने के पक्ष में, जल्दी से जल्दी जिला बोर्ड्स को समाप्त करने के पक्ष में बहुत कुछ भाषण विरोधी दलों द्वारा दिये गये थे। परन्तु जब अध्यादेश द्वारा

बोर्ड खत्म कर दिये गये तो उसी अध्यादेश का विरोधी दलों द्वारा अनुमोदन किया गया। दूसरे विरोधी दल परस्पर विरोधी और कुछ ऐसे असंगत तर्क करते हैं जिन्हें सुन कर बड़ा दुख और भविष्य निराशामय प्रतीत होता है। वास्तव में विरोधी दल के नेता समाज के सामने एक आदर्श हैं आने वाले शासन के कि वे कैसा शासन इस सत्तारूढ़ दल के बाद लाना चाहते हैं, के प्रतीक हैं। मान्यवर, आज ही कई मेरे साथियों ने यह आक्षेप किया कि वर्तमान विधेयक तो कांग्रेसी है। मान्यवर, विधेयक की धारा ४ के अन्तर्गत कहां कांग्रेसी पक्ष का समर्थन होता है? और विधेयक के खंड ४ के उपखंड (४) के अन्तर्गत अधिकारियों को कोई वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया। श्रीमन्, जिला अन्तरिम परिषद् का निर्माण या रचना के अन्दर अधिकतर प्रतिनिधित्व ग्राम-सभाओं के सभापतियों का है जो कि ब्लाक के द्वारा चुन करके, प्रत्येक ब्लाक से एक-एक चुन करके आये हैं। मान्यवर, उसके अन्दर संसदीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व, विधान मंडल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, कुछ भारत सेवक समाज और कोआपरेटिव सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व है, जो कि प्रायः चुने हुए हैं। तो क्या विरोधी दल की आपत्ति संसदीय सदस्यों के खिलाफ है? क्या उनकी आपत्ति विधान मंडल के प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं? क्या विरोधी दल की आपत्ति ग्राम-सभाओं के सभापतियों के खिलाफ है? मान्यवर, सम्भवतः माननीय गोविन्दसिंह जी ने यह भी कहा कि वर्तमान ब्लाक या नियोजन समितियां तो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं? तो इसमें हमारा क्या कसूर है? यदि सदन के अन्दर आज बहुमत के अन्दर कांग्रेस दल है और उसका प्रतिनिधित्व ब्लाक कमेटियों में या अन्य कमेटियों में होता है तो यह तो कभी आपके साथ भी होने वाली चीज है।

मान्यवर, एक आपत्ति जो थी और जिस पर बहुत जोर दिया गया वह यह थी, कि जिलाधीश का सभापतित्व और उसके अधिकार उन्हें अस्वीकार हैं। मान्यवर, यदि वास्तव में उनको उनका सभापतित्व और अधिकार अस्वीकार थे तो क्यों नहीं वह जिला अन्तरिम परिषद के सदस्यों द्वारा चुने हुये अध्यक्ष का कोई सुझाव लाये। मुझे आशा है कि ऐसा सुझाव संभवतः मंत्री जी को भी मान्य होता।

मान्यवर, वास्तविक विधेयक जब आयेगा तो उसके सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने का सभी को मौका मिलेगा। मुझे आशा है कि उस विधेयक द्वारा जिले के प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति मिलेगी, उसे पूर्ण विश्वास होगा कि स्वशासन उनके द्वारा है, प्रशासन में उनका पूरा-पूरा हाथ है और यदि ऐसा हो सका तो मेरा विचार है कि इस विधेयक के द्वारा शासन के विकेन्द्रीकरण में उत्तर प्रदेश तमाम देश का पथ-प्रदर्शक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय भगवती सिंह विशारद, यह सही है कि पहले जो प्रस्ताव पेश किया जा चुका है उसमें विधेयक की परिधि बढ़ाने का उद्देश्य है और आपके संशोधन में परिधि बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो अगर आप चाहते हों तो इस रूप में उसको रखें या संशोधन के रूप में भी रख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे, मैं रोक नहीं सकता। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो अपना संशोधन पेश करें।

श्री भगवतीसिंह विशारद--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा ही अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस बात का अवसर प्रदान किया कि मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकूं। अतएव मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

"उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखकर माननीय मन्त्री जी ने अपना व्याख्यान दिया और इसमें भी जो उद्देश्य और कारण बताये हैं उनको लेकर जब मैं इस विधेयक को उनकी कसौटी पर कसता हूं तो मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि उन उद्देश्यों की

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

पूर्ति इस विधेयक के द्वारा नहीं हो रही है और इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि यह विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

मान्यवर, अन्तरिम जिला परिषद् का गठन दो प्रकार से हुआ। जिला नियोजन समिति जो कि २२ अक्तूबर, १९५५ को एक शासकीय आज्ञा के द्वारा पुनर्गठित की गई थी वह और जिला बोर्ड के पांच सदस्यों को मिलाकर इस अन्तरिम जिला परिषद् का निर्माण हुआ। अन्तरिम जिला परिषद् का जो अब तक कार्य बताया गया है वह दो प्रकार का है। अन्तरिम जिला परिषद् जिला नियोजन का सारा कार्य है जिससे जिला नियोजन समिति सम्पादित करती थी उसको वह सम्पादित करेगी और उसके साथ ही साथ जिला बोर्ड जिन कार्यों को सम्पादित करता था उन कार्यों का भी सम्पादन अन्तरिम जिला परिषद् के द्वारा होगा। इस प्रकार अन्तरिम जिला परिषद् का काम, जिला नियोजन समिति का काम और जिला बोर्ड का मिला जुला काम होगा।

इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जिला नियोजन समिति का काम जो अब तक रहा है और जिस प्रकार से जिला नियोजन समिति काम करती आयी है और जिसका हम सभी लोगों को अनुभव है वह यही है कि उसका संचालन नीचे से कभी नहीं हुआ। उसका संचालन सदैव या तो शासकीय आदेशों द्वारा हुआ है या एक बनी बनायी योजना होती है और उसी योजना के माध्यम से उसका कार्य होता रहा है। जानकारी के लिए मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन जिला नियोजन समितियों में खरीफ आन्दोलन किस प्रकार से चलाया जाय, पंचायतों का बकाया टैक्स किस प्रकार से वसूल किया जाय, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बिक्री किस तरह से की जाय, इसी तरह के काम वहां पर रखे जाते हैं। यदि हम उससे कुछ और आगे बढ़े तो अनुदान हेतु जो प्रार्थना-पत्र आते हैं। उनमें से किसको स्वीकृत किया जाय और किसको अस्वीकृत किया जाय इस पर विचार होता है। जिला नियोजन समिति का जितना भी काम होता है वह इस बात को देख कर होता है कि जिला नियोजन समिति का कोष कितना है, इसके पास अनुदान के लिए रुपया कितना है। उसके विपरीत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम इसके पृथक है। शिक्षा, सड़कों और वहां की हेल्थ के संबंध में और दूसरे प्रकार के जो कार्य हैं उनको जिला बोर्ड सम्पादित करता रहा है। जिला बोर्ड के जितने काम होते हैं वह इस पर नहीं अवलंबित रहते कि हमारे पास पैसा कितना है। गाड़ी उसके पहले चल जाती है, बाद में सोचा जाता है कि हमारे पास पैसा कितना है। लेकिन जिला नियोजन समिति की गाड़ी के लिए पैसा पहले जरूरी होता है और उसके बाद गाड़ी चलती है। तो आप देखें कि जिला नियोजन समिति की कार्य-प्रणाली और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कार्य-प्रणाली दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं और विपरीत होने के कारण दोनों में सामंजस्य और समन्वय नहीं हो सकता। इसका मैं उत्कर्ष प्रमाण आपकी आज्ञा से सदन के सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् की स्थापना के बाद जिस समय पहले पहल वहां अध्यक्ष के रूप में जिले में कलेक्टर ने वहां का कार्य भार ग्रहण किया तो जैसा कि मैंने निवेदन किया, उनके सामने पहला प्रश्न रहा है कि पैसा है या नहीं और उन्होंने उसी दृष्टिकोण से जो वहां का बजट था उसको देखा और उसी के अनुसार कार्य शुरू किया। उन्नाव जिले में जो १०० जूनियर हाई स्कूल अब तक संचालित हो रहे थे उनमें से ४३ को बन्द कर दिया। तो मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन से और विशेष तौर से मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अंतरिम जिला परिषद् जिस रूप में बनी है उससे हमारी शिक्षा का तो निश्चय ही ह्रास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि उससे हम सब लोगों का यह मंतव्य पूरा होने का नहीं है।

मान्यवर, वहां पर दो प्रकार की कार्य-प्रणाली चल रही हैं और दो प्रकार से काम चलेगा और जब दो तरह का चलेगा तो उससे उस क्षेत्र की जनता को लाभ नहीं हो सकता, नुकसान होगा।

परिणाम यह होगा कि न तो वहां पर नियोजन का काम अच्छी तरह से चल सकता है और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ही काम चल सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दोषपूर्ण थे, लेकिन फिर भी उनके सामने एक दृष्टिकोण था, जनता की सेवा करने का एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य को लेकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उस के सदस्य और चेयरमैन कोई न कोई सेवा का कार्य करते थे।

मान्यवर, सबसे आश्चर्य की बात तो यह हुई कि सरकार की ओर से और माननीय मंत्री जी की ओर से सदैव इस बात को कहा गया कि जबतक सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं किया जायगा, जब तक उनकी एफिसियेंसी, उनकी प्रगुणता को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक जिले का काम और निर्माण का काम नहीं चल सकता है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मुझे खुशी हुई कि वह सरकारी कर्मचारियों को इस रूप में देखते हैं। मुझे भी सरकारी कर्मचारियों से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस समय कभी इस बात का प्रश्न मेरे सामने आवे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में से तुम किसको चुनोगे तो मैं आपकी आज्ञा से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने चेयरमैन को सबसे पहले तरजीह दूंगा। इसलिये कि वह गैर-सरकारी आदमी है और जब गैर-सरकारी हमारे सामने विद्यमान है तो मैं कोई कारण नहीं पाता हूं कि अंतरिम जिला परिषद् का सबसे बड़ा अधिकारी, कार्यकर्त्ता और कार्य-संचालन करने वाला जिलाधीश को क्यों बनाया जाय। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह किसी नान-आफिशियल को, किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को ये सारी की सारी शक्तियां दें। जब मैं यह बात उनसे निवेदन करता हूं तो उसके तथ्य में यह बात और भी प्रकट कर देना चाहता हूं कि हमारी अंतरिम जिला परिषद् जिसका निर्माण आज से ३ महीने पहले हुआ था उस का यह शैशव-काल है और ऐसी संस्थायें जिनका शैशव-काल हो, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हों तो उनको इनिशिएट करने और पहले करने का हक होना चाहिये। जब आप उनको रेस्पांसिबिलिटी ग्रहण करने की जिम्मेदारी देंगे तभी वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। वह तभी खड़ी हो सकती है जब आप गैर-सरकारी आदमियों के हाथ में उसकी शक्ति देंगे। अगर मंत्री जी यह कहते हैं कि कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन उसमें वाइस-प्रेसीडेंट के रूप में हैं और उन वाइस-प्रेसीडेंट को लोग नहीं पसन्द करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसी अंतरिम जिला परिषद् में से दूसरा कोई प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट चुनिये और उसे इस बात का अधिकार दीजिये कि वह अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सके।

मान्यवर, जिलाधीश के हाथ में जिस प्रकार की शक्ति दी जा रही है मैं आपको बताऊं कि उसके कितने काम हैं। एक जिलाधीश अपने यहां का कलेक्टर भी है, शांति और सुरक्षा के नाम पर पुलिस का भी सब से बड़ा अधिकारी है तथा और एग्जीक्यूटिव कार्य उसके जिम्मे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन उसके जिम्मे है, सोल्जर्स बोर्ड उसके जिम्मे है, वह डिप्टी डायरेक्टर चकबन्दी है, जिला कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष है। इस तरह से बहुत से काम उसके जिम्मे हैं और इन सब के अलावा जब जिले में मंत्रीगण या दूसरे सरकारी पदाधिकारी जाते हैं तो उनकी हाजिरी देने का काम भी उसके सुपुर्द रहता है। मेरा संबंध तो ऐसे जिले से है जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है और लखनऊ और कानपुर इतने नजदीक होने के कारण रोज का जो मंत्रियों का आवागमन रहता है उसमें हमारे जिले के कलेक्टर की मुसीबत रहती है। उसको तो सबेरे से शाम तक हाजिरी के अलावा दूसरा काम देखने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह मेहरबानी करके अब और ज्यादा बोझ कलेक्टर के ऊपर न डाले। लेकिन अगर मंत्री महोदय को कलेक्टर ज्यादा प्रिय हैं, उनकी एफिसिएंसी में उनको ज्यादा विश्वास है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको चाहे जितनी शक्ति दें, लेकिन किसी आदमी के हाथ में शक्ति का होना एक चीज है और उसको इस बात का अधिकार होना कि वह अपनी पावर्स को ट्रांसफर

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

कर सकता है, दूसरी बात है। जिस दिन मंत्री जी उसको यह अथारिटी देंगे कि वह अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर सकता है तो मैं आपसे कहूंगा कि यह करप्ट इन्फ्लुएंस होगा। जिस वक्त वाइस-प्रेसीडेंट के सामने यह चीज होगी कि कलेक्टर साहब उसको पावर्स दें तो यह तो वह वाइस-प्रेसीडेंट कलेक्टर साहब की तरफ देखेगा या सरकार की तरफ देखेगा, उसका रुझान जनता की तरफ से हट जायगा। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप कलेक्टर को पावर देते हैं तो फिर यह अथारिटी न दीजिये कि वह अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सके क्योंकि अगर इस तरह से पावर्स के डेलीगेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो जैसा मैंने कहा, यह बहुत करप्ट इन्फ्लुएंस होगा।

दूसरी बात यह कि यह जो तरीका मंत्री जी ने बनाया है उसमें दो आदमियों का शासन चलेगा। एक तरफ तो जिलाधीश महोदय होंगे और दूसरी तरफ जब उनकी कुछ पावर्स वाइस-प्रेसीडेंट को दे दी जायंगी तो वाइस-प्रेसीडेंट भी काम करेंगे और इन दोनों आदमियों का जब काम करने का सिलसिला शुरू होगा तो वह ऐसी हुकूमत होगी जिसमें जिले की क्या वास्तविक स्थिति होगी उसकी कोई कल्पना नहीं कि जा सकती क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों को दूसरे नजरिये से देखकर चलाने की कोशिश करते हैं और गैर-सरकारी आदमी अपने कामों को दूसरे ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं।

साथियो, माननीय सदस्यो.....

श्री अध्यक्ष—मेरी आशा है कि आप यहां सार्वजनिक प्लेटफार्म की तरह सदस्यों को सम्बोधित नहीं करेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद—अध्यक्ष महोदय, मैं जरा बह गया था, क्षमा करेंगे।

तो इस तरह से जो काम आगे बढ़ने वाला है और जिस काम को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने जिला बोर्ड का चुनाव नहीं कराया, आर्डिनेंस को लागू किया और उस आर्डिनेंस की पूर्ति के लिये यह विधेयक ला रही है उसकी पूर्ति हो नहीं सकती है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह जो दो आदमियों का शासन मंत्री जी चलाने जा रहे हैं इसको न होने दें। अगर इस तरह की प्रथा वह प्रचलित करेंगे तो निश्चय ही जिले की जनता का हित नहीं हो सकता है।

मान्यवर, जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स काम कर रहे थे तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे के सारे चेयरमैन अच्छा काम नहीं करते थे। उनमें से कुछ न कुछ लोग ऐसे जरूर थे जिनके सामने जिले के निर्माण का एक चित्र था। वह अशिक्षा को दूर करना चाहते थे, बीमारी दूर करना चाहते थे, सड़कों का निर्माण करना चाहते थे और इन कामों की पूर्ति के लिये वह एक नक्शा बनाकर बैठते थे, प्रयत्न करते थे और कोशिश करते थे। लेकिन अब सारे के सारे काम कलेक्टर साहब के हाथ में आयेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि महीने में एक बार इनकी मीटिंग होगी, उसमें वह तशरीफ लायेंगे और दो घंटे में सारी कार्यवाही की पूर्ति करायेंगे इसके बाद वापस चले जायेंगे। वह काम जिसके निर्माण के लिये हम और आप कोशिश कर रहे हैं, पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी गहराई से सोचें और इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये प्रवर समिति में विचार करें।

मान्यवर, कल जिस समय अध्यादेश पर बहस हो रही थी उस समय तथा दूसरे विवाद में भी इस बात का कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया था कि जिला नियोजन समितियों में भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चेयरमैन वाइस प्रेसीडेंट की तरह से रहते हैं और जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चेयरमैन इसके वाइस-प्रेसीडेंट थे तो आपको आपत्ति नहीं हुई। इस समय आप आपत्ति क्यों उठा रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय नियोजन समिति की क्या रूपरेखा थी और वाइस-प्रेसीडेंट का क्या कार्य था और किन कार्यों को वह

सम्पादित करता था, यह जानने की वह चेष्टा करें। अगर वह यह बात जान लेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि वह मीटिंग में सदारत करते थे और इससे ज्यादा उनका और कोई काम नहीं था। तो यह कहना कि आजकल आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वह वाइस-प्रेसीडेंट हों तो यह इस समय इसलिये ठीक नहीं है कि अब मंत्री जी उनसे मीटिंग की सदारत ही नहीं कराना चाहते हैं बल्कि मंत्री जी चाहते हैं कि पहले वह अधिकार कलेक्टर को दें फिर ट्रांसफर करायें वाइस-प्रेसीडेंट को और पुराने तरीके से काम करें। अगर वह ऐसा कराना चाहते हैं तो करायें लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि या तो पावर कलेक्टर के हाथ में होनी चाहिये या किसी गैर-सरकारी आदमी के हाथ में होनी चाहिये।

मान्यवर, सब से बड़ी खराबी इस विधेयक में यह दिखाई पड़ती है कि खंड १२ के उपखंड (१) में दिया हुआ है कि--"जब कलेक्टर की राय हो कि अंतरिम जिला परिषद् का कोई भी कार्य अथवा संकल्प लोकहित के विरुद्ध है तो वह राज्य सरकार के पास तत्संबंधी कारण लिखते हुये अभिदेश भेज सकता है।" लोकहित का शब्द इतना व्यापक है कि इसको असेम्बली या पार्लियामेंट या अन्यत्र जहां चाहे इस्तेमाल कीजिये और इस लोकहित को जैसे चाहें छोटे-बड़े दायरे में इसका प्रयोग होता चला जायगा। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में यह बात निहित है कि ऐसा प्रश्न जो किसी पब्लिक आर्डर के हों उसमें साफ लिखा है धारा १६६ है।

"If in his opinion such resolution or order is of a nature to cause or tend to cause obstruction, annoyance or injury to the public or to any class or body of persons lawfully employed, or danger to human life, health or safety, or a riot or affray"

इन सब चीजों से एक हिंसात्मक गंध आती है। ऐसे कार्य जो किसी हिंसात्मक प्रणाली के थे अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से होते हैं उनके सम्बन्ध में अभिदेश भेजा जा सकता था। लेकिन अब माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें लोकहित को दृष्टिकोण में रखा है। इस लोकहित को हम जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि उन्नाव की अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष महोदय ने या जिलाधीश ने, जो ४३ स्कूल तोड़े हैं वह लोकहित में तोड़े हैं या उसके विपरीत तोड़े हैं, इसका वह उत्तर देने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, इस विधेयक में एक बात यह कही गयी है कि इसमें वही नियम लागू होंगे जो कि अध्यादेश के संबंध में लागू थे। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानकारी भी प्राप्त करना चाहता हूं कि वे हमें यह बताने की कृपा करें कि उनका जो कानून विभाग है क्या उसकी यही असली हालत है? मान्यवर, २९ मई, १९५८ को अध्यादेश के संबंध में गवर्नर महोदय के नाम से एक आज्ञा प्रसारित हुई और उनमें कहा गया, 'उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ की धारा ९ के साथ पठित धारा १५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल अन्तरिम जिला परिषद् की सभा बुलाने की रीति तथा उन सभाओं में व्यवहार की जाने वाली पद्धति के संबंध में निम्नांकित नियम बनाते हैं जो" अधिकार अध्यादेश की धारा ९ और १५ में प्राप्त थे उन अधिकारों का प्रयोग करते हुये सभाओं को बुलाने और किस तरह से उनमें व्यवहार किया जायगा इसके संबंध में नियम बनाये गये।

मान्यवर, सारी बातें अन्तरिम जिला परिषद् की सभाओं को बुलाने के संबंध में थीं। मैं नहीं जानता कि इस नियमावली में धारा १८ कहां से जोड़ दी गयी जिसमें जिक्र है कि "परिषद् की कार्य समिति नामक एक कार्यकारिणी समिति होगी जो (१) परिषद् के अध्यक्ष, (२) परिषद् के उपाध्यक्ष, और (३) परिषद् द्वारा निर्वाचित परिषद् के सात सदस्यों से मिल कर बनेगी।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सेक्रेटरी कार्य समिति का पदेन सचिव होगा।" इसको जोड़ दिया गया है उन धाराओं के साथ जिनका इस्तेमाल किया गया है सभा को बुलाने और उसमें किस प्रकार व्यवहार होगा, कैसी कार्य पद्धति होगी, इसके लिये। इस पर यह नियम बनाये गये और बीच में कार्यकारिणी समिति को भी जोड़ दिया गया। इसमें यह भी नहीं बताया कि इस कार्यकारिणी समिति का चुनाव किस प्रकार होगा। कल एक माननीय सदस्य जो बहुत ही जिम्मेदारी के पद पर हैं और जिन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्होंने यह बताया कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा ५६ देख लें तो उसमें कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव किस प्रकार होगा यह लिखा हुआ है। पहले से मुझे मालूम है और उनके कहने पर भी देखा। मुझे यह बात कहीं नहीं मिली कि कार्यकारिणी का चुनाव किस प्रकार होगा। वही पुराना तरीका, १९२२ में अंग्रेजों के जमाने का वही हमारे साथ लागू कर दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ की वह धारायें जिनका जिक्र इस अध्यादेश या विधेयक के साथ नहीं है, वह लागू की जायंगी। अंग्रेज जानते थे कि इस समय जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हो रहे थे उस समय जनता में उफान आ रहा था और जनता आगे बढ़ रही थी। सदस्य ऐसे लोग आ रहे थे जिसमें अगर हम कहीं सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट की पद्धति रखेंगे तो उसमें वे लोग भी आ सकेंगे जिनको हम नहीं चाहते हैं। इसलिये इस मामले में किसी तरह से कोई सोच विचार नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि आखिर क्या बात थी कि उन्होंने ५ सदस्य जिला बोर्ड के सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के द्वारा भेजे। इसलिये कार्यकारिणी का चुनाव किस प्रकार से हो यह उन्होंने स्पष्टरूप से क्यों नहीं लिखा। नियम बनाने के समय उनके साथ कार्यकारिणी के चुनाव के लिये कौन से नियम हैं और वे किस प्रकार व्यवहार में लाये जायेंगे क्यों नहीं बताया। यह कहां तक उचित है अगर वे कार्यकारिणी को रखना उचित समझते थे तो कार्यकारिणी या कमेटी के साथ तत्संबंधी चुनाव के नियम भी रखते। लेकिन वह चुप रहे। अगर कोई नीति उन्होंने निर्धारित की है तो उनका कर्त्तव्य है कि वे हमको बतलायें कि कार्यकारिणी का चुनाव इस तरह से होगा। यह बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है जब हम एक ऐसी कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं जिसको इस बात का गौरव है कि आपने ही उसका नेतृत्व किया था। जब मैं उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी स्टेट्यूटरी कमेटी हों उनका चुनाव सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से होना चाहिये। लेकिन १९३८ की बनी हुई कमेटी की जो सिफारिश है उसको भी यह सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है और खासतौर से उस समय जब कि जनमत तैयार है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खत्म किया जाय। सबने एक स्वर से मांग की थी कि उसकी जगह दूसरी चीज लाई जाय जनता भी जिला परिषद् का निर्माण देखना चाहती थी, उस समय इस तरह की कार्यकारिणी कमेटी बनी और फिर उसी बहुमत से चुनने वाली पद्धति को जिला परिषदों में लागू किया गया, मुझे इस बात का दुख है इस प्रकार के वोटिंग का परिणाम क्या हुआ। उन्नाव में अन्तरिम जिला परिषद् कमेटी बनी। फिर चुनाव हुआ तो एक कमेटी बनाई गई। उस कार्यकारिणी कमेटी ने एक स्वर से यह सिफारिश कर दी कि अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् ने जो ४३ स्कूल तोड़े हैं उनको तोड़ देना चाहिये। यह मामला अन्तरिम जिला परिषद् में आया। उसने वह मामला एक सब-कमेटी के सुपुर्द किया। उस सब-कमेटी ने अपनी सिफारिश की और ऐसी सिफारिश की जिससे कोई भी स्कूल नहीं टूटा और न सरकार के ऊपर कोई बोझा पड़ा।

अब कार्यकारिणी कमेटी अपने को लज्जित अनुभव कर रही है। अब मीटिंग बुलाई जाती है तो वे सदस्य उसमें आना नहीं चाहते हैं इसलिये कि उन्होंने जो फैसला किया था उस फैसले पर उनको विपरीत फैसला करना पड़ेगा। इस तरह से जो कार्यकारिणी बनी है वह उसी बहुमत के आधार पर बनाई गयी है। अगर कार्यकारिणी कमेटी का सिंगिल

ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये से चुनाव हो तो सभी विचार के लोग वहां पर पहुंचेंगे और फिर वहां पर संजीदगी के साथ काम हो सकता है।

मान्यवर, कल माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही सम्भवतः फरवरी या मार्च तक उनका उद्देश्य है कि वह जिला परिषदों का निर्माण कर दें। वह एक कांप्रिहेन्सिव बिल ले आयेंगे और उसके द्वारा चुनाव करा देंगे। जो उन्होंने आशा हम को दिलाई है उसके लिये मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं, लेकिन मुझे अभी से यह शंका हो रही है कि वह आशा पूरी नहीं हो सकती और वह इसलिये कि जिस तरह से अब यह बिल पेश हो रहा है उसके बाद अभी वह कांप्रिहेन्सिव बिल बना रहे हैं। फिर जब वह आयेगा तो किसी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होगा। महीना भर उसमें लगेगा। उसके बाद सदन में आयेगा और ३००-४०० खंडों का वह विधेयक होगा और उसके पास होने में समय लगेगा और इसलिये मार्च अप्रैल तक यह काम पूरा नहीं हो सकता। परन्तु फिर भी मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि अगर उनका इरादा मार्च अप्रैल के पहले कांप्रिहेन्सिव बिल लाकर चुनाव कराने का है तो यह उनका काम है कि वह सब लोगों का सहयोग प्राप्त करें और इसी सत्र के उठने के पहले उस कांप्रिहेंसिव बिल को यहां पेश करें और हम सब लोग उसको इसी सत्र में सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें जो उसमें आगे की आवश्यक कार्यवाही करें।

मान्यवर, कल नीयत की बड़ी चर्चा रही। मंत्री जी ने भी कहा और दूसरी तरह से भी नीयत की चर्चा की गयी। मैं आज अपना यह संशोधन प्रस्तुत करते हुए नीयत की तरफ नहीं जाऊंगा इसलिये कि जो अपरिपक्व बुद्धि के लोग होते हैं उनकी नीयत बहुत साफ होती हैं, लेकिन जो कार्य वह करते हैं उससे घोर अयोग्यता प्रकट होती है। उसी के साथ-साथ जो पागल होते हैं उनकी भी नीयत खराब नहीं होती, लेकिन वह किसी को मारते हैं, किसी को गाली देते हैं। तो इस तरह से मैं नीयत के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहता। मैं तो यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का सबूत दें कि वह योग्यता से काम कर रहे हैं और अगर योग्यता से काम नहीं कर रहे हैं तो हर एक को यह अधिकार है कि योग्यता के मापदंड के अनुसार हर चीज को वह नापे जोखे। तो इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि खास-तौर से वह जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको स्वीकार करें और इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें। ज्यादा दिन का समय भी मैंने नहीं लिया है। केवल तीन दिन की बात है। तीन दिन में हम लोग बैठ कर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से यहां ले आयेंगे और जल्दी ही यह हो जायगा और सारी कार्यवाही पूरी हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री उदय शंकर (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने आज पेश है वह बड़े महत्व का विधेयक है। इसका सम्बन्ध इस प्रदेश के कोने-कोने के रहने वाले ग्रामीण लोगों से है। हमारे दोस्त जो उधर के हैं उनमें से कुछ लोगों का सुझाव तो यह है कि यह विधेयक जनमत के लिये भेज दिया जाय, कुछ का सुझाव तो यह है कि यह दोनों सदनों की एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और कुछ का यह सुझाव है कि नहीं, इसी सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द इसको किया जाय। मैं इन तीनों संशोधनों का विरोध करता हूं और जो प्रस्तुत प्रस्ताव माननीय मंत्री जी का इस विधेयक पर विचार करने के लिये है उसका समर्थन करता हूं।

यद्यपि मैं इस विधेयक की सभी धाराओं से पूर्णतः सहमत नहीं हूं और आगे चल कर मैं उन पर अपने सुझाव भी दूंगा कि उनमें कहां-कहां संशोधन इसी समय कर देना चाहिये, फिर भी जो समस्या सामने है, उसे जिस तरह से देखना चाहिये वह मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। असल में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव तो सन् १९४८ ई० में हुआ, जिसे दस वर्ष हो गये हैं। उसके बाद ही नियोजन समितियों का संगठन जिलों के भीतर हुआ। उस समय यह प्रश्न उपस्थित था कि इसका अध्यक्ष कौन बनाया जाय।

[श्री उदयशंकर]

जहां तक मुझे मालूम है, एक विचारधारा इस प्रकार की चल रही थी कि किस प्रकार जिला मैजिस्ट्रेट अपने जिले के भीतर सरकारी मालगुजारी वसूल करने का और ला ऐन्ड आर्डर कायम रखने का जिम्मेदार होता है, उसी तरह से उसे जिम्मेदार बनाया जाय कि जितनी प्रगति या विकास का काम होना है उसे भी देखे। मेरी समझ में यही पृष्ठ-भूमि थी जिसमें जिला मैजिस्ट्रेट को नियोजन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया ताकि सरकार के सभी विभाग नियोजन समितियों को अपना पूरा-पूरा सहयोग दें। उससे पंचवर्षीय योजना के सारे कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी वह महसूस करे और उसकी इन सब कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी हो। उसके साथ ही साथ उससे एक-दो वर्ष पहले बने हुये जिला बोर्ड भी थे। उनके अध्यक्षों का काम भी विकास के कामों को करना था अतः जिला बोर्ड के अध्यक्षों को नियोजन समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया। बदकिस्मती से जिस तरह का वातावरण बना, उसमें जिस तरह से पिछले १० वर्षों में नियोजन समितियों को और दूसरे विभागों को पंचवर्षीय योजना के भीतर काम करना पड़ा, उनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास न तो उनके पास इतने आदमी जा पाते थे और न वे वह रेट दे पाते थे जो दूसरी जगहों में निर्माण के काम के लिये होते थे। अतः जिला बोर्डों का काम एक तरह से ठप्पसा हो गया और निर्माण का काम पिछड़ गया। उनमें एक शिथिलता और अकर्मण्यता सी आ गई। उसके कारण वे इस प्रकार के हो गये कि उनकी उपयोगिता ही प्रायः नहीं के बराबर हो गई। यह प्रश्न जोरों के साथ लोगों के दिमाग में आने लगा कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आवश्यकता है या नहीं। इन परिस्थितियों के बीच पिछले दिनों एक बड़ा जबरदस्त चार्ज सरकार के ऊपर भी रहा और वह यह है कि साहब, सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही है और इन बोर्डों की मियाद लम्बी होती चली जा रही है। विरोध के लोगों की इस मांग पर सरकार ने यह मानते हुये भी कि हम एक रूपरेखा विधेयक, स्वायत्त शासन विभाग का ले आना चाहते हैं जिसके भीतर इस सूबे में नियोजन का, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, और पंचायतों के कामों का इन्टीग्रेशन करें और उसके जरिये ठीक तरह से गांव के भीतर जो विकेन्द्रीकरण की बात है उसे लेजाकर ठीक तरह से काम उनसे करावें और इसलिये सरकार यह चाहती थी कि हम एक विधेयक इस प्रकार का लावें जिससे समुचित ढंग से विकास के कामों को किसी एक मशीनरी के द्वारा करा सकें। लेकिन प्रेशर की वजह से और बदनामी से बचने की वजह से कि सरकार यह चाहती है कि कुछ लोगों को किसी खास जगह पर रखा जाय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों का सरकार विधेयक लायी। उसके साथ ही साथ यह कहा गया कि यद्यपि हम यह मानते हैं कि इनसे कोई खास तब्दीली नहीं होगी लेकिन चूंकि यह मांग की जा रही है कि चुनाव हों, इसलिये सरकार इन चुनावों को जल्द कराना चाहती है। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उस नये कानून की रू से जो चुनाव होना था, उस चुनाव की जो तारीखें पड़ी थीं वह इत्तिफाक से भयानक गर्मी के मौके पर आती थी। इस पर सदन की अपोजीशन पार्टियों ने यह अनुरोध किया कि गर्मी के दिनों में चुनाव कराया जाना ठीक नहीं होगा। अन्त में वह चुनाव भी खत्म हुए और अप्रैल के आखिरी सप्ताह में एक अध्यादेश जारी हुआ और उस अध्यादेश के तहत जिला-बोर्ड्स खत्म हुए और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सिर्फ पांच आदमी नियोजन समिति में ले आये गये और इस तरह एक अन्तरिम जिला परिषद् की रूपरेखा बनी।

जाहिर है कि एक अध्यादेश एक मुस्तकिल समय के लिये नहीं बन सकता है। ६ हफ्ते से ज्यादा उसे हम चला नहीं सकते हैं और ६ हफ्ते के अन्दर कोई मुस्तकिल रूपरेखा, जैसी कि सरकार चाहती है और जैसी कि आप लोगों की भी इच्छा है, बन सकना संभव नहीं है। अतः इस विधेयक का आना और उसका पास हो जाना तथा उसके अनुसार कुछ समय तक काम होना, जब तक कि एक पूर्ण विधेयक उस रूपरेखा का न बन जाय, जब तक सदन के सामने इस तरह की चीज पेश नहीं हो जाती, वह यहां से पास नहीं हो जाती, जोकि ग्रामीण क्षेत्र में स्वायत्त शासन का ढांचा होगा, तब तक के लिये कोई न कोई चीज बनानी है। अतः जो विधेयक इस समय हमारे सामने है, उस विधेयक का आना निहायत जरूरी है और चूंकि

सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि वह जल्दी ही पूरा विधेयक ले आना चाहती है और एक साल के पहले पहले चुनाव भी करा देना चाहती है इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि इस विधेयक को उन संशोधनों के साथ जिनको मंत्री जी मंजूर करें, पास कर दें ।

एक चीज यह कही गयी कि साहब, जो इस वक्त जिला परिषदें हैं वे डी० सी० सी० हैं । मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । कोई भी सरकार जिस समय वह काम करती है एक रूपरेखा के साथ काम करती है, उसका एक नक्शा होता है, उसका अपना एक विचार होता है, उसकी एक प्रणाली होती है । और यह कि आजकल की जो जिला परिषदें बनी हुई हैं वे नामजद जिला परिषदें नहीं हैं बल्कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों के, हर गांव के सभापति जो बालिग मताधिकार द्वारा चुने हुए हैं, उन सभापतियों द्वारा चुने हुए आदमी जिला परिषदों में आये हुए हैं । खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से अगर वे ऐसे लोग हैं जो कि बहुमत में कांग्रेस की विचारधाराओं के समर्थक हैं तो इसके जो विरोधी पक्ष के हमारे भाई उस परिषद् को डी० सी० सी० कहते हैं, तो उनकी इस समझ के लिये उनको अपने स्टार्स को धन्यवाद ही देना है । यह कि एक सरकार एक विचारधारा को रखती है, वह जनतंत्रात्मक तरीके पर एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है तो जाहिर है कि वह सोशलिस्ट उसूलों, जैसा कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी के उसूल हैं, जनसंघ के उसूल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के उसूल हैं, उनका प्रचार तो नहीं कर सकती, वह इस चीज की कोशिश करेगी कि उसके विचारों के अनुसार जहां तक सम्भव हो, लोग उसके विचारों को कबूल करें, उसकी विचार धारा के ऊपर चलें और अगर लोग उसकी विचारधाराओं के ऊपर चलते हैं, कांग्रेस के उसूलों को मानते हैं, उसके अनुसार अपनी कमेटी बनाते हैं, और उनमें कांग्रेस विचार-धारा के लोग बहुमत में आ जाते हैं तो यह कांग्रेस का या गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है । और आपको भी, हमारे विरोधी दल के लोगों को भी पूर्ण स्वतंत्रता है गांव में जाने की और अपनी विचारधाराओं का प्रचार करने की और अगर लोग बहुमत में, ज्यादा तादाद में उन्हीं की विचारधाराओं के आ जायं तो उनके हाथ में भी ताकत देने में किसी तरह का कोई एतराज कभी नहीं होगा । तो इस तरह से यह कहना कि आजकल की अन्तरिम जिला परिषदें सही माने में डी० सी० सी० हैं, मैं कहूंगा कि यह ज्यादती की बात होगी, इस तरह का कहना उचित नहीं है ।

अब इस सम्बन्ध में मुझे एक सुझाव देना है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उसको कबूल करें तो ज्यादा अच्छा होगा और वह यह कि इसमें जो धारायें १२ और १६ हैं, वे मेरे दिमाग में कुछ थोड़ी सी खटकती हैं । जिला मैजिस्ट्रेट अध्यक्ष हो, यों तो ठीक है कि सरकार का सबसे जिम्मेदार आदमी जिला स्तर पर जिला मैजिस्ट्रेट है । स्थानीय निकाय और स्वायत्त शासन के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें वे ठीक चलते हैं, वे जनहित के विरोध में तो नहीं चलते हैं, उनका रवैया ठीक है या नहीं, वे कोई ऐसी बात तो नहीं करते हैं जो संविधान के खिलाफ जाती हो इसके लिये सरकार की ओर से जो जिला मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर या और लोग मुकर्रर किये गये हैं वह उचित ही है । लेकिन यह उचित नहीं है कि जिन चीजों के वे खुद सभापति हों, जिन मीटिंग्स पर वह खुद प्रिसाइड करते हों उनमें वे एक्जिक्यूटिव हेड भी हों और उनकी रिपोर्ट करने वाले भी हों । यह चीज डेमोक्रेसी को आगे ले जाने वाली नहीं होगी । अतः आवश्यक यह है कि जहां तक जिला मैजिस्ट्रेट का ताल्लुक है जिला मैजिस्ट्रेट इसको दूर से देखे, उसमें सम्मिलित हो कर न देखे । अगर शामिल हो कर देखेगा तो उसके भीतर बहुत से दुर्गुण पैदा होने का डर है । यह कहा जा सकता है कि थोड़े ही समय के लिये यह बात है । थोड़े समय के लिये हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं । लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि हमारी जो अन्तरिम जिला परिषद् है वह पूर्व रूप है जो आगे जिला परिषद् होने वाली है और इस बीच में जब अन्तरिम स्थिति में कार्य कर रही है अगर उसका काम कुछ गड़बड़ हुआ, कोई काम ऐसा हो गया जिससे जनता को यह खटके कि यह परिषद् जनतंत्र के उसूलों पर ठीक तौर पर नहीं चल रही है तो यह परिषद् के हित में नहीं होगा । उसकी

[श्री उदयशंकर]

नींव सुदृढ़ नहीं होगी। अतः यह आवश्यक है कि जो अन्तरिम जिला परिषद् बन रही हैं उनकी नींव हमें बड़ी सुदृढ़ रखनी चाहिये और बहुत एहतियात के साथ उस ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिये।

वैसे ही जिला मैजिस्ट्रेट को जितने अधिकार प्राप्त हैं उनकी बिना पर वह बहुत कुछ बना और बिगाड़ सकता है। अब अन्तरिम जिला परिषद् के जरिये जो स्वायत्त शासन के अधिकार उसके हाथ मे दिये जायेंगे उनके दिये जाने के बाद जो सम्पर्क उसका जिले के भीतर विभिन्न दल वालों से होगा और उस सम्पर्क के साथ गांवों के भीतर जो छोटे-मोटे मामले उसके सामने आयेंगे उनमें उसने दिलचस्पी लेनी शुरू की और वहां के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए उसने तय किया लोगों को अलग-अलग करने का और कभी एक दल की पीठ पर हाथ रखा और कभी दूसरे दल की पीठ पर हाथ रखा तो इससे देहातों का जीवन नारकीय हो जायगा और उससे जो फूट व दिक्कत पैदा होगी उसका हम आज अन्दाजा नहीं लगा सकते। तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जहां हमारे चुने हुए लोग हों जिनमें सारे हमारे एम० पी० होंगे, एम० एल० ए० होंगे, विधान परिषद् के सदस्य होंगे और इनके अलावा गांवों से हमारे ब्लाक डेवलपमेंट के लोग होंगे, इन लोगों के रहते हुए जिला मैजिस्ट्रेट जिला परिषद् का सभापति बनाया जाय, मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि यह लोगों की बुद्धि का अपमान होगा। मेरा निवेदन है कि इनके रहते हुए और एम० एल० एज० और एम० पीज के रहते हुए जो चुने हुए आदमी हैं जनतान्त्रिक शासन के अन्दर कौन सा आसमान टूट पड़ेगा अगर आप इन लोगों में से किसी आदमी को सभापति बना दें? पहले जो जिला बोर्ड का अध्यक्ष होता था और अब वाइस-प्रेसीडेंट है जिला परिषद् का अगर बहुमत उसके पक्ष में हो, लोग उसके काम से संतुष्ट हों, तो लोग उसी को ही जो जिले के सारे स्वायत्त शासन को चला रहा था उसे ही फिर नहीं चुन सकते हैं। वह अगर आज से २ महीने पहले जिले के स्वायत्त शासन को पूरा चला सकता था तो कोई कारण नहीं है है कि दो महीने बाद जिला मैजिस्ट्रेट की जरूरत उस जगह पड़ जाय और वह मोहताज हो इस बात का कि जिला मैजिस्ट्रेट उसको अपनी पावर्स डेलीगेट करे। डेलीगेशन में निहित है कि जब चाहे तो छीन भी ले। यह अपमान उसका सरकार क्यों कराना चाहती है? मैं नहीं कहता सरकार की कोई इच्छा है। अनजाने में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी कोई इच्छा करने की नहीं होती। तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि सरकार इस चीज को मान ले कि जहां तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव है वह चुने हुए लोगों ही द्वारा हो, जहां लोग चाहें। न और कुछ हो तो इतना ही कर दे कि जहां लोग चाहें, उसी जगह पर उनको चुन लें। उनका चुना जाना और जिला मैजिस्ट्रेट के बजाय नान-आफिशियल का इस काम में होना यह आपके प्रजातन्त्र को आगे बढ़ायेगा और लोगों का उसमें कांफीडेंस होगा। वर्ना क्या माने इसके हैं कि इतने सारे आदमियों के होते हुए कहा जाय सब के सब नालायक हैं, यह काम नहीं चला सकते जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट न बैठा हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में इस चीज को न दें।

रही अब उपाध्यक्ष के चुनने की बात। उपाध्यक्ष जब पूरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक जगह था जब आपने उसे उपाध्यक्ष बनाया था, आज उसको...

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष--अगर वह बैठते हैं तो आप पूछ सकते हैं।

(श्री उदयशंकर के बैठने पर)

राजा वीरेन्द्रशाह--मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जिला मैजिस्ट्रेट के बजाय किसको प्रेसीडेण्ट ठीक समझते हैं?

श्री उदयशंकर—मैंने बहुत साफ कर दिया कि जिला मैजिस्ट्रेट के बजाय जो नान-आफिशियल मेम्बर्स प्लानिंग कमेटी के और अन्तरिम जिला परिषद के सदस्य हैं वह अपने नान-आफिशियल्स में से ही किसी आदमी को जिला परिषद् का चेयरमैन चुनें ।

जो उपाध्यक्ष इस अन्तरिम जिला परिषद् के कानूनन कर दिये जा रहे हैं उनको मौका दीजिये कि वह जो आज की जिला परिषद् है उसका कांफीडेंस प्राप्त करें और प्राप्त करके वह अगर उन्हें उपाध्यक्ष बनाते हैं तो बनायें और अगर इन चेंज्ड सर्कम्सटांसेज में उपाध्यक्ष उनको नहीं बनाते तो उनके लिये ऊपर से थोपना यह चीज अनुचित होगा । इसे उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए । मेरा खयाल है कि जिला बोर्डों के जो सभापति रहे हैं, जो जिला बोर्ड के अध्यक्ष अब तक रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों ने इतने अच्छे काम किये हैं कि यह जो अन्तरिम जिला परिषद के लोग हैं वह उन्हें अपना विश्वास न दें, उनके साथ न आवें । हो सकता है कि एकाध जिलों में, एकाध जगहों में जहां जनता की आशा के अनुकूल उपाध्यक्ष न हो पाये हों वहां वह उन्हें बदल दें इससे शासन में, स्वायत्त शासन विभाग में पवित्रता और मजबूती ही आयेगी । किसी तरह की कोई कमजोरी न हो सकेगी । तो इन संशोधनों के साथ मैं यह सिफारिश करूंगा कि यह सदन न तो इसे किसी प्रवर समिति के सुपुर्द करे और न कहीं और भेजे । थोड़े दिनों का मामला है । यह विधेयक बहुत छोटे रूप में आया है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट वापस नहीं लिया गया है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की जितनी चीजें हैं वह इस अन्तरिम जिला परिषद् पर लागू होती हैं । बहुत थोड़े हेर-फेर के साथ उन्हें थोड़े काल के लिये बर्दाश्त कर सकते हैं । उनमें आमूल परिवर्तन जितना कि हम आगे करना चाहते हैं वह समय आने पर हम कर लेंगे और इसे बहुत ज्यादा बढ़ाया न जाय । महज १६, १७ क्लाज इसके हैं । इनको यहां बैठ करके हम पास कर सकते हैं और मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों से है जिन्होंने कि अपने संशोधन दिये हैं कि वह अपने संशोधनों को वापस लेकर के इस विधेयक को यहीं दो रोज के भीतर खत्म कर दें और खत्म करके इस बात की तैयारी करें कि जो नया विधेयक पूर्ण रूप से आने वाला है जिसमें हम विकेन्द्रीय-करण करना चाहते हैं शासन के भीतर, उसमें हम जितना ज्यादा से ज्यादा अधिकार उनको दे सकें, उनको देने की कोशिश करें । उसके लिये सारी ताकत, सारी एनर्जी, उस समय के लिये रखें ताकि उस वक्त हम उसमें वह सुझाव दे सकें और उससे फायदा उठा सकें ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक सदन के सामने विचाराधीन है वह एक अध्यादेश को नियमित करने के लिये और उसकी पूर्ति करने के लिये हमारे सामने है । यह अध्यादेश और यह विधेयक भी ऐसी संदिग्ध स्थिति में सदन के सामने आया है कि जिससे सदन में अनेक प्रकार की भ्रान्तियां हो सकती हैं ।

गत वर्ष सब से पहले जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव की मांग विरोधी पक्ष की ओर से प्रश्नों के द्वारा, एडजर्नमेंट मोशन्स के द्वारा और प्रस्तावों के द्वारा की गई तब सरकार की ओर से श्रीमन्, यह वादा किया गया कि अगले मार्च-अप्रैल में चुनाव करा दिये जायेंगे, लेकिन वह चुनाव मार्च-अप्रैल में न करके फरवरी, सन् १९५८ में एक विधेयक सदन के सामने लाया गया और उसमें यह कहा गया कि हम १९२२ के पुराने ऐक्ट के मातहत ही पुनः निर्वाचन कराने के लिये तैयार हैं । उस विधेयक पर सदन में तीन चार दिन तक विचार हुआ । वह विधेयक यहां से स्वीकृत हुआ और उसके बाद उसमें यह निश्चय किया गया कि मई के महीने में चुनाव करा लिया जाय । मैं, श्रीमन्, एक बात का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिससे हमारे संदेह की पुष्टि होती है और वह यह कि जब पुराना सेशन समाप्त हो रहा था तब हमारी सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय राजनारायण जी ने एक एडजर्नमेंट मोशन रखा था जिसे श्रीमन् ने स्वीकार कर लिया था । उसमें भी यह बात थी कि आज सेत्र समाप्त हो रहा है, हम अपने-अपने क्षेत्र में जायेंगे तो इस चुनाव के बारे में जनता से क्या कहें, इसके बारे में सरकार हमको स्पष्ट रूप से बतलाये । लेकिन यह सब होते हुए भी उस समय तक कोई स्पष्ट नीति सरकार की ओर से नहीं बतलायी गयी । उसके बाद अप्रैल मास समाप्त होते-होते यह अध्यादेश जारी कर दिया गया । कल माननीय मुख्य मन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया कि जिस समय पिछला सत्र समाप्त हो रहा

[श्री देवनारायण भारतीय]

था उस समय उन्हें ज्ञात था कि यह अध्यादेश जारी होने को है, लेकिन उस समय उन्होंने हमारे सन्देह को दूर करने के लिये इस बात को प्रकट नहीं किया। इस अध्यादेश के जारी होने पर पहली मई को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त कर दिये गये और प्रत्येक जिले में जिलाधीशों ने चार्ज ले लिया। तब से अब तक प्रत्येक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्लानिंग कमेटी का सम्मिलित रूप है, जिसे अन्तरिम परिषद् कह सकते हैं वह चल रहे हैं। उसमें भी, श्रीमन्, मुझे संदेह ही दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक जिले के लिये हमारी सरकार की ओर से पृथक-पृथक नीति है। मैं आज से तीन दिन पहले की बात आप के सामने कह रहा हूं। मेरी अपने जिले के डी० पी० ओ० से बातचीत हुई, सिटी मैजिस्ट्रेट से बातचीत हुई और उनसे मैंने पूछा कि क्या यह सही है कि आप लोग एग्जीक्यूटिव के सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि सीक्रेट बैलेट से अपनी राय देंगे। आज और कल जो विवाद यहां पर हुआ है उसमें सरकार की ओर से यह कहा गया है कि अधिकारी वर्ग कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेगा। मैं नहीं समझता कि किस आधार पर एक जिले के जिम्मेदार अफसर इस किस्म की बात करते रहे और आज से तीन दिन पूर्व तक वे हम सबको भ्रम में डालते रहे। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से जो आदेश भिन्न-भिन्न जिलों को जा रहे हैं वे भिन्न-भिन्न जिलों की परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न आदेश जा रहे हैं अथवा वहां के अधिकारीगण उनके समझने में भिन्न बुद्धि से काम ले रहे हैं।

यही नहीं, मैं एक बात अपने जिले की ओर निवेदन करना चाहता हूं। सभी जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको उपाध्यक्ष मान कर के पावर्स डेलीगेट कर दी गयी है, परन्तु शाहजहांपुर की स्थिति कुछ विशेष थी। वहां पर कांग्रेस के चेयरमैन को हमने जनवरी, १९५८ में एक अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया था और १७ मार्च, १९५८ को एक दूसरे व्यक्ति को चेयरमैन चुना था जो कांग्रेसी नहीं थे। आज उस चेयरमैन को न तो उपाध्यक्ष माना जा रहा है न उसको कोई पावर्स डेलीगेट की जा रही है और न उनसे श्रीमान् जिलाधीश, शाहजहांपुर मिलने की क्षमता दिखलाते हैं।

अध्यक्ष--अब अपना भाषण आप कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० जुलाई, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

जिला उन्नाव की तहसील पुरवा तथा उन्नाव में १३६२ फसली से १३६५ फसली तक बाढ़ या अन्य आपदाओं द्वारा हुई हानि के कारण मालगुजारी में जो छूट दी गई उसकी अनुसूची

क्रम-संख्या	फसल तथा फसली वर्ष	तहसील का नाम	मालगुजारी में दी गई छूट की धनराशि		
			रु०	आ०	पा०
१	खरीफ १३६२ फसली ..	उन्नाव	..	..	..
	..	पुरवा	..	..	..
२	रबी १३६२ फसली ..	उन्नाव	..	..	..
		पुरवा	..	..	..
३	खरीफ १३६३ फसली ..	उन्नाव	८५,५७४	८	०
		पुरवा	७,९०२	५	९
४	रबी १३६३ फसली ..	उन्नाव	१,१४,८३०	४	६
		पुरवा	८७,०१८	११	३
५	खरीफ १३६४ फसली ..	उन्नाव	९६,४४७	१२	९
		पुरवा	१४,९१४	२	३
६	रबी १३६४ फसली ..	उन्नाव	५८,१५६	८	०
		पुरवा	९,३५३	६	३
७	खरीफ १३६५ फसली ..	उन्नाव	८८,७३१	१२	४
		पुरवा	११,६३३	२	०
८	रबी १३६५ फसली ..	उन्नाव	..	..	..
		पुरवा	..	..	..
		योग ..	५,७४,५६२	९	१

नोट—उपर्युक्त ५,७४, ५६२ रुपया ९ आना १ पाई की धनराशि में से ४,४३,७४० रुपया १३ आना ७ पाई की छूट तहसील उन्नाव में और १,३०,८२१ रुपया ११ आना ६ पाई की छूट तहसील पुरवा में दी गयी ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०४ एल० ए०—९५८—८३७ ।

उपर प्रदेश विधान सभा